खण्ड-325, अंक-2
बुधवार, 22 आषाढ़, शक संवत् 1899
(13 जुलाई, 1977 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 325 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 13 जुलाई, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—388

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नारायण, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफी लाल, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नरायन सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री

ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री

कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री

कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, श्री
कालीचरन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री

कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कौशल किशोर, श्री

खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री

गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (जिला इटावा)
गौरी शंकर, श्री (जिला बलिया)
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल "निर्भय", श्री (जिला जौनपुर)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहिरवार, श्री

फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बृज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही' श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री

रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रविन्दर, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बहादुर यादव, श्री
राज बृजराज सिंह, श्री
राम मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे, श्री (जिला बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन्द, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
रामरति देवी, श्री मती
राम लखन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर
राम शिरोमन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री

श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर, श्री
श्योराज सिंह, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—मुख्य मन्त्री तथा गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थी।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री किशन लाल ने शपथ ग्रहण की

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 13 जुलाई, 1977

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

आपातकाल में हुए अत्याचारों की जांच हेतु आयोग के गठन की मांग

**1—श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर) —

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आपात् कालीन स्थिति के दौरान नागरिकों पर हुए अत्याचारों की जांच के लिए प्रदेश स्तर पर कोई न्यायिक जांच आयोग गठित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसके विचाराधीन विषय क्या होंगे तथा आयोग कब तक गठित हो जायगा ?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव) —

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रदेश की जनता पर, राज्य कर्मचारियों के द्वारा भीषण अत्याचार किए गए ? यदि हां, तो उन अत्याचारों की जांच के लिए और कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री राम नरेश यादव--

केन्द्रीय सरकार की तरफ से शाह आयोग की नियुक्ति हो चुकी है और उसके सम्बन्ध में या उसके सामने, इस प्रकार की सारी स्थितियां आ रही हैं, जो आपात् स्थिति के दौरान घटित हुयीं और चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों या कोई और हों, उनके द्वारा अगर ज्यादतियां हुईं, तो वे समस्त मामले उस आयोग के विचाराधीन हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या मुख्य मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, बहुत समस्याएं ऐसी हैं जो उस कमीशन के सामने जायेंगी और केन्द्रीय गृह मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि जो राज्य सरकार चाहें, वे अपने यहां उस सम्बन्ध में जांच करा सकती हैं, तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात पर पुनः विचार करेंगे कि अपने प्रदेश में भी एक कमेटी ऐसी बनाई जाय, जो इन अत्याचारों की जांच करे ?

श्री रामनरेश यादव--

सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर में जिस तरह की घटनाएं हो गयीं, उनकी जांच के लिए जांच आयोग बैठ गया है, क्योंकि वहां फायरिंग हुई थी और ज्यादतियां हुई थीं। उसके पश्चात् इस प्रकार की फायरिंग आदि का मसला सरकार के सामने नहीं है, इसलिए यह सवाल नहीं उठता।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार के नोटिस में कुछ ऐसे भी मसले हैं, जिस प्रकार की जानकारी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दिया है कि सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर में वे घटनाएं हुईं ? और इस प्रकार की जानकारी यदि है, तो क्या सरकार उनका विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री रामनरेश यादव—

सरकार को उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य इस प्रकार की सूचना देंगे, तो हम उसको शाह कमीशन के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री जी यह आश्वासन देंगे कि परिवार नियोजन या दूसरी तरह से विक्टीमाइजेशन के शिकार जो दूसरे लोग रहे हैं, तो नए सिरे से, न केवल सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर के सम्बन्ध में, बल्कि सारे प्रदेश में जहां भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनकी जांच के लिए कोई आयोग या विधान मण्डल के सदस्यों का आयोग गठित करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव--

जो यहां इस तरह की चर्चा हो रही है, वह सारी ज्यादतियां शाह कमीशन जो बैठा है, उसके सामने विचाराधीन हैं। इसलिए अलग से किसी आयोग के बिठाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

स्वराष्ट्र मन्त्री जी ने प्रदेशीय सरकारों को लिखा है कि शाह आयोग की सुविधा के लिए, वे अपने यहां कोई समिति छानबीन करने के लिए बनायें या कोई विशेष अधिकारी नियुक्त करें, जो छानबीन कर के, अपनी रिपोर्ट शाह आयोग को दे, जिससे उसके काम में सहूलियत हो। यदि इस प्रकार का कोई प्रपत्र आया है, तो इस सम्बन्ध में शासन की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

विपक्ष के लोगों को भी मौका दें।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। बिना आज्ञा के न बोलें। जिस व्यक्ति को मैं बुलाऊंगा वही बोलेंगे।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

मेरे कहने का यह मतलब है कि सभी को बराबर मौका दिया जाना चाहिए। कल आप कह चुके हैं कि सब का समान आदर करूंगा और सब को बराबर मौका दूंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप केवल सरकारी पक्ष के लोगों को ही बार-बार मौका दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप तशरीफ रखें।

श्री राम नरेश यादव—

यदि कोई इस तरह का पत्र आया है तो मैं उसके बारे में विचार करूंगा और आवश्यकता पड़ेगी तो उसके अनुसार कार्यवाही करूंगा।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

जो आपने उत्तर दिया है कि फायरिंग हुई तो उसमें कितने व्यक्ति घायल हुए और कितने व्यक्ति मरे, यह आप बताने की कृपा करें ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह अनुचित है। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। प्रश्नों में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

इमरजेंसी के दौरान में बहुत से सरकारी कर्मचारी विक्टिमाइज हुए हैं, विशेषकर वह लोग जिनका ट्रेड यूनियन से ताल्लुक रहा है। तो क्या आप उनको पुनः नौकरियों पर बहाल कर देंगे ?

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, हमारे प्रश्न का जवाब तो दिलवायें।

(अन्य सदस्यों के साथ श्री बाबू लाल वर्मा के भी प्रश्न करने के लिए खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

आप मन्त्री हैं। कृपया आप तशरीफ रखें। आप कोई प्रश्न नहीं कर सकते।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

श्री राम नरेश यादव—

आप प्रश्न कृपया दोहरा दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इमरजेंसी के दौरान जिन बहुत से सरकारी कर्मचारियों को विक्टिमाइज किया गया है और नौकरी से निकाल दिया गया है, क्या उन निकाले गए कर्मचारियों को बहाल किया जायगा ?

श्री राम नरेश यादव—

जानकारी मिलने पर इस पर विचार करेंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को मालूम है कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों ने अभी तक उन लोगों को गुजारा भत्ता नहीं दिया है, जो जेलों में रहे हैं, क्या सरकार ऐसे आदेश देगी कि इन लोगों को तुरन्त गुजारा भत्ता दिया जाय ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं ह, इसलिए इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

हमारे जिले में बहुत सी ज्यादतियां हुई हैं, जो सरकारी कर्मचारियों ने की हैं। क्या उन ज्यादतियों की जांच के लिए कोई आयोग नियुक्त करने की माननीय मुख्य मन्त्री जी कृपा करेंगे ? तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

सूचना मिलने पर विचार किया जायगा।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

ऐसे भी मामले हैं कि जो लोग भूमिगत हो गए थे, उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया है, क्या उन मामलों पर भी, सरकार विचार करेगी और नौकरी में उन लोगों को वापस लेगी ?

श्री राम नरेश यादव—

अगर यह चीज नोटिस में लाई जायगी तो अवश्य विचार किया जायगा।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

इलाहाबाद जिले में भूतपूर्व राज्य गृह मन्त्री जी के आदेश पर बहुत सी ज्यादतियां और जुल्म हुए हैं, जिसकी शिकायत शासन को प्राप्त हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि हरिजनों की जबरदस्ती नसबन्दी कराई गयी है। क्या उन ज्यादतियों की जांच कराने के लिए सरकार कोई आयोग नियुक्त करेगी ?

श्री राम नरेश यादव—

मैं निवेदन कर चुका हूं कि शाह आयोग की नियुक्ति हो चुकी है, भारत सरकार द्वारा, वह ऐसे प्रश्नों पर विचार कर रहा है। अब अलग से जांच आयोग बिठाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)—

यदि आप आयोग गठित करने को तैयार नहीं हैं, तो क्या इस सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति गठित करने के लिए, मुख्य मन्त्री जी तैयार हैं, जो इस प्रदेश में व्यापक स्तर पर हुई ज्यादतियों की जांच करके, एक रिपोर्ट आपको दे, जिसे आप शाह आयोग को भेज दें ?

श्री राम नरेश यादव—

यह सारी स्थिति शाह आयोग के समक्ष विचाराधीन है। सरकार की जानकारी में जो भी चीजें आयेंगी, उनको उस आयोग के समक्ष भेज दिया जायगा ?

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

यह इतना बड़ा प्रदेश है, जिसकी इतनी बड़ी आबादी है. . . .

(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी. . . .

श्री अध्यक्ष—

आपको मैंने इजाजत नहीं दी है।

श्री हिम्मत सिंह--

मान्यवर, शाह आयोग की जो नियुक्ति हुई है, वह इतना सक्षम नहीं है कि वह सभी जगह से इंफारमेशन एकत्र कर सके, उसमें समय लगेगा। क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी आप स्वयं इसकी जांच के लिए कोई आयोग बैठाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनके पास पैसा नहीं, समय नहीं कि वे शाह आयोग के पास सूचना भेजने के लिए तहसील में जाकर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर अफेडेविट लगा कर लिखवा दें। इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह जांच की प्रक्रिया को सरल करने के लिए विधायकों का कोई आयोग या समिति बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, मैं आप द्वारा माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि आज तक की जो भी शिकायतें हों, वह सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दें और फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी, शाह आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने की, सरकार उस पर विचार करेगी ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आपात् स्थिति के दौरान में, बाराबंकी जनपद में, जिलाधिकारी, श्री आर० एस० तोलिया ने श्री नारायण दत्त तिवारी, जो इस समय नेता, विरोधी दल हैं, के इशारे पर जबरन पुलिस के जरिए 6 महिलाओं को पकड़ कर लाया गया और वे 6 महिलाएं जिला अस्पताल में मर गयीं ।

(शेम-शेम की आवाजें)

क्या जिलाधिकारी के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? अभी तक उनको क्यों नहीं निलम्बित किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

इससे यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, यह आपात् स्थिति के दौरान बहुत से नागरिकों पर अत्याचार करने वाले लोग, जनता पार्टी में पहुंच कर, ऊंचे आसन पर पहुंच गए हैं, क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह आरोप है । इसका प्रश्न नहीं उठता ।

(श्री नारायण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

कृपया माननीय सदस्य ध्यान रखें। केवल एक अनुपूरक प्रश्न की आज्ञा दी जा सकती है। कृपया माइक पर बोलिए।

श्री नारायण सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इमरजेंसी के दिनों में जो ज्यादतियां अधिकारियों ने की हैं, मुजफ्फरनगर में, वह माननीय मुख्य मन्त्री जी जानते हैं, मान्यवर, उन अधिकारियों को अब तक क्यों नहीं निलम्बित किया गया ?

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

मान्यवर, इमरजेन्सी. . . .

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें।

आप सदन की मर्यादा कायम रखें। यह उचित नहीं है कि आप बराबर बिना इजाजत के खड़े होते हैं।

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं, माननीय सदस्य को जानकारी देते हुए कि मुजफ्फरनगर के सम्बन्ध में, चाहे सरकारी अधिकारियों का सम्बन्ध हो या किसी का भी सम्बन्ध हो, ज्यादतियां करने में, उस सम्बन्ध में आयोग तैनात हो चुका है, जिसके समक्ष यह सारी स्थिति विचाराधीन है। इसलिए कोई और प्रश्न नहीं उठता है।

(अनेक सदस्य अपने-अपने स्थान से उठकर बोलने लगे)

(शोर)

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, हमको भी बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

मान्यवर, क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर के चिगलोवा ग्राम में, नसबन्दी के सिलसिले में 43 आदमियों के ऊपर मुकदमें चल रहे हैं? उनको पीटा गया है, मकान उजाड़े गए हैं, फसल चुरा ली गयी है और आज भी उनके मुकदमें अदालत में चल रहें हैं, तो क्या इन मुकदमों को वापस कराने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बहुत विस्तार में जा रहे हैं। यह प्रश्न की सीमा के बाहर की बात है, इसलिए इसकी अनुमति मैं नहीं देता।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

मान्यवर, निवेदन है कि जो मुकदमें चल रहे हैं, वह वापस ले लिए जायं।

श्री अध्यक्ष—

आप विस्तार में जा रहे हैं, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नारायण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं . . . .

(अनेक सदस्य एक साथ बोलने लगे)

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार खड़ा हो चुका हूं,

श्री अध्यक्ष—

उत्तर दिया जा चुका है, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि एक से अधिक अनुपूरक प्रश्न न पूछें।

(शोर)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री गनेशी लाल चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कन्हैया लाल सोनकर—

मान्यवर, आपात स्थिति के दौरान जो अत्याचार किए गए हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। विधिवत् चर्चा होनी चाहिए। 13[illegible]0

R.D. 80551

श्री अध्यक्ष --

माननीय सदस्य, राज्यपाल के अभिभाषण पर आपको विस्तार से चर्चा करने का मौका मिलेगा। प्रश्न है कि जांच आयोग गठित किया जाय, उस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी उत्तर दे चुके हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर विस्तार से गवर्नर के अभिभाषण पर विवाद के समय आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

(शोर)

मैंने श्री गनेशी लाल चौधरी को बुलाया है। कृपया नारायण सिंह जी आप स्थान ग्रहण करें। आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री देव बहादुर सिंह --

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष --

इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। प्रश्नों में कोई व्यवस्था नहीं होती। आप मुझ पर छोड़िए इस काम को। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर) --

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि गोरखपुर जिले में नसबन्दी के दौरान पुलिस की गोली से मिटठू नामक बेलदार की मृत्यु हो गयी और अब तक पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो क्या यह जानकारी मुख्य मन्त्री जी को है ?

श्री अध्यक्ष --

यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता। यह आप एक विशेष जानकारी चाहते हैं। इसका कोई मन्त्री बिना पूर्व नोटिस के उत्तर नहीं दे सकता। इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री गनेशी लाल चौधरी --

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी कहें कि मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष --

यहां प्रश्न आयोग गठित करने का है, इस पर प्रश्न नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी) --

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में, आपात्काल के दौरान जितनी ज्यादतियां और अन्याय हुए हैं, उन पर शाह आयोग जांच कर रहा है। तो क्या उनके अलावा जितने अत्याचार और अन्याय हुए हैं, उसके लिए केन्द्र से बात-चीत करके, शाह आयोग की समिति या उप समिति आप बनायेंगे, जो उत्तर प्रदेश में ज्यादतियों की जांच करे ?

श्री राम नरेश यादव --

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य सूचना देंगे, उस पर हम विचार करेंगे और सारे मामलों को शाह आयोग के सामने प्रस्तुत कर देंगे।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर) --

मान्यवर,.....

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डेय --

मैं पूछना चाहता हूं कि 23 जून को बनारस में 'आज' अखबार के मालिक और प्रशासन ने मिलकर छात्रों पर लाठी चार्ज किया है, तो क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि कितने छात्र घायल हुए और कितने घर लूटे गए हैं तथा उसमें किसका हाथ है ?

श्री अध्यक्ष--

इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा। प्रश्न यह नहीं है। इसलिए आप दूसरा प्रश्न नहीं कर सकते हैं। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री शारदा प्रसाद (जिला गोरखपुर) --

मान्यवर, जो ज्यादतियां हुई हैं और उसका जो उत्तर मिला है, वह स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, से अनुरोध करता हूं कि नियम 49 के अन्तर्गत इस प्रश्न पर खुली चर्चा होने की आज्ञा प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष--

गवर्नर के भाषण पर इन सब प्रश्नों पर विवाद करने और प्रकाश डालने का अवसर आपको मिलेगा। इसलिए नियम 51 में विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने कोई नियम 51 का प्रश्न नहीं है, इसलिए व्यवस्था देने का कोई औचित्य नहीं है।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

मान्यवर, मुझे बोलने का मौका दिया जाय.....।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या मुख्य मन्त्री जी, भूतपूर्व शासन के समय में, नसबन्दी में जो सुविधा परिवार नियोजन कराने वालों को दी गयी है और उसमें जिनके 4-4 बच्चे थे, अधिकारियों ने दो बच्चों का प्रमाण-पत्र देकर, शासन के पैसे का दुरुपयोग किया है, जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित होना चाहिए। माननीय मन्त्री जी के पास कोई ऐसी सूचना नहीं हो सकती है कि किन-किन अधिकारियों ने क्या-क्या ज्यादतियां कीं। आपका प्रश्न है कि आयोग गठित किया जाय। शाह आयोग गठित है, जांच आयोग के सम्मुख प्रत्येक व्यक्ति को साक्ष्य देने का अधिकार होगा।

माननीय मुख्य मन्त्री उत्तर दे चुके हैं। एक कमीशन की नियुक्ति हो चुकी है और कमीशन ने अनुरोध किया है कि आपात् काल में जितनी ज्यादतियां हुई हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना दें और साक्ष्य दें। इस प्रश्न पर काफी विवाद हो चुका है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अब इस पर कोई दूसरा अनुपूरक प्रश्न न पूछें। अभी गवर्नर का भाषण हो चुका है, जिस पर चार दिन तक विवाद होगा। उस समय प्रत्येक सदस्य को अवसर होगा कि आपात्काल में जो ज्यादतियां हुई हैं, उनको सरकार की नोटिस में लायें। अब यह प्रश्न समाप्त होता है।

श्री राजेन्द्र कुमार--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह परम्परा रही है कि जो सदस्य पहला प्रश्न पूछता है, उसको अन्त में भी प्रश्न पूछने का मौका मिलता है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो महत्व का प्रश्न है।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)--

[* * * *]

श्री अध्यक्ष--

यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा। मैंने इजाजत नहीं दी है। माननीय सदस्य जो भी प्रश्न करते हैं, अन्त में उन्हें कोई अनुपूरक प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। केवल दो अनुपूरक किए जा सकते हैं, जो अवसर माननीय सदस्य को दिया जा चुका है। अब मैंने इस प्रश्न को समाप्त कर दिया है।

नोट:--[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

व्यवस्था के प्रश्न

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) ——

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिलाया गया।

श्री अध्यक्ष ——

बहस के दौरान उत्तर दे देंगे।

श्री शतरुद्ध प्रकाश ——

मैं सदन की जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं। 6 जून, 1977 को एक अधिकारी की हत्या करा दी गयी।

श्री अध्यक्ष ——

आप स्थान ग्रहण करें। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश ——

एस0एस0पी0 की पत्नी यूनिवर्सिटी का इम्तिहान देना चाहती थी और वह उसको पास कराना चाहते थे। वह पुलिस कप्तान आज भी अपने पद पर बने हुए हैं और सरकार उनको मुअत्तल नहीं कर रही है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदन के समक्ष इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, मन्त्री जी जानकारी दें ताकि वहां के लोगों में, जो भय एस0एस0पी0 ने बना दिया है, उससे उनको राहत मिल सके।

एक सदस्य ——

इस सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष ——

इस पर कोई विवाद नहीं है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित ——

मान्यवर, आप सदस्यों की भावनाओं को न रोकें।

श्री अध्यक्ष ——

आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय शतरुद्ध प्रकाश अगर आप ऐसे प्रश्नों का जिक्र करना चाहते हैं तो आप मेरे कक्ष में आकर इसकी सूचना देते। आप लिखित दे दें, तो म सरकार को भेज दूंगा।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी ——

हम लोगों की हजारों चिट्ठियां पड़ी हुई हैं। कोई क्लर्क नहीं है।

श्री अध्यक्ष ——

आप लिख कर दें।

श्री रियासत हुसैन ——

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष ——

कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है। व्यवस्था केवल उसी पर हो सकती है, जब कोई प्रश्न विचाराधीन हो। मैंने अभी कोई दूसरा प्रश्न लिया ही नहीं।

श्री रियासत हुसैन ——

नियम के अनुसार न होकर सदन का समय नष्ट हो रहा है। आप दूसरा आइटम क्यों नहीं लेते?

श्री अध्यक्ष ——

मेरे सामने यदि कोई नियम 51 या 56 के अन्तर्गत प्रश्न आएगा तो अवश्य उस पर विचार कर के उस के बारे में अनुमति दी जाएगी। इस वक्त कोई प्रश्न नहीं है।

श्री गनेशी लाल चौधरी —

..... (व्यवधान).....दो किलो मीटर की दूरी पर एक हरिजन की हत्या कर दी गयी है। इसकी जानकारी मैं सरकार को देना चाहता हूं कि किस तरह ला एन्ड आर्डर की सिचुएशन है और हरिजनों के खिलाफ किस तरह कार्यवाही हो रही है।

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष —

कोई प्रश्न नहीं है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब आगे की कार्यवाही शुरू होती है।

अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों का नाम-निर्देशन

श्री अध्यक्ष —

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 10 के अनुसार वर्ष 1977-78 के लिए अधिष्ठाता मन्डल में मैंने निम्नलिखित सदस्यों को नाम-निर्देशित किया है :—

(1) श्री उदित नारायण शर्मा (हमीरपुर),
(2) श्री राधेश्याम शर्मा (मथुरा),
(3) श्री वीरेन्द्र पति यादव (मैनपुरी),
(4) श्री गंगा प्रसाद (एटा),
(5) श्री शम्भूनाथ (जौनपुर),
(6) श्री शिव मंगल सिंह (बलिया),
(7) श्री श्यामधर मिश्र (वाराणसी),
(8) श्री गोविन्द सिंह नेगी (टेहरी-गढ़वाल),
(9) श्रीमती कुदसिया बगम (हरदोई),
(10) श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव (गोरखपुर)।

सदन के परिवर्तित कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष —

माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया कार्य-क्रम की सूचना सदन को देंगे।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) —

मान्यवर,

एक सदस्य —

हम लोगों का प्रस्ताव है .....

श्री अध्यक्ष —

आप बैठें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय —

मान्यवर, इस सदन के अधिकांश सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष से, माननीय नेता सदन से और माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन किया था कि चूंकि चुनाव के सम्बन्ध में जो पर्चा दाखिल करना पड़ता है चुनाव अधिकारी के पास उसकी अन्तिम तिथि इसी 15 तारीख को है और माननीय सदस्यों की इच्छा थी कि इस बीच में छुट्टी कर दी जाय। अतएव, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, अध्यक्ष जी, माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी श्री ऊदल जी से परामर्श किया और परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि विधान सभा की बैठक 14 तथा 15 जुलाई, 1977 को न हो कर अब 18, 19, 20, 21 व 22 जुलाई को निम्न कार्य के लिए होगी।

18, 19, 20 तथा 21 जुलाई--महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा।

22 जुलाई--विधायी कार्य।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, मैं इस प्रसंग पर विचार व्यक्त नहीं करता लेकिन चूंकि महत्व का विषय है इसलिए मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि अभी तक संसदीय कार्य मन्त्री कौन हैं इस सदन को पता नहीं है। वैसे श्रीमन्, आपने भी स्वायत्त शासन मन्त्री का उल्लेख किया। मैं समझता था कि मुख्य मन्त्री संसदीय कार्य मन्त्री हैं तो स्वयं संसदीय कार्य निभायेंगे और संसद की सूचनाएं इस सदन को देंगे। विरोधी दल का यह अधिकार है कि कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो वह संसदीय कार्य मन्त्री के माध्यम से की जाय। यदि मुख्य मन्त्री जी के पास यह पोर्टफोलियो है तो शायद वह उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं नहीं तो स्वयं इस समय यह सूचना देते। अभी तक मुझे समाचार-पत्रों से भी यह जानकारी नहीं मिली है तथा न ही ऐसा गजट हमारे पास आया है। कुछ मन्त्रियों को अभी पोर्टफोलियो तक नहीं दिए गए हैं। चार मन्त्री तो कम से कम ऐसे हैं केबिनेट स्तर के और राज्य मन्त्री जिनको पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। किसको और कब क्या पोर्टफोलियो दें यह मुख्य मन्त्री का अधिकार है लेकिन यह पब्लिक इन्टरेस्ट में है कि जब कोई गवर्नमेंट का मेम्बर हो जाता है तो सारे प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी उन पर हो जाती है। गवर्नमेंट के मेम्बर्स शपथ ग्रहण कर लें, वे मन्त्री हो जाएं लेकिन उनको कई दिन तक पोर्टफोलियो न दिए जायें यह किसी प्रकार एक अच्छे प्रशासन के लिए उचित नहीं है। पार्लियामेन्टरी अफेयर्स के मन्त्री को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मन्त्री संसदीय कार्य मन्त्री का निर्णय शीघ्र ही करें जिससे बिजनेस एडवायजरी कमेटी का गठन हो सके। सदन में संसदीय कार्य मन्त्री का होना अत्यन्त आवश्यक है। चूंकि इस समय तक मुख्य मन्त्री जी ने यह भार किसी को नहीं दिया है इसलिए यही मानना चाहिए कि उन पर स्वय पार्लियामेन्टरी अफेयर्स का भार है। चूंकि संयुक्त उत्तरदायित्व है इसलिए मैं इसमें कोई अनौचित्य नहीं देखता कि मुख्य मन्त्री जी की तरफ से स्वशासन मन्त्री ने उत्तर दे दिया। यह संसदीय प्रणाली के विरुद्ध नहीं है। लेकिन मैं मुख्य मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में अपना निर्णय शीघ्र ही करें।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

जब कोई प्रश्न विचाराधीन ही नहीं है तो कोई व्यवस्था पैदा नहीं होती। पहले उपस्थित प्रश्न पर विचार होने दें। मैंने राजस्व मन्त्री को बुलाया है।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि विधान सभा के आस पास 144 धारा लगी हुई है और विधान सभा के गेट्स पर काफी तादाद में पुलिस खड़ी हुई है। इससे विधायकों को अपने साथ किसी को लाने में बड़ी दिक्कत पड़ रही है, पास मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर जनता पार्टी की सरकार में धारा 144 का लगाना कलंक की बात है। इसलिए आप ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे विधायकों को आने-जाने में सुविधा हो। (शोर-गुल)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य सदन में व्यवस्था बनाए रखें।

श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती)—

यह बात गलत है कि विधायक नहीं आ पा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन तो रहेगा ही। हां, विधायकों के साथ में बिना पास दस-दस आदमी आ जाते हैं, जो नियम विरुद्ध हैं। इसके लिए कड़ाई करनी ही पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—

मैंने पहले राजस्व मन्त्री जी को बुलाया है। जहां तक माननीय सदस्य ने बात उठाई है उसका क्रम जब आएगा, तब मैं उस वक्त उस पर निर्णय दूंगा।

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रस्ताव नहीं है। आपको कार्य-क्रम की सूचना दी है, प्रस्ताव आपके सामने कोई नहीं है किन्तु इस पर आम सहमति है।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1977†

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शारदा भक्त सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो मेरे सामने आए हैं वह इस प्रकार हैं:

1—श्री गोविन्द सिंह नेगी—उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेज के छात्रों की हड़ताल से उत्पन्न संकट, जो स्वास्थ्य मन्त्री जी से सम्बन्धित है।

2—श्री ऊदल, श्री राम सजीवन—उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति जो प्रदेश के बिजली मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती है, की सांकेतिक हड़ताल किए जाने के निर्णय के सम्बन्ध में है, जो विद्युत मन्त्री जी से सम्बन्धित है।

3—श्री अजीत सिंह सेठी, डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल, श्री श्यामधर मिश्र... श्री मंजूर अहमद का है जिसमें सम्पन्न वर्ग के तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों द्वारा मेरठ तथा अन्य जनपदों में हरिजनों, पिछड़े वर्ग के लोगों का जीवन संकट में होने का विषय जिसका सम्बन्ध माननीय मुख्य मन्त्री से है।

---

†13 जुलाई, 1977 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

4—श्री देव कुमार यादव का है—वह उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेज के छात्रों की हड़ताल से उत्पन्न संकट तथा उन पर विधान सभा के परिसर में लाठी चार्ज से उत्पन्न रोष के विषय में है इसका सम्बन्ध माननीय स्वास्थ्य मन्त्री से है।

5—श्री रियासत हुसैन का—उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेज के छात्रों की हड़ताल से उत्पन्न संकट पर है। इसका सम्बन्ध माननीय स्वास्थ्य मन्त्री से है।

6—डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी राकेश का है जो उन्होंने जिला कानपुर देहात को समाप्त करने के सरकार के निर्णय से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में दिया है।

कल राज्यपाल महोदय का अभिभाषण आपने सुना है। आपको धन्यवाद के प्रस्ताव पर पूर्णतया इन प्रश्नों पर विशद चर्चा करने का अवसर मिलेगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, आपको शायद विदित नहीं है कि कल विधान सभा के बाहर क्या स्थिति थी? तमाम प्रदेश के जो यूनानी एवं आयुर्वेदिक छात्र हैं उन्होंने तमाम गेटस पर घेराव कर दिया। माननीय सदस्यों को सदन के अन्दर नहीं आने दिया। मन्त्रियों का घेराव किया और एक बहुत बड़ा आन्दोलन शुरू कर दिया। हमारी जनता सरकार मान्यवर, जो आज आजादी की बात कहती है कि हम नागरिक स्वतन्त्रता देंगे लेकिन विधान सभा के बाहर आज दफा 144 लागू कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि प्रदेश की जनता को कोई अधिकार नहीं रह गया है कि वह माननीय सदस्यों को अपनी मांगों से अवगत कराए। विद्यार्थियों की यह मांग कई अर्से से चली आ रही है, वह आन्दोलन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग व्यवधान न करें। (व्यवधान) आप लोग शान्ति बनाए रखें माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें (व्यवधान) मैंने गोविन्द सिंह नेगी जी को अनुमति दी है। कृपया उनके भाषण में व्यवधान न करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सदन की कार्यवाही कृपया चलने दें। सुन्दर लाल जी कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने नेगी जी को आज्ञा दी है।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इस समय श्रीमन्, स्थिति ऐसी विस्फोटक हो गई है कि अकेले होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के छात्र ही नहीं पूरे प्रदेश के लोगों ने इनके विरुद्ध आन्दोलन करना प्रारम्भ कर दिया है।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

[* * *]

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

[* * *]

श्री कन्हैया लाल सोनकर—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

देखिए, जो माननीय सदस्य बिना अध्यक्ष की अनुमति के बोलेंगे उसको नहीं लिखा जाएगा और वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा। मैंने नेगी जी को आज्ञा दी है। मैं माननीय

नोट:-[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री अध्यक्ष]

सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे उनके भाषण में व्यवधान न डालें। जिन्होंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है, वे दो मिनट में यहां पर अपनी बात कह सकते हैं, उसके बाद मैं अपनी व्यवस्था दूंगा। इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं पैदा होता है । जब मैं सुनने के बाद बहस की अनुमति दूंगा, तभी यह पैदा होता है। कार्य-स्थगन प्रस्ताव देने वाले सदस्य लम्बा भाषण न दें, दो मिनट में अपनी बात करें। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इस तरह से वह सदन का समय बचाएं, जिससे हम उनकी बात को ठीक से सुन सकें।

श्री कन्हैया लाल सोनकर--

ऐसे कैसे सदन चलेगा?

श्री गोविन्द सिंह नेगी --

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस तो होगी, लेकिन उस पर बहस चार दिन बाद होगी, जबकि यह मामला गम्भीर है और आगे यह और गम्भीर हो सकता है। इसलिए श्रीमन्, आप इसको मंजूर कीजिए, जिससे मुख्य मन्त्री जी इस गम्भीर मसले पर सदन में कुछ प्रकाश डाल सकें।

(कुछ सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष--

जिनके स्वयं के प्रस्ताव हैं, मैं उन्हीं को केवल अनुमति दे रहा हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) --

श्रीमन्, यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव बहुत ही गम्भीर और आवश्यक है। यह सूचना मिली है कि कल विधान भवन के सामने यह जो कोई सी० ओ० बाजपेई हैं, और जो बोर्ड के डायरेक्टर के कोई नाते रिश्तेदार हैं, उन्होंने बड़े जमकर वहां पर लाठीचार्ज छात्रों पर किया है। इससे छात्र बहुत उत्तेजित हैं और उनके जवाब में तमाम प्रदेश के छात्र संगठन उनकी हमदर्दी में आगे आना चाहते हैं और आन्दोलन में हिस्सा लेना चाहते हैं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर तो चार दिन बाद बहस होगी, तब तक हालात नामालूम कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। यह पहला मौका है कि बॉलिगटन होटल से हजरतगंज तक दफा 144 और भारी पुलिस लगी है, जिससे यदि कोई विधायक यहां पर अपने साथ 8-10 आदमी लाना चाहे तो वह नहीं ला सकता है। उन पर भी पाबन्दी लग गयी है। इस गम्भीरता को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को आप जरूर ले लेंगे, ताकि आन वाले 4 दिनों में प्रदेश की स्थिति बिगड़ने से बच सके।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी) --

मैंने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव बिजली मजदूरों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में एक मिनट में मैं आपका और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इन मजदूरों की तरफ से काफी प्रयास बातचीत का भी किया गया और उसमें कोई कमेटी भी बनी थी कि इससे कोई हल निकले। नतीजा यह हुआ, उन लोगों ने तमाम प्रयास किए, उनके प्रयास की जानकारी मेरी नोटिस के साथ है। सब लोगों के सारे दरवाजे खटखटा कर वे परेशान हो गए। तब उन्होंने फैसला ले लिया कि 20 तारीख को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। मेरा निवेदन है कि एक दिन भी हड़ताल हो जाय किसी वजह से भी उससे पूरे प्रदेश की क्षति होगी और जन जीवन भी खतरे में हो जायगा। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा। यह बहुत आवश्यक प्रश्न है। चार दिन का गैप पड़ रहा है। 20 तारीख नजदीक आ जायगी। अगर सरकार की तरफ से उन लोगों को बुला कर बातचीत भी कर ली जाय, कोई रास्ता निकल जाय, तो कामरोको प्रस्ताव रखने में मुझे कोई खुशी नहीं होगी। मामला बहुत अहम है। पूरे प्रदेश का सवाल है। इसलिए मैंने रखा।

मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि सरकार इस मसले पर सोचे, सरकार कुछ कह दे, अगर सरकार कुछ नहीं कहती है तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसको स्वीकार करें और इस पर चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न रखा है वह केवल आलोचन के शब्द नहीं हैं, उनकी गम्भीरता को यदि आपने और हमने समझा तो प्रदेश का भला होगा। मेरे जनपद में ही नहीं सारे प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग, हरिजन वर्ग और निर्बल व्यक्ति हैं उनकी जो दुर्दशा है, उनकी हालत पर सही मानी में चिन्तन करें। हालत यह है कि जिन नीतियों के आधार पर जनता ने शासन दिया आज महसूस हो रहा है, मैं आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन उन नीतियों को शक्तिशाली वर्ग बिलकुल तहस-नहस कर रहे हैं, उनका जनाजा निकाल रहे हैं। निर्बल व्यक्तियों की जरूरियात जिन्दगी से महरूम कर देना चाहते हैं, उनको घास खोदने से और खेतों में टट्टी फिरने से महरूम किया जा रहा है। उनके जीवन के प्रति हम चिन्ता न कर सकें, यह ऐसी बात है . . . .

(व्यवधान तथा शोर)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्त रहें। माननीय अजीत सिंह सेठी जी आप अपना कथन शीघ्र समाप्त करें।

श्री अजीत सिंह सेठी—

इतनी भारी शक्ति ले कर यह शासन वाले व्यक्ति चन्द शब्द सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर जो उपद्रव हो रहा है वह सिविल वार है। यह इनका षडयन्त्र है। उस सिविल वार को रोकने के लिए जो प्रस्ताव मैं लाया हूं उस पर सोचा जाय, उसको माना जाय। यह मेरा आपसे अनुरोध है। नहीं तो उन व्यक्तियों की वही हालत होगी, जो मड़तू की बीवी की हुई है जिसको ट्रैक्टर के साथ रौंदा गया।

(व्यवधान और शोर)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आपका कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने व्यवस्था दी कि सबको सुनते जाना चाहिए। जनता पार्टी के माननीय सदस्यों में एक परिपाटी बन रही है कि विरोधी दल के लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको सुनते नहीं हैं। विरोधी दल के लोग यदि अप्रिय भी कहते हैं तो भी उनको प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। वह तो अपनी संख्या के आधार पर दबाना चाहते हैं। तो आप हमारी क्या रक्षा करना चाहते हैं?

(शोर)

पहले व्यवस्था दे दी जाय।

एक सदस्य —

मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष —

आप बठिए । कोई जरूरी बात नहीं है । इसका कोई प्रश्न नहीं है ।

मैं सदस्यों का ध्यान प्रक्रिया नियमावली की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जब अध्यक्ष से किसी सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाय, उसमें कृपया व्यवधान न डालें और अप्रिय बात भी हो तो उसको भी सुनने की क्षमता रखें। आपको पर्याप्त समय मिलेगा उसका उत्तर देने का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए, प्रक्रिया नियमावली में है कि जब कोई सदस्य बोलता हो तो उसमें व्यवधान न डालें। आपने शपथ भी ली है संविधान की रक्षा करने के लिए। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वही सदस्य बोलें जिनको अनुमति दी जाय। इस समय कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपनी बात रखें। वह कोई लम्बा भाषण न दें। श्री अजीत सिंह सेठी अपनी बात कह चुके हैं और मैंने उनसे अनुरोध किया कि अपना स्थान ग्रहण करें। विस्तार के अन्दर नहीं जाना चाहिए। आप अपना स्थान ग्रहण करें। दूसरे सदस्य जिनका कार्य-स्थगन प्रस्ताव है, वे अपनी बात 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री अजीत सिंह सेठी —

मेरे अन्तिम शब्द रह गए ।

श्री श्यामधर मिश्र —

हरिजनों के ऊपर संकट है. . . .

(श्री रणजीत सिंह जूदेव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष —

मैंने श्री श्यामधर मिश्र को बुलाया है। आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री रणजीत सिंह जूदेव अपना स्थान ग्रहण करें। आप इस तरह का कोई कार्य न करें जो प्रक्रिया नियमावली के विरुद्ध हो। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें, मैं अनुमति नहीं देता।

श्री रणजीत सिंह "जूदेव" (जिला झांसी) —

[* * *]

श्री अध्यक्ष —

आप अपना स्थान ग्रहण करें यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं बनेगा।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' —

[* * *]

श्री अध्यक्ष —

यह क्या तरीका है ? आप अपना स्थान ग्रहण करें। यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा। आप बैठिए, मैंने आपको अनुमति नहीं दी। आप बठिए ।

मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि माननीय रणजीत सिंह प्रक्रिया नियमावली के विरुद्ध खड़े हुए हैं। इस सदन के अध्यक्ष जब खड़े हों तो किसी भी सदस्य को खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए। अतः जो भी माननीय रणजीत सिंह ने कहा है वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री सेठी आप अपनी बात कह चुके हैं इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अजीत सिंह सेठी —

मान्यवर, मुझे काम रोको प्रस्ताव पर नहीं कहना है ।

(शोर)

नोटः—[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठें ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

श्रीमन्, सदन के अन्य सदस्यों ने जो मेरे बारे में अपशब्द कहे हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिए ।

श्री श्यामधर मिश्र—

(बैठिए-बैठिए की आवाजें होने पर) मान्यवर, ये स्पीकर हैं, या आप हैं ? ये हमें बैठाने वाले कौन हैं? हम इनकी कृपा पर यहां नहीं आए हैं ।

(श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय रणजीत सिंह जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा निवेदन है कि चाहे इस पक्ष से या दूसरे पक्ष से जो भी यहां पर बिना मेरी अनुमति के कहा गया है, वह सदन की कार्यवाही का अंग नहीं होगा और न पब्लिश ही किया जायगा। माननीय अजीत सिंह जी के सम्बन्ध में भी यदि किसी माननीय सदस्य ने कुछ कहा है वह भी यहां की कार्यवाही का अंग नहीं होगा। अब मेरा निवेदन है कि जो सदस्य जिनके कार्य-स्थगन प्रस्ताव हैं, यदि वे अपनी बात कहना चाहते हैं, तो कह सकते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, हरिजनों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में मैंने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव हरिजनों के सम्बन्ध में है, जो मैंने दिया है। उस पर मेरे दस्तखत हैं। मान्यवर, यह प्रश्न तात्कालिक है। आज हरिजनों का उत्पीड़न किया जा रहा है। आज प्रदेश और देश में जनता पार्टी के मायने हरिजनों का उत्पीड़न, उनकी हत्या हो, लगाया जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि इस पर अवश्य विचार होना .....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे कृपया शान्ति बनाए रखें। इसमें सत्ता पक्ष के विधायकों की विशेष जिम्मेदारी है और मुझे आशा है वे शान्ति बनाए रखेंगे ।

(अत्यधिक शोर)

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, यदि आप सदन में शान्ति करायें, तो ही मैं बोलूंगा अन्यथा न बोलूंगा और न उनको ही बोलने देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

मेरी सदस्यों से प्रार्थना है कि वे शान्ति बनाए रखें ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) —

मान्यवर, हरिजनों के सम्बन्ध में आप कोई उपाय कराइए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

आप कृपया स्थान ग्रहण करें, आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री श्यामधर मिश्र --

मैं तो केवल यही कह रहा था कि आपने जो यह 4 दिन बाद...

श्री अध्यक्ष --

(श्री बांके लाल के खड़े होकर कुछ कहने पर) बांके लाल जी, अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री ऊदल --

मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष --

मैंने श्यामधर जी को अनुमति दी है। आप बैठें।

एक सदस्य --

एक बार भी आपने मौका नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष --

आप बैठें। (व्यवधान) श्यामधर जी बोलेंगे।

श्री श्यामधर मिश्र --

अध्यक्ष जी, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग बोलें, लेकिन आपका प्रयास निष्फल कर रहे हैं ये लोग। मैं तो एक प्वाइंट रखना चाहता हूं कि यह तात्कालिक क्यों है और तत्काल इस पर विचार क्यों होना चाहिए। मैं मेरिट्स पर नहीं जाता। मैं तात्कालिक महत्व की बात पर कह रहा हूं कि आप रोज-रोज अखबार की बात देख रहे हैं, यहां की नहीं, हर जिले की बात देख रहे हैं कि हर जिले में हरिजनों का उत्पीड़न हो रहा है और घाव पर नमक की बात क्या हो रही है कि उत्पीड़न भी हो रहा है और अधिकारी लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं और जनता पार्टी हरिजनों के विरुद्ध है, यही प्रदेश में इम्प्रेशन है, धारणा है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री श्यामधर मिश्र --

ये चुप हो जायेंगे तभी बोलूंगा वरना मैं इनको भी नहीं बोलने दूंगा...

एक सदस्य --

श्यामधर जी अपनी बात कह रहे हैं हरिजनों के.....

श्री अध्यक्ष --

आप अपना स्थान ग्रहण करें कृपया। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में मदद करें। माननीय नेता सदन से भी निवेदन करूंगा कि वे अपने दल के सदस्यों से शान्ति बनाए रखने के लिए कहें ताकि कार्यवाही सुचारु रूप से चले। मैं शासन पक्ष के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुसार, इस प्रक्रिया नियमावली के अनुसार विरोधी पक्ष को कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने का अधिकार है, वह उसका और भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें सब लोगों को धैर्यपूर्वक शान्ति के साथ, अगर अप्रिय बात भी हो तो उसे भी सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आपके विरोध पक्ष की संख्या केवल 71 है। आपको कहीं अधिक समय मिलेगा उन पर प्रत्याघात करने का, उत्तर देने का, आक्षेप करने का। आप उसका पूरी तरह से उपयोग करें और इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए रखने में आप कृपया मेरे साथ सहयोग करें और सदस्य केवल तभी बोलें जबकि मैं उनको अनुमति दूं और मैं पहले

ही निर्णय दे चुका हूं कि जब माननीय सदस्य बिला पीठ की इजाजत के बोलेंगे तो वह कार्य-वाही का अंग नहीं होगा। और मैं समाचारपत्रों के सभी संवाददाताओं को भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिसको मैंने अनुमति नहीं दी है उसकी बात का प्रकाशन भी नहीं किया जायगा ताकि समय बचे।

अब मैं माननीय श्यामधर मिश्र से कहूंगा कि वह अपना वक्तव्य शीघ्र समाप्त करें, क्योंकि कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बहुत संक्षिप्त में कहें ताकि मैं और आगे दूसरे प्रश्न ले सकूं।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं एक अन्तिम बात कह कर खत्म करूंगा। आपने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर जब बहस होगी उस समय मौका मिलेगा। हमारा अनुभव यह है कि ऐसे मौके पर जो बात कही जाती है वह फुटकर हो जाती है और माननीय मन्त्री लोग कह देते ह कि माननीय सदस्यों ने जितनी बातें कहीं हम उन पर विचार करेंगे। तो यह फिर विचार में चला जायगा और यह हरिजनों के उत्पीड़न की बात एक कहानी बनकर रह जायगी। इसलिए जो बात हो रही है उस पर तत्काल विचार होना चाहिए और यह जो कहते हैं कि इन्दिरा गांधी को बुलाओ, कांग्रेस पार्टी को बुलाओ यह इनके लिए बड़े शर्म की बात है। हमारी बात पर विचार करने के लिए तत्काल मौका देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) —

क्या सरमाएदारों के अखबार जो कल तक इमरजेंसी का पक्ष लेते थे अगर वह आज इस तरह की बातें छापते हैं तो क्या वह सदन में चर्चा का विषय हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष —

यह तो आपने बड़ा ही काल्पनिक प्रश्न किया है और यह अनिश्चित है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि अखबारों में छपा है, इन्दिरा गांधी का नाम लिया जाता है। तो क्या सरमाएदारों के अखबारों में जो निकला है वह चर्चा का विषय हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष —

श्री श्यामधर जी बोल रहे थे। उन्होंने अपनी बात कही। कोई पत्र प्रकाशित करना चाहता है तो प्रकाशित कर सकता है। मैंने अभी तक यह व्यवस्था नहीं दी है कि मैं इस प्रश्न को स्वीकार कर रहा हूं। अगर मैं स्वीकार करता तो आपको खंडन करने का अवसर मिल सकता था। जब गवर्नर का भाषण होगा तो आपको पूरा अवसर मिलेगा, अपनी बात कहने का।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ) —

आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को सिर्फ हवा में और हल्ला मचा कर टाल देना और इस पर गम्भीरता से विचार न करना जनतन्त्र की हत्या होगी। इस कुर्सी पर मेरे सामने बहुत व्यक्ति बैठ गए हैं। कल, परसों आप लोग इधर थे और ये लोग उधर बैठे थे। इधर-उधर बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह अपनी जगह सही है, या तो महात्मा गांधी का नाम न लो, जनतन्त्र का नाम न लो और कहो कि हम डिक्टेटर हैं, हम गरीब विरोधी हैं . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

मैं निवेदन करूंगा कि वह अपने प्रश्न तक ही सीमित रहें, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मैं मेरठ जिले में छपरौली क्षेत्र, बागपत तहसील, सरधना तहसील में हरिजनों के साथ और पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनके साथ आज क्या हो रहा वह मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा। अगर यह बातें गलत हों तो हमको सजा मिले नहीं तो यह सरकार .....

(कई आवाजें—यह सरासर झूठ है।)

श्री श्यामधर मिश्र—

हिटलर भी ऐसा ही कहता था।

एक सदस्य—

जितने भी जुल्म हुए हैं सब मन्जूर ने किए हैं...

(शोर—व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। कृपया शान्ति बनाए रखें।

श्री मन्जूर अहमद—

10 तारीख को चुनाव के समय वहां के प्रीसाइडिंग आफिसर, श्री कपूर ने केवल यह कहा कि अवैध वोट न डालें, इतना कहने पर उसको पीटा गया वहां के लोगों द्वारा। आप जांच करवा लें। वहां इतना तनाव है कि लोग टट्टी के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, छिलौरा गांव में यही स्थिति है।

श्री अध्यक्ष—

आप विस्तार में जा रहे हैं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। इस वक्त तो आप यह कह सकते हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। आप तशरीफ रखें, कृपया।

श्री मन्जूर अहमद—

श्रीमन्, भारत के गृह मन्त्री जो आजकल जांच मन्त्री हैं वे कृपया छपरौली क्षेत्र में जांच करवा लें, वहां कोई गैर जाट वोट डाल ही नहीं सकता अपनी मरजी के अनुसार आप खुद भुक्तभोगी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गैर जाट कोई अपनी मर्जी से वोट नहीं डाल सकता है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

*डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मैं कानपुर—देहात के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मैंने आदरणीय मुख्य मन्त्री जी से भी निवेदन किया था और उन्होंने मुझे खुशी है कि आश्वासन भी दिया है कि वे उस पर विचार करेंगे। प्रश्न यह है कि जिला कानपुर और कानपुर देहात को मिला दिया गया है। कहा यह गया है कि इससे मितव्ययिता होगी तथा प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से ऐसा किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे ग्राम विकास के कार्य में बाधा पड़ेगी। यह सही है कि कानपुर शहर हमारे देश और प्रदेश की गरिमा है। मगर देहात सब के सब आज भी उसी स्थिति में है जैसे कि 30 साल पहले थे। कानपुर-देहात में एक डिग्री कालेज है, जब कि शहर में 21 डिग्री कालेज हैं। कानपुर देहात में अब तक केवल 25 इण्टर कालेज हैं, शहर में 52 हैं। कानपुर की 16 लाख पापुलेशन है, उसमें केवल 21 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। स्टेट ट्यूबवेल्स 134 हैं। कोई बड़ी और मध्यम इंडस्ट्री नहीं है। 450 किलो मीटर्स रोड्स हैं। 24 बैंक ब्रान्चेज हैं। कोई अस्पताल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है। कोई मार्केटिंग सेन्टर नहीं है। म्युनिसिपल बोर्ड नहीं है। अमरहट लिफ्ट स्कीम खत्म हो चुकी है। पंचनदि योजना कार्यान्वित नहीं की गयी। पेयजल योजना और ग्रामीण उत्थान योजनाएं लागू नहीं की गयीं। 670 गांवों में लिंक रोड नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें। इस पर भाषण देने का कोई औचित्य नहीं है।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

आर्थिक दृष्टि से आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 अफसरों की तनख्वाहें नहीं बढ़नी हैं। 'ए' क्लास शहर में अगर रहेंगे तब उन पर ज्यादा खर्च होगा। कोई जरूरी नहीं है कि कलेक्टर बड़े बगले में रहे। वह मन्त्री के बराबर बंगले में भी रह सकता है। बिल्डिंग्स का कैपिटल इन्वेस्टमेंट फैजेज में किया जा सकता है। इस प्रकार यदि इसे शहर में मिला दिया जाता है तो निश्चय ही कानपुर देहात पिछड़े का पिछड़ा ही रह जायगा। यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी और सरकार कानपुर देहात के साथ अन्याय करेंगे तो मुझे विधान सभा से त्याग-पत्र देकर केवल यूनिवर्सिटी की ही सेवा करनी पड़ेगी। मेरा विश्वास है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी जोकि स्वतः ग्रामीण विकास करना चाहते हैं और उन्होंने ग्रामीण ग्राम्य विकास विभाग भी खोला है वह उस ओर ध्यान देंगे। मेरे साथ न केवल जनता ही नहीं, वरन् कानपुर देहात के समस्त विधायकों एवं 16 लाख जनता की भावनाएं जुड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

इन शब्दों के साथ मैं बैठ रहा हूं।

एक सदस्य—

मान्यवर, अगर आप आज्ञा दें, तो मैं भी कुछ कहूं कानपुर देहात के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष—

जब उसका अवसर आएगा तब उस पर विचार करेंगे।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव कल के छात्रों पर लाठी चार्ज के संबंध में दिया है।

श्री अध्यक्ष—

इसीलिए आपको अनुमति दिया है।

श्री देव कुमार—

मान्यवर, आपके माध्यम से शासक पार्टी के माननीय मन्त्रियों तथा माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आज सदन की स्थिति बिलकुल बदल गई है, जो काम आप इधर करते थे, अब वही काम उधर से कर रहे हैं। अगर आप सुनेंगे नहीं, तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि जो स्थिति आज इधर के लोगों की हुई है, वही स्थिति आपकी भी होगी। मान्यवर, अप्रैल के महीने से हड़ताल चल रही है। 72 घंटे से यह हड़ताल की जा रही है। सदन के परिसर के अन्दर जो स्थिति मैंने कल देखी वैसी स्थिति मैंने आज तक नहीं देखी थी। सन् 74 से मैंने वह स्थिति नहीं देखी है। मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या मुसीबत थी। आप उन छात्रों से बात तो कर लिए होते। मान्यवर, सदन के परिसर के अन्दर छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ है। मुख्य मन्त्री जी के कक्ष में जब छात्र गए तो मुख्य मन्त्री जी के कक्ष के अन्दर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और एक मन्त्री ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। यह नीति के विपरीत है।

श्री अध्यक्ष—

आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री देव कुमार—

बहुत सी जालिम सरकारें चली गयीं। अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपकी स्थिति वही होगी।

श्री अध्यक्ष—

आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर अभी तक मन्त्री जी ने या सरकारी पक्ष ने अपना कोई दृष्टिकोण नहीं रखा, न रखने का कोई अवसर है। इसलिए केवल आरोप लगाना, विस्तार में जाना, उस परिधि से बाहर जाना है। आपको केवल दलील यह देनी चाहिए थी कि इस प्रश्न की अहमियत क्या है? जब मैं आपको अनुमति दे देता तो आप विस्तार में जाते। आप शीघ्र ही इसको समाप्त करें।

एक सदस्य—

हम लोग बेचैन हैं। मुख्य मन्त्री जी अपनी मधुर भाषा में कुछ कहें। सबेरे से उन्होंने कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मेरे नाम से भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं उस वक्त क्या दूसरे माननीय सदस्य अपनी सीट पर खड़े रह सकते हैं? इस पर आप अपनी व्यवस्था दें?

श्री अध्यक्ष—

यह अनुचित है।

(कुछ सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

एक सदस्य—

श्रीमन्, इनसे कह दें कि आइना देखें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सत्य प्रकाश मालवीय ने जो प्रश्न किया वह उचित है। जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा है तो दूसरे माननीय सदस्य का बोलना उचित नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा —

[* * * * *]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

[* * * * *]

श्री अध्यक्ष—

एक दूसरे सदस्य बोल रहे हैं, आप बैठिए।

श्री राम आसरे वर्मा—

[* * * * *]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

नोट—[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री देव कुमार---

मान्यवर, तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रदेश और देश की जनता आपकी तरफ देख रही है। सदन के परिसर के अन्दर ऐसी स्थिति होगी और शासन का यह दृष्टिकोण रहेगा तो जनता में असन्तोष पैदा होगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके जन-भावना का आदर करें।

एक सदस्य---

मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं और स्वास्थ्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह से होगा तो मैं भी गोली खाने के लिए तैयार हूं। लाठी चार्ज सहन करने के लिए तैयार हूं। (छाती पर हाथ मारते हुए) मैं भी गोली खाने के लिए तैयार हूं .....

(शोर)

कल मुख्य मन्त्री के कार्यालय में विद्यार्थियों की बेइज्जती की गयी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझ पर गोली चलवाई जाय, लाठी चार्ज कराया जाय।

(शोर-मेजों को पीटने की आवाजें)

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल---

अध्यक्ष महोदय, हरिजनों के ऊपर अत्याचारों के विषय में जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव उठाया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पूरे प्रदेश में हरिजनों के ऊपर अत्याचार का दमन चालू हो चुका है। यह अत्याचार मेरठ, आगरा, खुर्जा आदि में हुए हैं। अभी-अभी आगरा में फिरोजाबाद में 40 हरिजनों के घर आग लगा दी गयी और सैकड़ों हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं। उनका अनाज जला दिया गया जिससे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है किन्तु प्रशासन मुंह बन्द किए हुए है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार हरिजन विरोधी सरकार है। हरिजनों को हर प्रकार से आतंकित किया जा रहा है।

(शोर)

आज हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में एक शब्द भी मुख्य मन्त्री जी ने नहीं कहा है। इसलिए इस प्रस्ताव पर विचार होना चाहिए नहीं तो 11 करोड़ की जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसमें बहुत ही असन्तोष व्याप्त हो जायगा।

श्री राम आसरे वर्मा---

कल अभी जो छात्रों पर अत्याचार हुए हैं वह बहुत ही दुखद घटना है। कुछ लड़कियां जो संघर्ष कर रही थीं वह होम्योपैथिक छात्राएं थीं उनकी चूड़ियां तोड़ डाली गयीं (शेम-शेम की आवाजें) पुलिस अधिकारियों ने लाठियां चलायीं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जनता पार्टी के सैकड़ों एम0एल0एज0 के दस्तखत उनके मांग-पत्र पर हैं किन्तु सरकार फिर भी हिम्मत नहीं कर रही है कि होम्योपैथिक के विद्यार्थियों की मांगें मानें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पास उनकी जो मांगें हैं उनकी लिस्ट भेज रहा हूं जिसको आप देख लें। उनकी मांगें हैं कि पृथक एक निदेशालय का गठन किया जाय तथा और मांगें हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव के बारे में मांग करता हूं कि उसे मंजूर किया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपके प्रक्रिया नियमावली के नियम 56, 57, 58, 59 और 60 में जो प्रक्रिया है उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि प्रत्येक कार्य-स्थगन प्रस्ताव को अलग-अलग लेना चाहिए था जिससे उस पर सम्बन्धित मन्त्री या मुख्य मन्त्री उस पर विचार करते और उसके बाद आप निर्णय देते। एक प्रक्रिया में एक दिन होता और अलग-अलग आप उस पर निर्णय लेते कि किस-किस को पहले लेना चाहिए था और किस को बाद में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस लिए प्रत्येक विषय पर आप सम्बन्धित मन्त्री से जानकारी प्राप्त कर लें फिर आप निर्णय लें।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में परम्परा यह है कि किस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में अध्यक्ष निर्णय करे। उस पर वाद-विवाद की आवश्यकता भी नहीं होती है और उसको माननीय सदस्यों को सूचित किया जा सकता था। लेकिन माननीय सदस्यों को अवसर मिले इसलिए मैंने यहां अनुमति दे दी वरना परम्परा माननीय श्यामधर जी भी जानते हैं। अनुभवी सदस्य हैं। संसद का नियम आप भी जानते है, मैं भी जानता हूं। कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर अध्यक्ष अपने कमरे के अन्दर निर्णय दिया करते हैं।

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर)

मैं बोल रहा हूं, आप खड़े हो रहे हैं। मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। इस सम्बन्ध में माननीय तिवारी जी ने ध्यान आकर्षित किया। यह सही बात है कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि इधर के पक्ष के लोग क्या कहते। माननीय तिवारी जी स्वयं जानते हैं कि गवर्नर के अभिभाषण पर या बजट पर माननीय सदस्यों को सभी प्रश्नों पर प्रकाश डालने का अवसर होता है। अब इन सभी प्रश्नों पर इतने विस्तार से प्रकाश डाला गया कि मुख्य मन्त्री जी और सरकार की जानकारी में वे सारी बातें आ गयीं जो आपको आन्दोलित करती हैं और जिसके बारे में आपको दुख हो रहा है। वे उनकी नोटिस में आपने ला दी हैं। वे उनके प्रति उदासीन नहीं हो सकते, सतर्कता बरतेंगे। गवर्नर के अभिभाषण पर आपको इन प्रश्नों पर विचार करने का अवसर मिलेगा। इसलिए मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत करता हूं।

श्री ऊदल—

आपकी व्यवस्था के विरुद्ध हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पांच मिनट के लिए सदन से वाक-आउट करते हैं।

(श्री ऊदल अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गए।)

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप व्यवस्था दे चुके हैं वह हमें मान्य है। मैं व्यवस्था को चुनौती नहीं देना चाहता। लेकिन एक परिपाटी यहां रही है और यह परिपाटी इसलिए रही है कि यह विकसित हुई है। पहले जो अध्यक्षों की रूलिंग रही है वह बाद को परिमार्जित और परिवर्द्धित हुई हैं, बाद में उनमें मिठास आया है। अगर कोई महत्व का विषय सामने आया हो जिसमें निश्चित तथ्य हों तो विधान सभा अध्यक्ष ने पहले उस तथ्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के मन्त्री से सूचना प्राप्त की है। अगर आपने अपने कक्ष में कुछ ऐसा कर लिया होता तो मैं प्रश्न न करता। लेकिन यहां आपने कृपा पूर्वक माननीय सदस्य को उनके प्रश्न के महत्व को मानते हुए अनुज्ञा दी और अब वह प्रश्न सदन के समक्ष आ गया। यह मर्यादा के अनुकूल होता कि जो सर्वाधिक महत्व के प्रश्न हैं उन पर मन्त्री जी से कुछ पूछ लें। हो सकता है कोई भिन्न बात मन्त्री जी कहना चाहें। जैसे हरिजनों पर अत्याचार का प्रश्न है। कुछ तथ्य भी माननीय सदस्य ने रखे। जो अभिभाषण दिया गया उसमें भी कुछ चिन्ता व्यक्त की गयी है और कुछ कदम उठाने की बात कही गयी है। लेकिन यदि आज मुख्य मन्त्री जी कहते तो कुछ प्रभावी ढंग से कहते और कुछ आश्वासन देते जिससे कि वाक-आउट करने का मौका न आता। सीतापुर के माननीय सदस्य गनेशी लाल ने कुछ बातों का उल्लेख किया शायद मुख्य मन्त्री जी कुछ कहना चाहें। इसी प्रकार कल विधान सभा के परिसर में लाठी चार्ज हुआ, उसकी बात है, बाहर की बात नहीं कहता। मुख्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में कुछ कहते। हम वाक-आउट की परिपाटी नहीं डालना चाहते, वह हम कम ही चाहते हैं। वाक-आउट की नौबत न आए इसके लिए मुख्य मन्त्री जी की ओर से दोनों विषयों पर आश्वासन मिल जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी का अनुभव भी है, वह स्वयं जानते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं तो सरकार का ध्यान आकर्षित होता है। अतः गवर्नर का अभिभाषण नहीं होता तो अवश्य जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना . . . .

(शोर)

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। यह विरोधी पक्ष के लिए अत्यन्त अनुचित है कि इस प्रकार का व्यवहार करें। आप सुनना नहीं चाहते। आपको थोड़ी मर्यादा रखना, समझनी चाहिए। कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर वाद-विवाद करने का अवसर मिल सकता था। मैंने इस प्रकार अपनी व्यवस्था दी। मुझे अत्यन्त दुख है कि कुछ लोगों ने बहिष्कार किया। माननीय मुख्य मन्त्री जी मौजूद हैं, स्वास्थ्य मन्त्री जी मौजूद हैं यदि उस पर कोई कहना चाहते तो मैं अवश्य अनुमति देता। इस सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि जितने भी प्रश्न आपने उपस्थित किए हैं उनका निर्णय एक या दो घंटे के अन्दर नहीं किया जा सकता। अभिभाषण के दौरान उस पर पूरे तौर से प्रकाश डालने का मौका मिलेगा लेकिन यदि कोई मन्त्री उस पर बोलना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

चूंकि, श्रीमन्, मुख्य मन्त्री और सरकार की ओर से कोई भी मन्त्री खड़ा नहीं हुआ, एक बार खड़े होने का प्रयास किया गया और यहां पर इतने प्रश्न हुए सरकार की ओर से, एक पर भी कुछ नहीं कहा गया इसलिए, वैसे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, खेद के साथ, सरकार के बेजुबान होने के कारण, सदन से दस मिनट के लिए वाक-आउट करना पड़ेगा।

(श्री नारायण दत्त तिवारी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गए।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1977†

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री . . . . .

पर्वतीय विकास उप मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से ऐसे विधेयक के विचार के लिए . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मन्त्री जी पहले प्रस्ताव पेश करें उसके बाद बोलें।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, इस बारे में चाहता था कि आज के नेता विरोधी दल और उस समय के मुख्य मन्त्री माननीय नारायण दत्त तिवारी जी सामने रहते क्योंकि वह जब स्वयं इस सदन के संसदीय कार्य-मन्त्री थे तब उन्होंने इस विधेयक को 1974 में पारित करवाया था लेकिन उन्हें कुछ अनुभव हुआ या उन पर कोई आदेश हुआ और उन्होंने मुख्य मन्त्री बन कर इस विधेयक को निरस्त करवाने की पहल की। यों 1956 में मान्यवर, स्वर्गीय फिरोज गांधी ने लोक सभा में एक प्रस्ताव किया था कि सदनों में जो कार्यवाहियां होती हैं उनके प्रकाशन में किसी तरह की कोई बाधा न हो लेकिन 8 दिसम्बर, 1975 का वह दिन था जब इस प्रकाशन की आजादी को छीना गया। बड़े अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि अगर यह आजादी छीनी न गई होती तो हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी चरण सिंह ने इसी सदन में, आपात् स्थिति में जेल से रिहा होने के बाद, जो सबसे ऐतिहासिक भाषण किया था, वह अखबारों में छपा होता लेकिन किसी भी अखबार में वह नहीं छप सका था। इस विधेयक के तीन मुद्दे हैं जिनको ले कर इस विधेयक

† 12 जुलाई, 1977 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री सत्य देव त्रिपाठी]
को मैं विचारार्थ पेश कर रहा हूं। सबसे पहला मुख्य लक्ष्य यह है कि इस सदन में बैठे हुए सदस्यगण 11 करोड़ प्रदेश की जनता के बारे में जो कुछ भी कहते हैं, उसका प्रकाशन उन तक पहुंचा सके ताकि जनता यह निर्णय कर सके कि जिनको उसने अपना जन-प्रतिनिधि चुना है, क्या वे इस लायक हैं और उनमें वह क्षमता है जो उनसे अपेक्षित थी और उन्होंने उसको गलत ढंग से गुमराह तो नहीं किया है और वे सारी चीजें जिनका वायदा करके वे सदन में पहुंचे हैं उनको पूरा करने का वे प्रयास कर रहे हैं।

मैं आपकी अनुमति से यह कहूंगा कि जिस क्रान्ति की शुरूआत 1977 में हुई है और भारत माता की बेड़ियां काट कर पहली बार विधान मन्डल का रिश्ता सड़क के आम आदमी से तथा झोपडी में रहने वाले मजदूर से जुड़ सके और यहां पर होने वाली सब बातों को उस तक पहुंचाने के लिए यह विधेयक पारित करना नितान्त आवश्यक समझा गया। अखबार वाले वे बातें जनता तक पहुंचा सकें और जनता यह महसूस कर सके कि पहली बार जनता की सरकार जनता के लिए काम करने के लिए संकल्पबद्ध है और कर रही है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, जो विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है मैं उसका अपनी तरफ से तथा अपने दल की तरफ से स्वागत करता हूं। हमने इस प्रदेश में पहले भी और आर0 के0 गर्ग साहब ने इस अधिकार के खत्म होने का विरोध किया था और संसद में भी इसका विरोध किया था। (व्यवधान) सबसे पहले फिरोज गांधी इस बिल को संसद के अन्दर लाए थे और दुख की बात है कि फिरोज गांधी की पत्नी ने ही इस बिल को समाप्त भी किया। लेकिन केवल बिल लाने से ही काम नहीं चलता। जब इन कुर्सियों पर बैठा आदमी उधर पहुंच जाता है तो नीयत बदल जाती है।

इस बिल की बड़ी तारीफ की जा रही है, लेकिन मैं सदन का ध्यान धारा 3 की उपधारा 2 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है "उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे विषय के प्रकाशन को संरक्षण प्रदान करती है जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए नहीं है।" आप जानते हैं कि यह लोक कल्याण अथवा जनहित के शब्द कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर सरकार समझेगी अमुक बात लोक कल्याण के लिए नहीं है तो अखबार वाले नहीं छाप सकते। कौन तय करेगा लोक कल्याण है या नहीं है? लोक कल्याण के शब्द इस बिल की आत्मा को कुंठित कर रहे हैं। इसके लिए आपने अधिकारियों को अधिकार दे दिया ताकि वे जनतंत्र का गला घोंट सकें। जिस शब्द का गलत इस्तेमाल हो सकता है मेरा निवेदन है कि आप उसे हटा दें। कौन नहीं जानता जब इमरजेन्सी लगाई गयी थी तो भी लोक कल्याण की बात कही गयी थी, जनहित का नाम लिया गया था। आप लोक कल्याण की बात रख कर अधिकारियों को इस धारा के जरिए ऐसी शक्ति दे रहे हैं जिससे इस बिल की मंशा स्वतः खत्म हो जाएगी। मैं मान्यवर, निवेदन करता हूं, माननीय मालवीय जी वकील हैं तो यह जो उपधारा लगाई गई है उसको समाप्त करें और इस बिल को पास किया जाय।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मुख्य मन्त्री जी की ओर से विधान मन्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक लाए हैं और यहां पर जिसे पेश किया है उसे पारित करने के सम्बन्ध में और उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अभी नेगी जी को मैंने सुना जो उन्होंने बयान दिया है उसको मैंने सुना। मुझे ताज्जुब और आश्चर्य है कि उनकी भाषा अभी ठीक नहीं हुई है। पिछले काले दिन हम लोगों को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

याद हैं जब इस विधेयक को पारित किया गया था। उस दिन इस सदन में जनता का रिश्ता जनता के प्रतिनिधियों से तो तोड़ दिया गया। सामान्य आदमी भी इस मुल्क में रहते हैं और उनके प्रतिनिधि भी कुछ कह सकते हैं उनकी जबान पर ताला लगा दिया गया। अखबारों का गला घोंट दिया गया, आजादी को दफना दिया गया और ऐसे जनतन्त्र की दुहाई जनतन्त्र के हत्यारे दे रहे हैं। कल तक जो जनतन्त्र का गला घोटने वाले थे वह आज जनतन्त्र की दुहाई देते हैं। वह दिन हिन्दुस्तान की जमहूरी हुकूमत में एक काला दिन था जिसे आज याद करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि जनता ने इस देश में क्रान्ति की वह जालिम सरकार वह नादिरशाही सरकार, वह तानाशाही सरकार हमेशा के लिए खत्म कर दी। एक नई क्रान्ति आई, एक नया इनक्लाब आया, जनता की सरकार बनी। हमारे घोषणा-पत्र में यह लिखा हुआ है और जनता सरकार बनने के बाद जो सबसे पहला काम उसने किया वह नागरिक स्वतन्त्रता उसने रिस्टोर कर दी और आज यह बिल आया है। इसका जितनी मजबूती से समर्थन किया जाय, थोड़ा है।

मैं चाहता हूं कि जो उधर बैठे हैं जिन्होंने किसी परिस्थिति में और किसी के इशारे पर दबे मन से इसे पास किया था आगे अवसर आ गया है इसका समर्थन करें। जैसा माननीय नेगी जी ने कहा यद्यपि उनकी नीयत साफ हो सकती है लेकिन हमें उस पर एक सुबहा पैदा होता है उनका रिस्ता उनके साथ पुराना है। 1942 का इतिहास देखने के बाद उनकी बातों पर सुबहा होता रहता है। जिस 'लोक कल्याण' की बात उन्होंने कही है तो मैं कहना चाहता हूं परिभाषा बदलती रहती है। लेकिन जनतन्त्र की परिभाषा एक ही होती है कि जनता का कल्याण किस में होता है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह एक पुराने सदस्य हैं, समझदार सदस्य हैं वह अपनी बात को वापस लें और सर्व-सम्मति से इसे पारित करें। हम तो माननीय नेता विरोधी दल से भी प्रार्थना करेंगे, वह हमारे पुराने नेता हैं, इस समय वह यहां पर नहीं है, यहां पर होते तो ज्यादा अच्छा रहता। जिस प्रतारण से और जिस बे-मन से उन्होंने उस वक्त यह बिल पास किया इस समय इसका समर्थन करते चाहे उस समय जिस विशेष परिस्थिति में उन्होंने पास किया हो, कहना चाहिए कि हमें इसका अफसोस है और इसे सर्वसम्मति से पास करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पास किया जाय।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक कोई नया नहीं है। आपातकालीन स्थिति लागू होने से पूर्व लाया गया था 1974 में जब कि जनता सरकार का जन्म नहीं हुआ था और जब कांग्रेस सरकार उन बेंचों पर बैठती थी...]

एक सदस्य—

दल बदलू हैं। (व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र—

सबसे बड़े दलबदलू चौधरी चरण सिंह किंग आफ डिफेक्टर्स हैं (व्यवधान)

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय श्यामधर मिश्र संसदीय परिपाटी के विज्ञ हैं और अच्छी तरह से वह जानते होंगे कि जो व्यक्ति इस सदन में मौजूद नहीं है, उसके विरुद्ध कोई भी आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं। उन्होंने यह बात कह कर एक अनाधिकार चेष्टा की है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो कुछ कहा है, उसे आप उनसे वापस लेने के लिए कहें, वह उसे वापस लेने की कृपा करें।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं वापस नहीं लूंगा। वह गृह मन्त्री हैं उनके बारे में मैंने कहा है और यह मैं कह सकता हूं। आप अपनी जबान पर भी लगाम लगावें, नहीं तो ऐसा ही जवाब दिया जायगा।

एक सदस्य—

[* * * *]

श्री श्यामधर मिश्र—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

जो सदस्य सदन में मौजूद नहीं हैं, उनके बारे में आप यहां नहीं कह सकते हैं और जिसे अपनी सफाई देने का अवसर नहीं है, उसके सम्बन्ध में आपको कोई आक्षेप नहीं करना चाहिए।

श्री श्यामधर मिश्र—

यह कोई आक्षेप नहीं है, असलियत है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

यह कोई व्यक्तिगत चर्चा नहीं है, ऐसे व्यक्ति की चर्चा है जो भारत का गृह मन्त्री है। उसका नाम लिया गया तो कोई बुरा नहीं किया गया। यह चौधरी चरण सिंह जी गृह मन्त्री हैं, उनका नाम ले लिया गया तो क्या गलत है? बाहर जो हंगामा हो रहा है, उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है . . . .

(व्यवधान) (श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री राजपति मिश्र तथा इन्द्रमणि बड़ौनी आदि सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलते रहे।)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

पहले आप सरकारी पक्ष के लोगों को शान्त करायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

आपके यहां दलबदलुओं की अब भी कौन सी कमी है, वह मन्त्री बने हुए हैं, जिहोंने कल तक 20 सूत्री कार्य-क्रम का समर्थन किया था। मैं किसी की धमकी में आने वाला नहीं हूं। मैं दबने वाला नहीं हूं, मैं जेल जाने से डरने वाला नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री सुन्दरलाल जी आप इस प्रकार का यदि व्यवहार करेंगे, तो सदन से निष्कासित करने के लिए मुझे बाध्य होना पड़ेगा . . .

श्री सुन्दरलाल दीक्षित—

श्रीमन्, मैं आपकी तो इज्जत करता हूं . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप सदन की मर्यादा रखें। मैं उनको चेतावनी देता हूं कि इस प्रकार का यदि वे पुन: व्यवहार करेंगे तो उन्हें सदन में रहने का अधिकार नहीं होगा। कृपया सदन की मर्यादा तो कायम रखें।

श्री श्यामधर मिश्र—

अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि जो आज विधेयक माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक इस तरह का नया नहीं, है कि यह कहा जाय कि इस सरकार ने पैदा किया है। बल्कि यह कानून 1974 में लागू किया गया था। हां, यह बात सही है कि आपात्कालीन स्थिति में इस कानून का लोप हो गया

नोट :—[****] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया है।

था। अब यह सरकार पुन :स्थापित करने जा रही है। लेकिन उद्देश्य और कारण पढ़ें जो बिल में दिया गया है उसमें कहा गया है---"वर्ष 1974 में राज्य विधान मन्डल की कार्यवाहियों की सारतः सही और विश्वसनीय रिपोर्टों के सद्भावपूर्ण प्रकाशन को विधि द्वारा विशेषाधिकार दिए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम; 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1974) अधिनियमित किया गया था।" यहां इस वाक्य में यह नहीं कहा गया है कि भूतपूर्व सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने किया था। आगे है---"आपात्कालीन स्थिति के दौरान उक्त अधिनियम को तत्कालीन सरकार द्वारा निरसित करा दिया गया था।" क्योंकि खराब बात है इसलिए उस सरकार को कहना है। "नयी सरकार की घोषित नीति है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखा जाय और प्रेस के विधान मन्डल की कार्यवाहियों के सारतः सही छापने के अधिकार को पुन : प्रतिष्ठापित किया जाय।" इस उद्देश्य और कारण को पढ़ने से ऐसी ध्वनि निकलती है कि केवल यह सरकार निकल कर तीस वर्ष के बाद आयी है, उभर कर आयी है जो सचमुच प्रकाशन के सम्बन्ध में ऐसा अधिकार दे रही है जो पहले नहीं था। आप देखिए, इन्हीं वाक्यों को ले लीजिए। इसकी विवेचना तीन वाक्यों में है। इसको संसद में फीरोज गांधी जी कांग्रेस में थे वह इस बिल को लाए थे। उसके पहले इस देश में प्रकाशन का संरक्षण नहीं मिलता था। तो तीन वर्ष पहले यहां संरक्षण मिला। केन्द्र में चार-पांच वर्ष पहले संरक्षण मिलने लगा।

एक सदस्य---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। फीरोज गांधी ने जो बिल पेश किया था। उनकी श्रीमती ने क्या किया ?

श्री श्यामधर मिश्र---

वह आप बताऐंगे। आपके हिस्से में कुछ रहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य चेयर को सम्बोधित करें।

श्री श्यामधर मिश्र---

उधर भी कहा जाय, तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने प्रश्न किया था।

श्री श्यामधर मिश्र---

मैं आपको सम्बोधित कर रहा हूं। श्रीमन् फीरोज गांधी ने केन्द्र में, संसद में पारित कराया देश भर के लिए, यह लागू हुआ 1974 में। थोड़ी सी दिक्कतें इस प्रदेश में आयीं थीं, कुछ केसेज हो गए थे। मैं बधाई देता हूं पहली सरकार को, 1974 की सरकार को, आज की सरकार को भी बधाई देता हूं। (व्यवधान) अब आप चुप रहें। उनको भी बधाई देता हूं। आज उन्होंने किया। यह चुप रहना सीखेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष---

शान्त रहें।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

इनकी निन्दा भी करनी चाहिए।

श्री श्यामधर मिश्र---

प्रकाशन के संरक्षण का विषय बहुत आवश्यक है। यह बिल, बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल में कोई प्राविधान होना चाहिए था।

[श्री श्यामधर मिश्र]

जो हम लोग बोलते हैं उसका सही माने में प्रकाशन हो और पूरा हो। पूरा का मतलब मेरा यह नहीं है कि पूरी प्रोसीडिंग का प्रकाशन हो, बल्कि जो बात कही जाए वह बिना तोड़-मरोड़े छापी जावे। आप देखें कि अखबार क्या करते हैं। कुछ अखबार चाहते हैं तो उनका आता है और जो नहीं चाहते हैं वह नहीं छापते हैं। इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सेलेक्शन का वह बन्द होना चाहिए। हमें विशेषाधिकार प्राप्त है और आपको भी प्राप्त है। हम जनता के हित की बात कर रहे हैं। आप भी जनता की बात कर रहे हैं। जहां पर अनपार्लियामेन्टरी नहो, जहां पर अध्यक्ष जी एलाऊ करें उसको प्रकाशित करने का अधिकार होना चाहिए और कोई विधि बननी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का जो ये ले आए हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं लेकिन इतना मैं कहता हूं कि हर सस्ती चीजों के लिए यह न समझें कि प्रजातांत्रिक होकर आसमान से उतर कर आए हैं। यह आसमान से उतर कर नहीं आए हैं। धन्यवाद।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर बोलना चाहता हूं। मुझे आज बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ता है कि जनता पार्टी की सरकार ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है वह कुछ लोगों को भला भले न लगे लेकिन हम लोगों को एक बार फिर बोलने की आजादी मिली है। जब मैं पैरोल पर निकला था और अपनी बात कह रहा था लेकिन उसको छपने नहीं दिया गया था। आज श्यामधर मिश्र जो बात कह रहे हैं, अगर उस समय का जमाना होता तो उनकी बात भी छप नहीं सकती थी। जो मैंने इस विधान सभा में बोला था। वह इसी विधान सभा की चहार-दिवारियों में कैद होकर रह गयी। जिस बिल की ओर श्यामधर मिश्र ने संकेत किया है वह 1974 में मेरे दल में थे और आज कांग्रेस की बेन्च पर बैठकर विरोध पक्ष की ओर से बोल रहे हैं। जब हम लोग जेल में थे तब उनका एक बयान निकला था जिसमें लिखा था कि सत्याग्रह की कोई जरूरत नहीं है। सरकार जो कर रही है वह ठीक ही कर रही है। हो सकता है कि मैं उस बात को ठीक उसी तरह से नहीं कह पा रहा हूं जैसी कि उन्होंने कही थी, लेकिन इसमें सच्चाई है। मुझे खुशी है कि आज कांग्रेस की तरफ से विरोधी पक्ष की ओर बैठकर जिन लोगों ने इस विधेयक को गलत साबित करते हुए 1975 में इमरजेन्सी के दौरान बोलने की आजादी जो विधान सभा के सदस्यों को है और अखबार वालों को है दिल्ली की हुकूमत के जरिए बन्द कर दिया। आज वह लोग भी इस बात के हामी हैं कि जो विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है वह सही है और उसकी ताईद कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज उन सभी लोगों को अफसोस होगा जिन लोगों ने बन्द जबान से विधान सभा के सदस्यों के बोलने की आजादी को छीन लिया था। विधान सभा में हम लोग बोलते थे तो उसको अखबारों को छापने की आजादी नहीं थी। उस माहौल में विधान सभा के सदस्य बोलते थे और जो जुल्म हो रहे थे और जो अत्याचार जनता पर हो रहे थे उससे सम्बन्धित एक शब्द भी अखबारों में नहीं छपने दिया जाता था। 1975-76 में जब चौधरी साहेब इस माननीय सदन के सदस्य थे और वो साढ़े तीन घन्टे और 4 घन्टे इमरजेन्सी के दौरान इसी विधान सभा में बोले थे और अखबारों में केवल यह पढ़ने को मिला था कि विरोध पक्ष के नेता, चौधरी चरण सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। एक ऐसे समय में जबकि पूरे देश में और प्रदेश में अन्याय का वातावरण था, उस समय थानेदार और तहसीलदार से लेकर जिलाधिकारी तक और पुलिस के बड़े-बड़े अफसर तक और सरकार के बड़े-बड़े पदाधिकारियों ने ऐसे जुल्म किए कि अगर उनको दुहराया जाय, उस कहानी को यहां दुहराया जाय तो कुछ लोगों के आंसू निकल जायेंगे और जबान रुक जाएगी। ऐसे समय में यहां पर माननीय सदस्यों ने अपनी जुबान बुलन्द की लेकिन जनता तक उनका एक शब्द भी नहीं जा पाया। किसी भी देश में विधान सभा को समाज का दर्पण होना चाहिए और जनता की जो आवाज है, जो जनता की आकांक्षायें हैं, उनकी अभिव्यक्ति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभाओं और लोक सभा के अन्दर होनी चाहिए और जब माननीय सदस्य जनता की भावनाओं की जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा तो ऐसी स्थिति में लोकतन्त्र की हालत इतनी बिगड़ जायेगी कि इसका अन्दाज कुछ लोगों को अब लगा है जिनके हाथ में सत्ता थी लेकिन उनकी क्या हालत हुई है, जिन्होंने 19 महीनों में उस दमन को और बरबर अत्याचार को झेला है। आज कुछ लोग इशारा कर रहे थे कि अगर जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा ही किया तो उसकी भी वही हालत होगी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार की हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी का जन्म अन्याय के विरुद्ध लड़ते हुए जेल के अन्दर हुआ है, कोख से नहीं हुआ है। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि जनतन्त्र की क्या मान्यताएं होती हैं, जनतन्त्र में किस प्रकार से संघर्ष किया जाता है, इसकी शिक्षा वे लोग हम को नहीं दे सकते हैं जिन्होंने जनतन्त्र की हत्या अपने हाथों से की है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को और जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूं और प्रदेश की 10 करोड़ जनता से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाकर फिर से ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जनता के प्रतिनिधि विधान सभा में बोल सकें और अपनी बात को कह सकें और वह जनता के कानों तक पहुंच सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन इसे पूर्ण सहमति देकर निर्विरोध रूप से पारित करेगा।

सूचना राज्य मन्त्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस विधेयक को लाकर प्रेस को जो आजादी दी है, इससे हम आज बहुत खुश हैं और अधिक अच्छा होता यदि प्रेस को बहुत पहले यह आजादी दी गई होती। आज जो ये प्रेस की ताकत को समझ रहे हैं, उनको इसके लिए मैं बधाई देता हूं। इस सम्बन्ध में मुझे एक दोहा याद आता है :—

"निन्दक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय,
बिनु पानी, साबुन बिना निर्मल करे सुभाव।"

इससे अगर सरकार की कुछ बुराइयां होंगी तो प्रेस आजाद होगा कि वह इन बुराइयों को सामने रख सके। प्रेस को संरक्षण देने के लिए जो बिल पेश किया गया है उसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं। इसके साथ-साथ विरोध पक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने इस बारे में कुछ सवाल उठाए हैं, उनको भी बधाई देता हूं, क्योंकि अब वे प्रेस की आजादी, प्रेस के महत्व को वे समझ गए हैं।

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष जी ....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल, आप बोलना चाहें, तो बोलिए।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपातकालीन स्थिति से सम्बन्धित कार्यवाहियां जो हो रही हैं उसी क्रम में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक, जो सही पृष्ठभूमि है उसके अन्तर्गत इस पर विचार होना है और इसका समर्थन भी करना है। मैं अपने नौजवान युवक सदस्य, वाराणसी, जिनके विचारों का मैं बड़ा आदर करता हूं और जिनकी धारा-प्रवाह वक्तृता को श्रवण करने का पहले भी हम सुअवसर प्राप्त हुआ है, मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने पूर्व क्रम के अनुरूप आज यहां पर सारगर्भित भाषण दिया। मैं समझता हूं कि जो अपने वाक्य वाणों से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी---]
तर्क के प्रहार अगर इस प्रकार सदन में किए जायं तो वह खलता भी नहीं है, उससे सबक भी मिलता है और बातें भी कही जा सकती हैं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार का आज उदाहरण हमारे सम्मानित सदस्य, वाराणसी ने अपने युवकोचित भाषण से दिया है, हम सब उसी परम्परा के आधार पर इस सदन को चला सकेंगे।

श्रीमन्, माननीय सदस्य, ज्ञानपुर, श्यामधर जी मिश्र ने जो इस विधेयक के समर्थन में कुछ बुनियादी बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया, मैं मुख्य मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इसी परिपेक्ष में इस विधेयक की सार्थकता को मापें। पहली बात तो यह है कि मुझे आग्रह पूर्वक निवेदन करना है कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखने से इस विधेयक का सीधा सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि यह विधेयक विचार अभिव्यक्ति से सम्बन्ध नहीं रखता। यह तो विधान सभा में जो भाषण दिए जायं, जो यहां की कार्यवाहियां होती हैं, उसका बाहर प्रकाशन अगर हो तो प्रकाशन करने वालों को कुछ कानूनी संरक्षण भी हो। तो मैं अवश्य आग्रह करूंगा, क्योंकि मुख्य मन्त्री जी के नाम से उद्देश्य और कारण इस विधेयक में प्रकाशित हैं, कि इस समय इस विधेयक की परिधि और वास्तविक उद्देश्य और कारणों की परिधि को लांघते हुए इसके उद्देश्य घोषित किए जा रहे हैं। यह स्पष्ट है कि विधान किसी विधेयक के उद्देश्य और कारणों का संशोधित नहीं करती। अगर ऐसा होता तो हम कोई भी संशोधन ला सकते थे और विचार अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में संशोधन ला सकते थे कि यह जो बात कही गयी है यह इसकी परिधि के अन्तर्गत नहीं है। लेकिन जब इसको अधिनियम का रूप दिया जाय तो उस समय इसकी परिभाषा को परिमार्जित और ठीक कर लिया जाय।

अब प्रश्न यह उठता है कि हम इस विधेयक के माध्यम से क्या अधिकार देने जा रहे हैं। जो फीरोज गांधी ऐक्ट, 1956 में लोक सभा में पारित हुआ था, हम उसको दोबारा अधिनियमित कर रहे हैं और उसके आधार पर अगर कोई समाचार-पत्र यहां की सारत : सही रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो कोई भी डिफेमेशन की, किसी प्रकार की उनके ऊपर प्रकाशन करने में कार्यवाही नही होगी। हम यही संशोधन कर रहे हैं और यह मैं समझता हूं कि वर्तमान पृष्ठभूमि में सर्वथा उचित है। केवल इसमें दो एक बातें बाधक हुई हैं। शायद जल्दी में इसको ध्यान में नहीं लाया जा सका। मैं चाहूंगा कि इस पर फिर से विचार कर लिया जाय, क्योंकि "लोक-कल्याण" शब्द की परिभाषा नहीं की गई है। श्रीमन्, इस विधेयक की धारा 3 की उपधारा 2 में यह कहा गया है कि "उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे विषय के प्रकाशन को संरक्षण प्रदान करती है जिसका प्रकाशन लोक-कल्याण के लिए नहीं है।" जिस उद्देश्य के लिए यह लाया गया है उसके विपरीत यह उपधारा जाती है क्योंकि लोक कल्याण की परिभाषा नहीं दी गयी। इस विधेयक में यह स्पष्टता नहीं है। तो इसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि लोक कल्याण क्या है, नहीं तो यह विधेयक अधूरा रह जाता है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में पहले भी ठीक से विचार नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि अब इस स्तर पर अवश्य विचार हो जाना चाहिए चाहे दूसरा अधिनियम लाया जाय।

मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस एक तरह से हमारी आचार संहिता है क्योंकि हमारे प्रिविलेजेज वही हैं जब तक हम उन्हें कोडिफाई नहीं करते। जो ब्रिटेन का इतिहास है उसे हम जानते हैं। वहां पर पहले से बिना हाउस की आज्ञा के कोई प्रकाशन हो नहीं सकता था। लेकिन धीरे-धीरे इस बात के महत्व को समझाया गया कि सारी जनता को जानकारी होनी चाहिए कि सदन में क्या हो रहा है और अब वहां प्रकाशन की जो मूलत: सही है, पूरी छूट है। हमारे इंडियन पेनल कोड में डिफेमेशन को रोकने के लिए अगर कोई इस तरह का प्रकाशन होता है धारा 499 में प्राविधान किया गया है तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह आग्रह करूंगा कि जो यह विधेयक लाया जा रहा है इसके महत्व को सार्थक करने के लिये धारा 3 की उपधारा (2) में लोक कल्याण की परिभाषा होनी चाहिए। इस पर पुन : विचार होना चाहिए।

पहले भी इस पर ठीक से विचार नहीं हो सका। मैं समझता हूं कि अब अवसर आया है कि इस पर विचार होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

अध्यक्ष महोदय, जो बिल यहां प्रस्तुत किया गया है, वह अपने आप में पूर्ण है। उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह माननीय विरोध पक्ष के सदस्यों को जिनकी तरफ से कुछ बातें कही गयी हैं, मैं जानता हूं कि उन्हें सारी बातों की जानकारी है क्योंकि उनके ही द्वारा प्रेस की स्वतन्त्रता पर कुठाराघात किया गया था और इस बात को ही ध्यान में रख कर जनता पार्टी की जो निश्चित नीति है उसके आधार पर लोकतन्त्र में विश्वास रखते हुए कि अगर विधान मन्डलों के अन्दर जो कार्यवाहियां होती हैं उस पर रोक लगी रहती है तो जनता उस कार्यवाही की जानकारी से वंचित रह जाती है। इस बात को ध्यान में रख कर यह बिल लाया गया है।

जो यह चर्चा की गयी कि लोक कल्याण शब्द की व्याख्या की आवश्यकता है, मैं समझता हूं कि तिवारी जी जो हमारे विरोधी दल के नेता हैं, वह अच्छी तरह से जानते हैं कि लोक कल्याण क्या है और लोक कल्याण को ध्यान में रख कर ही यह बिल लाया गया है और जो सारे तर्क यहां आए हैं उनका कोई महत्व नहीं है। आपात् स्थिति खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने जो निर्णय दिया है, उसके आधार पर जो आज यह होने जा रहा है, जनता की भावनायें हैं, प्रेस पर जो आघात पिछली सत्ता द्वारा किए गए थे, उनको समाप्त करने के लिए यह क्रान्तिकारी बिल लोक कल्याण की परिभाषा में लाया गया है।

इसलिए यह बिल अपने आप में पूर्ण है, मुझे विश्वास है कि यह सदन इसे पारित करेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड—2

2—इस अधिनियम में, "समाचार-पत्र" का तात्पर्य किसी ऐसी नियतकालिक परिभाषा मुद्रित कृति से है जिसमें सार्वजनिक समाचार अथवा सार्वजनिक समाचार पर टीका-टिप्पणी अन्तर्विष्ट हों।

श्री अध्यक्ष—

चूंकि इस विधेयक के खंडों में कोई संशोधन नहीं है इसलिए मैं इस पर मत लेता हूं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

खंड 3 का जो उपखंड 2 है उसको अलग से मत के लिए कृपया प्रस्तुत करें। उसे अलग से ले लें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खंड 3

विधान मण्डल की कार्यवाहियों की रिपोर्टों के प्रकाशन का विशेषाधिकृत होना

3--(1) उपधारा (2) में अन्यथा उपबन्धित से सिवाय, कोई व्यक्ति, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के किसी सदन की किन्हीं भी कार्यवाहियों की सारतः सही रिपोर्ट के किसी समाचार-पत्र में प्रकाशन अथवा किसी समाचार-पत्र में प्रकाशन के हेतु किसी समाचर एजेन्सी द्वारा सामग्री के प्रदान के, सम्बन्ध में किसी न्यायालय में, किन्हीं सिविल अथवा दाण्डिक कार्यवाहियों के लिए, तब तक उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि प्रकाशन विद्वेष से किया गया साबित न हो जाय।

(2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे विषय के प्रकाशन को संरक्षण प्रदान करती है जिसका प्रकाशन लोक-कल्याण के लिए नहीं है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी ---

इसके उपखंड (2) को निकाल दिया जाए, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आपने संशोधन तो दिया नहीं है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

यह खंड 3 के उपखंड 2 को निकालने के लिय कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप विरोध करना चाहते हों, तो कहिए।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी ---

अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो वास्तव में अपना स्पष्टीकरण इसके बारे में दिया वहां कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लोक कल्याण शब्द का स्कोप बड़ा ही वाइड है। उसकी परिभाषा सरकारों के साथ बदलती रहती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको सीमित किया जाए, कोई गाइड लाइन दी जाए जिससे इसकी परिभाषा व्यापक न बनायी जा सके। इसलिए मैं चाहता हूं माननीय मन्त्री जी इससे उप खंड (2) को वापस ले लें।

*श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी की बात को बड़े ध्यान से सुना और ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे इस विधेयक के माध्यम से सेन्सरशिप को खत्म किया जा रहा है वह तो इमरजेन्सी का ही एक हिस्सा थी। इमरजेन्सी के साथ ही वह समाप्त हो गयी। जहां तक विधान सभा की कार्यवाहियां के प्रकाशन का सवाल है, वह पहले भी होती रही हैं और हुई हैं। पार्लियामेन्टरी में तथा दूसरी जगह भी होती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह कोई सेन्सरशिप समाप्त करने वाला विधेयक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि यह जो शब्द लोक कल्याण है इस पर विचार होना चाहिए। पब्लिक इन्टरेस्ट में तो उसके नाम पर हर बुरा भला काम हो सकता है. ...(व्यवधान) जब आप इसमें सुधार ही कर रहे हैं तो इस पर विचार होना चाहिए और आगे के लिए इसे खुला रखना चाहिए। इसलिए मैं भी उपखंड (2) का विरोध करता हूं।

श्री राम नरेश यादव---

अध्यक्ष महोदय, यह जिस प्रकार से लोक कल्याण शब्द का प्रयोग किया गया है और यह भी नेता विरोधी दल की तरफ से स्वीकार किया गया है, यह बहुत ही वाइड टर्म है। मैं मानता हूं वाइड टर्म है और इसीलिए लोक कल्याण जब कि हम लोक कल्याण की चर्चा करते हैं तो यह लोक के लिए ही है और जब लोक के लिए ही है तब फिर इसमें कोई सन्देह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—
जनता पार्टी के लिए नहीं होनी चाहिए।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—
जाकी रही भावना जैसी।

श्री राम नरेश यादव—
यह जिस तरह से है उसी रूप में पास होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि खण्ड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड—4

4—यह अधिनियम किसी प्रसारण स्टेशन द्वारा व्यवस्थित किसी कार्यक्रम अथवा सेवा के भाग के रूप में बेतार टेलीग्राफी के माध्यम से प्रसारित रिपोर्टों अथवा सामग्रियों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों अथवा सामग्रियों के सम्बन्ध में लागू होता है। **विधान मण्डल की कार्यवाहियों के बेतार टेलीग्राफी द्वारा प्रसारण पर भी अधिनियम का लागू होना**

श्री अध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि खण्ड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड—5

5—यह अधिनियम उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भी लागू होगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि पर किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन हों। **विचाराधीन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में लागू होना**

श्री अध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि खण्ड 5 इस विधेयक का अंग माना जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1977

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियों की रिपोर्टों के प्रकाशन को संरक्षण देने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1977 कहलाएगा। **संक्षिप्त नाम तथा विस्तार**
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1977 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1977 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977 †

*राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि सारे सदन के माननीय सदस्यों की तरफ से उसका स्वागत होगा। यह सभी को पता है कि ऋणदाताओं की ओर से ऋणियों के ऊपर जो कर्ज भार था उससे उन लोगों का बहुत शोषण किया जाता था। यहां तक कि पुश्त दर पुश्त इस कर्जे के कारण गरीब वर्ग के लोगों को जबरदस्ती काम करना पड़ता था। सूद इतना अधिक लेते थे कि ऋणियों को जीवन भर कर्जे से मुक्ति नहीं मिल पाती थी। इसलिए आवश्यकता थी कि इन लोगों को कर्जे से राहत दिलायी जाय और कर्जे से गरीब वर्ग के लोगों को मुक्ति मिले। इसीलिए एक अध्यादेश प्रस्थापित किया गया और उसकी अवधि 6 मई, 1977 को समाप्त होने वाली थी इसलिए दोबारा द्वितीय अध्यादेश 5 मई को प्रस्थापित किया गया। इस अध्यादेश की अवधि 23 जून, 1977 को समाप्त हो रही थी इसलिए यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें भूमिहीन कृषकों, सीमांत कृषकों, शहरी मजदूरों, शिल्पियों को ऋण से मुक्त करने की व्यवस्था है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मन्त्री जी, जरा ऐसे बोलिए कि हम लोग समझ सकें। हम सुन भी नहीं पा रहे हैं।

एक सदस्य—

कानों का इलाज कराइए।

श्री शारदा भक्त सिंह—

अगर समझ नहीं रहे हैं तो मुश्किल है, मैं अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। इससे लघु कृषकों को, सीमांत कृषकों, शिल्पियों आदि को बहुत मदद मिलेगी। यदि वह दूनी रकम का भुगतान कर चुके हैं तो वह ऋण समाप्त माना जायगा। इसी तरह से इसमें प्राविधान है कि उन पर सिविल कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं होगा। इसी तरह से अन्य प्राविधान हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे लाभदायक और उपयोगी विधेयक का सारा सदन समर्थन करेगा। इस पर आप विचार करें।

---

†12 जुलाई, 1977 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित किया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(इस समय 1 बजकर 44 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि यह बिल पिछली सरकार इस सदन के अन्दर लायी थी। हम समझते थे कि इसके अन्दर जो थोड़ी कमियां हैं जनता पार्टी की सरकार ऐसी कमियों को दूर करेगी। मान्यवर, कृषकों की ऋण मुक्ति की बात कही गयी, सही है, ठीक है। बड़ा अच्छा कदम है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बिल की जो धारा 25 के अन्दर छूट दी है, सरकारी कर्जे फिर भी वसूल होंगे। बैंक के कर्जे फिर भी वसूल होंगे, जिला परिषद् की अगर कोई चीज है तो फिर भी वसूल होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वाकई में इस प्रदेश के गरीब मजदूरों को, लघु कृषकों को, सीमान्त काश्तकारों को जिनकी हैसियत नहीं है कि वह कर्ज दे सकें तो आप सरकारी कर्जे क्यों वसूल कर रहे हैं? मान्यवर, माननीय सदस्य जानते होंगे कि सरकार कर्जा सबसे ज्यादा छोटे किसानों से वसूल कर रही है। धनी किसान पटवारी से मिलकर, राज्य कर्मचारियों से मिलकर अपना काम बना लेते हैं। लेकिन लघु कृषकों के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जे की वसूली चल रही है, बावजूद सूबे में बहुत जगहों पर उनकी हालत ठीक नहीं है। इसलिए मन्त्री जी आश्वासन दें कि जो उनको तमाम समस्याओं से मुक्ति दे रहे हैं तो उनको सरकारी कर्ज से भी मुक्ति दें। इसके पहले जब आप लोग इधर विरोधी दल में थे तो कहते थे कि सरकारी कर्जे से छोटे किसानों को मुक्ति दें तो उधर अब आप आ गए हैं तो उनको सरकारी कर्ज से मुक्ति देने का आश्वासन दें। आपने साहूकारी कर्जे से मुक्ति उनको दे दी है लेकिन हरिजन व छोटे किसान अब कर्ज लेने कहां जायेंगे? बैंक कर्जा नहीं दे रहा है चूंकि जमानत नहीं है। अनुदान उनको नहीं मिलता है चूंकि उनकी पहुंच नहीं है और सरकारी अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। इसलिए मैं मालूम करना चाहता हूं कि अब तो आप सरकार के अन्दर आ गए हैं तो जो आपने वायदे किए थे उनको कहां से कर्जा मिले, उसके लिए क्या आपने प्रबन्ध किया है? सरकारी संस्थाओं ने कर्जा देना बन्द कर दिया है। तो इसके विकल्प में आपने क्या व्यवस्था इस बिल में रखी है, यह मैं पूछना चाहता हूं।

इस बिल में आपने लघु कृषकों को ऋण की मात्रा को घटा कर रखा है। इस विधेयक के लागू होने के 40 दिन के अन्दर उनको दरख्वास्त देनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक नियम बने नहीं हैं। मन्त्री जी को तजुर्बा है कि डेलीगेटेड कमेटी में 2-2 साल नियम बनाने में लग जाते हैं और फिर भी नहीं बनते हैं। आपने पाबन्दी लगा दी है कि 40 दिन में दरख्वास्त देनी पड़ेगी यदि 40 दिन में नियम नहीं बने तो क्या होगा? तो आप जो रिलीफ देना चाहते हैं वह आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्राविधान नहीं रखा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में जो नियम बनावें वह शीघ्रातिशीघ्र बनावें जिससे उनको राहत मिल सके।

*श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो यह बिल आया है आमतौर से इसका हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन इसमें बहुत कमियां हैं। साहूकारी कर्जे से गरीब लोगों को मुक्ति दिलाने का जिस प्रकार इसमें प्राविधान किया गया है उससे इन धाराओं से उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है। आज भी जोर जबर्दस्ती के जरिए कर्जा वसूल किया जा रहा है और इसका जो कानून पहले बना था, वही लागू है। हरिजनों से जोर जबर्दस्ती से कर्जा वसूल किया जा रहा है। कानून में उनको संरक्षण दिया जाता, इसकी कोई बिल में व्यवस्था नहीं की गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सजीवन]

आप कह सकते हैं कि वह अदालतों में जायं, थानों में जायं और रिपोर्ट करें, लेकिन वहां भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और जबर्दस्ती मार-मार कर उनसे कर्जा वसूल किया जा रहा है। मैं आपसे बता देना चाहता हूं, यह कोई दलगत सवाल नहीं है। पूरा सदन इस भावना का है कि साहूकारी कर्जे के शोषण से गरीबों को मुक्ति मिलनी चाहिए और इसीलिए यह सदन इस विधेयक का समर्थन करता है। लेकिन जबसे जनता पार्टी का शासन आया, मैं नहीं कहता कि आप सब लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, देहातों के अन्दर यह भावना पैदा की जा रही है कि अब तो जनता पार्टी का राज्य है, डेढ़ हाथ की पनहीं रखे हैं और मार-मार कर वसूल करेंगे। इस तरह की भावना पैदा की जा रही है। मेरा सरकार से और पूरे सदन के माननीय सदस्यों से एक निवेदन है कि यह जो इस भावना का प्रचार किया जा रहा है इससे इस कानून को तोड़ने का बल मिल रहा है, इसका विरोध हम आप सबको मिल कर करना चाहिए, उसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि जो बड़े-बड़े सामंत लोग देहात के अन्दर हैं यदि वह अत्याचार करते हैं तो माननीय सदस्य उनको प्रोत्साहित करें और वह प्रोत्साहित होकर और सरकार का संरक्षण पाकर गरीब लोगों और हरिजनों पर अत्याचार करें। हम आप यदि इसका विरोध करने का संकल्प करके जायं तो सही माने में इस विधेयक की भावना का आदर होगा और गरीब व निर्धनों की रक्षा हो पायेगी। धन्यवाद।

*श्री देवकुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का इस बात के लिए अभिनन्दन करना चाहता हूं कि जिस ऐतिहासिक सन्दर्भ में इस बिल को लाया गया है, उससे इस प्रदेश की गरीब जनता को राहत मिलेगी। जिस क्रम में यह बिल लाया गया उसका आरम्भ 2 अक्तूबर, 1975 को बहुगुणा सरकार ने किया था। जब यह बिल सदन में आया तो हमने इसका स्वागत किया था और यह कहा था कि कर्जा मुक्ति के साथ-साथ कर्जा देने की भी प्रभावशाली व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक आज भी अधूरा है। चाहे कुछ दिन बाद ही इस विधेयक को मन्त्री जी लाते लेकिन इसको सर्वांगपूर्ण होना चाहिए था। क्योंकि यह बड़ा क्रांतिकारी कदम था जिसका हमने स्वागत किया था। हजारों वर्षों से कर्जा वसूली की जो परम्परा थी, उससे राहत देने के लिए यह एक कदम उठाया गया जो अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था, लेकिन वह कदम आज भी अधूरा है। 2 अक्तूबर, 1975 को अध्यादेश पारित होने के बाद गांव में साहूकारों ने लोगों को कर्जा देना बन्द कर दिया। वही स्थिति आज भी है। पिछली सरकार ने भी कोई प्रभावशाली व्यवस्था नहीं की थी और आज भी वह व्यवस्था इसमें नहीं दिखलाई पड़ती। मैं माननीय मन्त्री जी को सूचित करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने भूमिहीनों को पट्टे दिए और माननीय तिवारी सरकार ने उनके लिए कर्जे की व्यवस्था की थी। लेकिन इस सरकार के जरिए कोई कदम नहीं उठाया गया और न ही इस विधेयक में कोई प्राविधान है। इसलिए जोरदार शब्दों में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक अधूरा है। हो सकता है सरकार हमारे संशोधनों को स्वीकार न करे लेकिन इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। यदि आपकी मंशा है कि वास्तव में इस विधेयक की भावना का आदर हो और जनता का भला हो, कोई प्रभावशाली व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ-साथ मान्यवर, एक चीज की ओर माननीय मन्त्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, छोटे किसानों और सीमान्त किसानों के लिए कर से मुक्ति दिलाने का प्राविधान है, लेकिन शहर के अन्दर या गांव के अन्दर बहुत से ऐसे छोटे कर्मचारी रहते हैं जिनकी तनख्वाह बहुत कम है, जिनकी स्थिति खेतिहर मजदूर, छोटे किसानों से बेहतर नहीं है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए और उनको भी कुछ राहत देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय नेगी जी ने इस में धारा 25 की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं भी उनकी राय से बिल्कुल सहमत हूं। जब आप इस बात को घोषित करते हैं कि कोई व्यक्ति कर्जा देने की हैसियत में नहीं है और उसे मुक्ति दिलाना चाहते हैं तब आप सरकारी कर्जों को किस सिद्धान्त के आधार पर वसूल करना चाहते हैं ? मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि सहकारी विभाग में कितनी धांधली है। बहुत से कृषकों के नाम पर सहकारी समिति से लोगों ने कर्जा ले लिया। मैं अपने जिले बांदा की बात जानता हूं। वहां पर सहकारी बैंक से फरजी कर्जे लिए हैं और कृषकों से वसूली हो रही है। उसका स्थगन भी नहीं हो रहा है। सरकार को ज्ञापन भी दिया गया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इस कारण जनता में भयंकर असन्तोष और दिक्कत पैदा हो गयी है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सुनियोजित नीति बनानी चाहिए और सरकारी कर्जों से मुक्ति दी जानी चाहिए।

मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे इस प्रदेश में क्षेत्र हैं जहां पर सूखे का प्रभाव था, बाढ़ का प्रभाव था और अवर्षण का प्रभाव था, लोगों के लिए खाने को नहीं है लेकिन किसानों की कुर्की की जा रही है, लोगों के जानवर बन्द किए जा रहे हैं, उन्हें कर्जे की वसूली के लिए बन्द किया जा रहा है। मैं अपने ही क्षेत्र की समस्या को जानता हूं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि अविलम्ब इस चीज को रोका जाना चाहिए और जो फरजी कर्जों की शिकायत है, उन लोगों का पता लगाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाना चाहिए, उसकी जांच हो। मेरा यह भी निवेदन है कि जहां भी इस प्रकार की शिकायतें हों वहां के कर्जे की वसूली रोकी जानी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए या उनके खिलाफ यदि कोई आई0 पी0 सी0 के अन्दर प्रावीजन हो तो उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए।

एक बात की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपने यह कहा है कि अधिनियम लागू होने के कुछ दिन बाद यह घोषणा करें कि किस के ऊपर कितना कर्जा है। इस प्रदेश के अन्दर इतनी दबी हुई जनता है, बहुत से साहूकारों या सामन्त लोगों से कर्जा ले रखा है। ये लोग किसी के विरुद्ध अर्जी नहीं दे सकते हैं कि फलां आदमी उन से कर्जा वसूल करना चाहता है। आपको उन्हें राहत देने के लिए कोई जांच अधिकारी नियुक्त करना चाहिए या पूरे प्रदेश में कोई कमीशन नियुक्त कर के पता लगाइए कि इस प्रदेश में कितने लोगों पर कर्जा है जिसकी नाजायज वसूली की जा रही है और जिसे आप मुक्त करना चाहते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो केवल कानून बना देने से आपकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह विधेयक पूरे सदन द्वारा अभिनन्दनीय था, आज भी है और इसकी भावना को पूरा करने के लिए सरकार भरसक प्रयास करेगी।

*श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी (जिला मुरादाबाद)---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो बिल रखा है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने इसके बारे में कई शंकायें व्यक्त की हैं परन्तु वह यह बात भूल गए कि जब यह बिल उनकी सरकार ने प्रस्तुत किया था उस समय बहुत सारे मुद्दे मैंने उठाए थे और यह बतलाया था कि गरीब किसान व मजदूरों को ऋण मिलने की आप कोई दूसरी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। उस समय इन्हीं सदस्यों ने मेरी उस बात का मखौल उड़ाया था और कहा था कि मैं पूंजीवादी व्यवस्था का हिमायती हूं, उन साहूकारों का हिमायती हूं, जो गरीब जनता का एक्सप्लायटेशन कर रहे हैं।

मान्यवर, गौर तलब बात यह है कि जिस शख्श की गुजर दूध बेच कर हो रही है, उसकी भैंस मर गयी और उसे कर्ज की आवश्यकता पड़ी तब वह साहूकार के पास जाता है। उसे दो हजार रुपए घर बैठे मिल जाते हैं और उनसे वह अपना काम चलाता है। यह बात अवश्य है कि उसे सूद ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन उसका परिवार तो पलता है और उस कर्ज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दिनेश चन्द रस्तोगी]

को वह सूद के साथ उतार भी देता है। लेकिन उस समय यह मेरी बात मखौल में उड़ा दी गयी लेकिन आज वही सदस्य स्वयं महसूस करते हैं कि बिल में ऋण देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लोग यह शंका उठा रहे हैं कि जहां इस बिल के जरिए लोगों को ऋणों से मुक्ति मिल जायगी, वहां जरूरत के समय उनको ऋण मिलने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैंने उस समय इसके लिए सुझाव दिया था।

आज की सरकार उसके लिए दोषी नहीं है, पुरानी सरकार ही दोषी है। जो लाइसेंस देने वाली अथारिटी है, उसकी नियुक्ति बहुत देर से की गयी। सरकार की घोषित नीति के अनुसार साहूकारों ने सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया, लाइसेंस फीस जमा कर दी लेकिन आज तक उनको लाइसेन्स प्राप्त नहीं हुए। इसके लिए आज की सरकार दोषी नहीं हो सकती। उसके सामने जब यह सवाल आयेगा तो वह उसे हल करेगी और कठिनाई को दूर करने की कोशिश करेगी। मेरा अनुरोध है कि वास्तव में अगर आप को गरीब मजदूर, किसान व हरिजनों के दुख से हमदर्दी है तो आप कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठायेंगे और इस बात का प्रयास करेंगे सरकार और आप दोनों मिल कर ताकि उनको सुविधा प्राप्त हो और उनको ऋण मिल सके। जहां तक अनपढ़ जनता का सवाल है, इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि हमारा काम केवल इस सदन में शोर मचाना ही नहीं है, यह जनहित का काम है, उसका हम प्रचार करें, गांव-गांव में जाकर उनके बीच में और उनको बतलायें कि यह कानून उनके हित में है। तीस साल के अन्दर जो प्रवृत्ति हमने सरकारी अधिकारियों में पैदा की है, उसे वर्तमान सरकार एक दिन में नहीं बदल सकती।

इसमें आपका भी हित है और सरकारी अधिकारी शोषण न कर सकें, इसमें आपका भी गौरव है और जो सरकार की घोषित नीति है उसका लाभ लोग उठा सकें। मेरा राजस्व मन्त्री जी से निवेदन है कि जो आपने कानून बनाया है उस कानून के मुताबिक जो लाइसेन्स लेना चाहें, उनको लाइसेन्स प्राप्त हो सके और जो हमारे दुखित और परेशान भाई हैं उनको ऋण प्राप्त हो सके। ऋण तो अब भी बटते ही हैं शायद पहले से ज्यादा बटते हैं। लेकिन जो व्यवस्थित रूप से काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। लाइसेन्स न मिलने के कारण यह हो रहा है। इसलिए मेरी राजस्व मन्त्री जी से प्रार्थना है कि जो लोग नियमों के मुताबिक काम करना चाहते हैं उनको लाइसेन्स दिए जायं। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977 जो माननीय राजस्व मन्त्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं। किन्तु इस सन्दर्भ में, इस परिपेक्ष में एक दो महत्वपूर्ण बातों की ओर मैं सदन का और राजस्व मन्त्री जी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं इस प्रदेश के पूर्वांचल के उस जनपद का निवासी हूं जिसके बारे में रिजर्व बैंक की स्टडी टीम ने, अध्ययन दल ने जो समय-समय पर अपनी रिपोर्ट, अपनी आख्या, अपनी टिप्पणी दी है, वह रोमांचकारी और दिल दहलाने वाली है। श्रीमन्, उस क्षेत्र का 80 प्रतिशत किसान लघु सीमान्त किसान है, श्रमजीवी खेतिहर मजदूर है, भूमिहीन है। वह केवल महाजनी कर्ज से ही नहीं, सरकारी कर्ज से भी संत्रस्त है। मैं तो जानता हूं कि जो तमाम प्रकार के व्यावसायिक बैंक हैं, या सहकारी बैंक के कर्ज हैं, उन सब में कष्ट देने वाला जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, वह है। मैं तो आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि एक तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है उससे भी एक बड़ा ब्याज होता है जो कुचक्र वृद्धि ब्याज है। जिसका कोई ठिकाना नहीं, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी कर्जा चलता रहता है जिसने 500 रु0 कर्ज ले लिया वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहेगा, कई दशक तक वह चलता रहता है। श्रीमन्, देवरिया जनपद में 70 प्रतिशत किसान इस बरसात में विपन्नावस्था में है।

साधन सहकारी समितियों में लाखों रुपयों का घोटाला है। जिन घोटालों के कारण वहां के बी0डी0ओ0 और सचिव जो हैं मुअत्तिल हैं, उन पर कार्यवाही चल रही है। इन साधन सहकारी समितियों द्वारा बड़ी निर्दयता से और नृशंसता से वसूली चल रही है। लोगों को आज परेशान किया जा रहा है।

अभी चन्द दिन हुए लखनऊ से वरिष्ट अधिकारी वहां गए किस तरह से वह पेश आ रहे हैं। इस मौसम में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, इन दिनों किसान को बीज नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलती है। आज वहां हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन जो अधिकारी गए हैं उन्हों ने वहां के पशुओं के साथ इतनी जबरदस्त ज्यादती की है कि 90 प्रतिशत किसानों के पशुओं को कांजी हाउस में बन्द कर दिया है और एक-एक पशु का 25-25 रु0 वसूल किया गया है। इस प्रकार किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। एक तरफ उन पर सहकारी समितियों के कर्जे का ब्याज ही नहीं, कचक्र वृद्धि ब्याज और दूसरी तरफ इस तरह की ज्यादती हो रही है। इसलिए यह जो विधेयक पारित हो रहा है उसे सही रूप में सरकार को देना चाहिए। आए दिन कानून पारित होते रहते हैं लेकिन किसान आज भी असहाय अवस्था में पड़ा हुआ है। मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि यह ऋण अनुतोष विधेयक उन लघु सीमान्त किसानों, उन भूमिहीन मजदूरों के लिए, श्रमजीवी खेतिहर मजदूरों के लिए वरदान साबित होगा। किन्तु तब साबित होगा जब शासन ईमानदारी से कार्यान्वित करने की दिशा में सही कदम उठाए। अन्यथा आए दिन ऐसे-ऐसे कानून बनते रहते हैं और बिना अमल हुए वे रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं विश्वास करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा और मैं इस ऋण अनुतोष विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

मान्यवर, कांग्रेस पार्टी ने प्रजातन्त्र और समाजवाद की अपनी नीति घोषित किया था, किन्तु प्रजातन्त्र को तो वह खा गए और समाजवाद की दुहाई देते रहे गए।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

समाजवाद को आप खा जाइए।

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

हम दोनों को जीवित रखेंगे। मेरे लिए आज यह खुशी की बात है कि राजस्व मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। उस समय जब यह लाया गया था, कुछ कमी थी, जिस तरह की पुलिस की नृशंसता आपातस्थिति में थी, उस तरह का विमोचन किया भी जाता तो वह वास्तविक न होता, उसमें लोगों का लाभ न होता। आज जब किसान को लाभ प्राप्त हुआ है, वह इस विमोचन का लाभ भी उठा सकेगा। उसके साथ यदि किसी प्रकार की कोई ज्यादती की जायगी तो प्रजातांत्रिक वातावरण में वह उसका विरोध भी कर सकेगा। आज की स्थिति में इसमें कुछ कमियां या परेशानियां हैं, जिनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। जहां तक सहकारी समितियों की वसूली का सवाल है, जब तक चेक-सिस्टम लागू नहीं हुआ था, जितना कर्ज दिया जाता था फर्जी होता था। गरीब किसान अनपढ़ होता था, उससे फर्जी अंगूठा लगवा लिया जाता था, 400 का 4,000 बना देना बड़ा आसान था। सुपरवाइजर जब तक वहां रहता था, उस कर्ज की वसूली का कोई नोटिस या प्रयास नहीं होता था, कोई तगादा नहीं होता था, किन्तु उसका ट्रांसफर हो जाने के बाद किसानों से कर्ज की वसूली का जोरदार प्रयास होता था। मैंने प्रायः देखा है और अपने यहां भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम दत्त पालीवाल]

कम से कम 25 जगह देखा है कि प्रोनोट तक पूरी तरह मौजूद नहीं हैं, फिर भी अधिकारी जबरदस्ती किसान से कर्जा वसूल कर रहे हैं। इसलिए मैं राजस्व मन्त्री से अपील करूंगा कि इस तरह के सरकारी कर्ज जो हैं, उनमें मानवता को ध्यान में रखा जाय और पुरानी सरकार की तरह न किया जाय कि उसके जानवरों को पकड कर कांजी हाउस में बन्द कर दिया या उसे ही जेल में बन्द कर दिया। मैंने खुद देखा है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पर उतना कर्जा नहीं था, जितना कर्मचारी बताते थे।

मेरा निवेदन यह है कि नये कर्जों की व्यवस्था की जाय और पूरानी ऋण व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाय। साथ ही उनके कार्यों की समुचित जांच होनी चाहिए और यदि कोई व्यक्ति अपने ऋण के सत्यापन की मांग करता है तो वह तुरन्त होना चाहिए। यदि कोई बकायेदार अपना कर्जा पहले साल नहीं दे पाता है तो कर्जा वसूल करने का खर्च 10 प्रतिशत उस पर और बढ़ा दिया जाता है। तीन साल तक नहीं दे पाता है तो 14 प्रतिशत और देना पड़ता है,उसके बाद 18 प्रतिशत देना पड़ता है। इस तरह से उस पर तमाम बोझ बेमतलब बढ़ता चला जाता है। इसलिए मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए कहना चाहता हूं कि वसूली का खर्च कुछ समय के लिए रोक दिया जाय। जब कर्जा वसूल करना हो तो जो बड़े-बड़े बकायेदार हैं या जो सरपंच रह चुके हैं, उनको लाभ न दिया जाय।

इस प्रकार से यदि नियम बन सके कि जो छोटे किसानों ने कर्ज लिया है उसकी जांच की जाय और जो उस समय सरपंच और डाइरेक्टर थे उनके ऊपर जो कर्ज है, उन्हें तुरन्त देय होगा, इस पर विचार करें। मुझे बडी खुशी है कि यह विधेयक आया है। इस विधेयक से जो गरीब, मजदूर, हरिजन, दलित हैं उनको राहत मिलेगी। इस आशा के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने ऋण अनुतोष विधेयक, 1977 पर अपने विचार प्रकट करने का शुभ अवसर दिया। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में एक कुप्रथा थी कि जिसको 100 रु0 दे दिया उससे पीढ़ी दर पीढ़ी काम कराते थे। इतना शोषण और दोहन मानवता का शायद कभी न हुआ हो, न कोई कल्पना कर सकता है कि भविष्य में होगा। इसी बात को ध्यान में रख कर कांग्रेस सरकार ने 1975 में एक विधेयक यहां पेश किया जिसमें जिन पर ऋण बाकी था उसकी वसूली का स्थगन कर दिया गया। जो भूमिहीन हों, शिल्पकार हों या ग्रामों में बसने वाले किसान हों, उनके ऋण की वसूली को स्थगित कर दिया गया। उसका उद्देश्य यह था कि जो ऋण दिया गया है और जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी जो बड़े-बड़े पूंजीपति, जमींदार हैं, उनको शोषित करते आए हैं, उनको ऋण से मुक्त किया जाय। इसीलिए फरवरी, 1977 में जो ऋण बाकी हैं उनको समाप्त करने के लिए माननीय राज्यपाल ने अध्यादेश निकाला। अब चूंकि उस समय अध्यादेश अधिनियम के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सका, पुनः इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। कांग्रेस सरकार की नीति के अनुसार जो पद दलित, शोषित, दोहित हैं, उन्हें सहारा और सहायता देने के लिये, दोहन से मुक्त करने के लिये यह अधिनियम आया है। इसलिए इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं। उस समय हमारी सरकार ने एक आश्वासन भी दिया था कि जब ग्रामीण अंचल से ऋण मुक्ति हो जायगी तो ऋण दिलवाने के लिए व्यवस्था की जायगी। राष्ट्रीय बैंकों से भी यह अपेक्षा की गयी थी और जो सहकारी समितियां और सहकारी बैंक हैं, उनसे भी अपेक्षा की गयी थी फिर जो भविष्य में देहाती अंचल में ऋण मिलता है वह नहीं मिलेगा तो इन्हीं संस्थाओं से ऋण देने की व्यवस्था की जायगी।

इस विधेयक को आप सामने लाए हैं, जो नीति कांग्रेस सरकार की रही है, उन गरीबों को, मजदूरों को आप, जिनको बड़े-बड़े पूंजीपतियों से ऋण मिलता था, उनसे बचा कर

वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिलवाने की व्यवस्था करेंगे, अब देश में जिस जनतांत्रिक परिवर्तन की बात आप कहते हैं उसका असर देखिए, जिनको ऋण दिया गया था, उनसे सरकार बदलने के बाद जब आपकी हुकुमत बनी, तो जबरदस्ती प्रोनोट लिखा गया, गरीबों के गाय-बैल खोलना शुरू हो गया।

अब जनता की सरकार है जिस कांग्रेसी को चाहे पकड़ लेंगे, जब तक भावना यह है, जन कल्याणकारी सरकार यह नहीं कही जायगी। जहां कि इस तरह की घटनाएं घटी हैं कि हरिजनों से जबरदस्ती प्रोनोट लिखाए गए हैं, उनके गाय, बैल और भैंस खोले गए हैं। जहां पुनः बेगार लेना शुरू कर दिया गया है। आप इसके लिए आयोग गठित कीजिए। जो शोषित और पद-दलित लोग हैं, वह अगर चैन से नहीं बैठ सके तो आपकी बात थोथी निकल जायेगी और जो जन-भावना है वह आपके विपक्ष में हो जायेगी। मैं आशा करता हूं कि जिस उद्देश्य से कांग्रेस सरकार ने इस विधेयक को बनाया था उसे आप पूरा करेंगे और जो बेचैनी हो रही है उसको आप दूर करेंगे। एक खूबी इस विधेयक में और है जो छोटे-छोटे मजदूर हैं उन्हें भी इससे राहत मिलेगी। आशा है कि जो हमारा उद्देश्य था आप उसकी पूर्ति करेंगे।

श्री जसबीर सिंह (जिला एटा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्व मन्त्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसाकि सदन को विदित है कि यह विधेयक अपने आप में पूर्ण है और लघु कृषकों तथा भूमिहीनों के लिए काफी लोकतांत्रिक दिशा में नया कदम है। इस विधेयक में प्रदेश की जनता के लिए नये समादेश किए गए हैं उनके लिए मैं राजस्व मन्त्री को बधाई देता हूं। प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता देहात में रहती है और उसका मुख्य धन्धा कृषि है। ग्रामीण अंचल में इस के पहले जिन लोगों द्वारा गरीब जनता का शोषण किया जाता था, उससे इस विधेयक के आने से काफी राहत मिलेगी। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य सोसाइटियों द्वारा जो ऋण वितरित किया जाता है, उनके एक्जीक्यूशन में यह एक सही प्रयास है। उनका सही रूप से निष्पादन हो और अन्य बातें ग्रामीण जनता के बारे में की जायं यह मेरा राजस्व मन्त्री जी से अनुरोध है। इन सब बातों के सन्दर्भ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि देहात में और हर वर्ग में जो शोषण होता है, उसका समापन होगा और लोक कल्याण की दिशा में यह विधेयक ज्यादा अच्छा प्रभावकारी होगा। इन शब्दों के साथ इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं।

एक सदस्य—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने अपना नाम आपको नोट कराया था, लेकिन मेरा नाम अभी नहीं आया।

श्री अधिष्ठाता—

मैं हर तरह से कोशिश कर रहा हूं कि हर तरफ के लोग बोल लें।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो यह बिल आया है उसका मैं समर्थन करता हूं। जहां हम इस बिल का समर्थन करते हैं ठीक उसी तरह से इससे यह मालूम होता है कि यह बड़ी जल्दी में लाया गया है। इसमें काफी गलतियां हैं। जल्दी में आने के कारण ही इन को दुरुस्त नहीं किया जा सका है। सभी लोगों की यह इच्छा है कि साहूकारों से गरीब लोगों को छुटकारा दिलाया जाय।

उस तरफ से एक बात कही जाती है कि आपने ऐसा किया था इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इसलिए मैं यह अनुरोध करूंगा कि यहां पर इस सदन में कुछ ऐसे लोग हैं जो 1975 में थे और इस बात में शरीक थे। हम भी आप जैसे लोगों में से हैं जो कारागार में बन्द थे, इसलिए इसका ध्यान रखा जाय। आज प्रदेश में भूमिहीन लोग, मजदूर लोग, समाज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित]

के शोषित और पीड़ित इन्सान दुखी हैं। उनके लिए जो कानून बनाए जाते हैं, चाहे वे भूतपूर्व सरकार द्वारा बनाए गए हों या नयी सरकार द्वारा बनाए जाते हों, सब कागज पर रह जाते हैं। प्रदेश में जिस प्रकार सरकार द्वारा 30 वर्ष से उनके ऊपर दमन चक्र चलाया जा रहा था, उससे इतना ज्यादा जन आक्रोश पैदा हो गया कि उसने उस शासन को हटाया और आपको मौका दिया। कानून पहले भी बनते थे लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हरिजनों को जमीन किन-किन व्यक्तियों में बांटी गई? भूमिहीनों में जमीन तब बांटी गई जब जन प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे, कागज पर तो दिखाई गयी लेकिन वास्तव में वह भूमिहीनों को नहीं दी गयी। एमर्जेन्सी के दौरान पद यात्रा करके भूतपूर्व कांग्रेस शासन ने अपनी पार्टी के लोगों और अधिकारियों द्वारा खुले आम लूट मचाई।

श्री जसवीर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने वक्तव्य में मूल विषय से हट रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि जो भी विधेयक लाया गया है उसी पर बोलें, वे दूसरी बातों पर जा रहे हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, ये कौन बोलने वाले हैं, इनको आप रोकिए।

श्री अधिष्ठाता—

जो बात हो वह इस विशेष बिल की परिधि में ही आए। खींचने को तो बहुत खींचा जा सकता है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

जनता ने हम को भी चुना है और आपको भी चुना है। आप तो उनके बारे में प्रस्ताव करेंगे लेकिन जनता के बीच उसका पालन कराने और उसको लागू करने का काम हम ही करेंगे। इसलिए यह जरूर होना चाहिए कि जो छोटे काश्तकार हैं, भूमिहीन हैं, हरिजन हैं, कागज पर तो हक पा गए हैं लेकिन उनको वास्तव में कब्जा दिलाया जाय।

यहां पर अभी-अभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात कही गई। हमें बहुत आशा बंधी थी कि इन बैंकों द्वारा गरीबों, मजदूरों और खेतिहर मजदूरों को और छोटे दुकानदारों को ऋण मिलेगा लेकिन ये सब आशाएं धूल धूसरित हो गयीं। भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार में भी एक दल के लोग, जो धनी लोग थे, सेठ लोग थे उनके ऊपर इतना कर्जा हो गया कि अब वे बैंक गरीबों को, हरिजनों को ऋण नहीं दे सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि बैंकों द्वारा कितने लोगों को, कितने गरीबों को, कितने भूमिहीनों को ऋण दिया गया है। उनको न देकर बड़े-बड़े लोगों को दे दिया गया है। जो पहले कांग्रेसी थे और अब आपकी तरफ आ गए हैं, उनको ही दिया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जो गरीब लोग हैं, समाज के पिछड़े लोग हैं, उसका वे लाभ उठा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे पुरानी कांग्रेस सरकार की व्यवस्था को न अपनायें बल्कि जनता की भावनाओं को, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के हित में उचित कदम उठायें।

श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको इस बात के लिए बधाई कि आपने समय दिया। माननीय राजस्व मन्त्री जी ऋण विधेयक प्रस्ताव यहां रखे हैं उसका प्रबल समर्थन करते हुए यह कहना चाहूंगा कि पिछली कांग्रेसी हुकूमत के समय में वह गरीब जिसने पैसा जमा कर दिया तो 4–4, 5–5 साल होने के बाद भी उसकी पोस्टिंग नहीं हुई और दोबारा वसूली जारी है। बार-बार लिखने, सार्टिफिकेट दिखाने के बावजूद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है जिससे गरीब कमजोर वर्ग और हरिजन काफी परेशान हैं। दूसरी तरफ

आपका माननीय राजस्व मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को कर्ज दिया गया है जो अभी 5 साल के हैं उनके नाम भी पैसा निकाला गया है, जो 10 साल पहले मर गए और मरने के 5 साल बाद पैसा निकाला गया है। इस तरह से लाखों-लाखों का गबन चालाक लोगों ने कर्मचारियों से मिल कर किया है और गांव के कमजोर वर्ग, हरिजन, भर, केवट से वसूली करने के षड़यन्त्र चल रहे हैं। उस पिछले समय में भी मैंने विधान सभा में इस प्रश्न को उठाया था, लेकिन कांग्रेसी हुकूमत में इन्साफ नहीं मिला। आज भी वही बेचारे तबाह और परेशान हैं।

जहां तक गरीबों को ऋण मिलने की बात है, मैं अर्ज करूं कि सारे कागजात पूरे कराने के बाद, सारी फारमेलिटीज पूरी होने के बावजूद भी बैंक के कर्मचारी आखिर में कह देते हैं कि तुम्हें कर्जा नहीं मिलेगा। इस तरह से कमजोर वर्ग की दुर्दशा हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ जिन्होंने सारी फारमेलिटीज पूरी कराने के बाद उन्हें वापस कर दे रहे हैं, सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय ताकि कमजोर वर्ग को बिजनेस के लिए, उनकी हालत सुधारने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए पैसा मिल सके। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के पुराने रवैए को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की ऐसी व्यवस्था की जाय कि किसानों को, कमजोरों को, हरिजनों को आसानी से कर्ज मिल सके ताकि उनका विकास हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता विरोधी दल।

(व्यवधान)

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, कम से कम कुछ और माननीय सदस्यों को इस गम्भीर मसले पर बोलने का अवसर तो दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

अभी खत्म नहीं हो रहा है। अगर नेता विरोधी दल बोल रहे हैं तो वह अन्तिम नहीं होंगे। अन्तिम होंगे मुख्य मन्त्री।

(व्यवधान)

मैं बतला देना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल एक सदस्य के नाते इस समय बोल रहे हैं। अन्तिम बार इस सम्बन्ध में राजस्व मन्त्री ही बोलेंगे और जो वह जवाब देंगे, वही जवाब होगा। नेता विरोधी दल अपनी बात कहेंगे, उसके बाद और लोग भी कहेंगे। यह नहीं कि डिबेट को क्लोज किया जा रहा है।

श्री जसवीर सिंह—

लास्ट में नेता विरोधी दल को मौका दिया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

ऐसा कोई नियम नहीं है कि नेता विरोधी दल को बहुत से लोगों को सुन कर तब बोलना चाहिए। आपने देखा कि दस माननीय सदस्यों ने बोल लिया है और उनकी बातों को उन्होंने सुना है। मैं पहले भी उनको बोलवा सकता था। नियम में कोई बन्धन नहीं है। नियम में अन्तिम और पहले की बात है। वह राजस्व मन्त्री की है और वह अन्तिम जवाब देंगे।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोण्डा)—

विरोधी दल के नेता जब बोल लेंगे तो फिर . . . .

श्री अधिष्ठाता—

नेता विरोधी दल इस समय नहीं बोलना चाहते हों तो मैं बाध्य नहीं कर रहा हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं बाद में बोलूं तो बाद में बोल लूंगा।

डाक्टर बंगाली सिंह (जिला अलीगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री द्वारा जो यह उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977 प्रस्तुत किया गया है, उससे छोटे किसान मजदूरों को काफी राहत मिलगी तथा अमीरी और गरीबी के मध्य जो लम्बा फासला है, वह कम होगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी से आपके द्वारा मेरा यह निवेदन है कि सहकारी समितियों द्वारा किसान मजदूरों का जो छोटे किसानों को ऋण दिया गया है वह असल ही वसूल किया जाय जिससे हमार छोटे किसानों को लाभ हो और 80 फीसदी हमारा देश खुशहाल हो।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोण्डा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो यह बिल माननीय राजस्व मन्त्री इस सदन मे लाए हैं, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मैं यह समझता था कि शायद इस बिल को जोकि पास हो गया है, न लाया जाय लकिन आज इसे सदन में लाकर मन्त्री जी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है हरिजनों और भूमिहीनों के साथ और वह यह कि अगर इसमें थोड़ा सा संशोधन हो जाय तो ज्यादा अच्छा हो। जिस दिन यह बिल इस सदन में आया उसी दिन चालाक महाजनों ने अपने कर्जदारों स नए प्रोनोट लिखवाने का सिलसिला जारी कर दिया और कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। कलेक्टर के पास जाइए, तहसीलदार के पास जाइए, वे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अब जो नया प्रोनोट लिखा लिया है तो उसे हम क्या करें? इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार और राजस्व मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि एक अधिकारी नियुक्त कर दें जिससे जो 5 करोड़ जनता इससे प्रभावित है, वह कुछ लाभ उठा सके। तीन-तीन और चार-चार पुश्तों से, अंग्रेजी काल से यह कर्ज चला आ रहा है। हम शादी-व्याह के अवसर पर कर्ज लेते थे लेकिन सूद के कारण आज तक अदा नहीं कर पाए। यह विधेयक इसी खयाल से लाया गया था कि भूमिहीनों और हरिजनो को कुछ लाभ हो लकिन आज की परिस्थिति में यह बेकार होता जा रहा है। जहां तक सहकारी समितियों का संबंध है, उनसे कर्जा जो चालाक लोग होते हैं वह दूसरे लोगों के नाम से ल लेते हैं। जो गरीब लोग कर्जा नहीं लेते हैं उनको कर्जा देना पड़ जाता है। उनकी भूमि जब्त करा ली जाती है। कर्जा भुगतने के लिए उन्हें फिर महाजनों के पास जाना पड़ता है। अब उन्हें कर्जा न महाजन से ही मिल पाता है और न ही इन बैंकों से।

इस विधेयक को लाकर पिछली सरकार ने भी एक पुनीत काम किया था और इस सरकार ने भी पुनीत काम किया है, किन्तु गरीब का भला इससे नहीं हुआ है। आपको एक अधिकारी की नियुक्ति इसी काम के लिए करनी चाहिए जो यह देखें कि इस विधेयक का वास्तव मे पालन हो भी रहा है या नहीं। आज भी इस विधेयक के कारण हमें कर्जा नहीं मिल रहा है। न बैंक देते हैं और न ही महाजन। हमें कर्जा दिलाने की व्यवस्था की जाए। अगर मिलता भी है तो जो मिलता है उसका अधिकांश लेखपाल तथा अन्य कर्मचारी खा जाते हैं। कर्जे से छुटकारा दिलाने की जो नियत सरकार की है, वह इससे पूरी नहीं हो पा रही है। हमें आशा है माननीय राजस्व मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी इस पर ध्यान देंगे कि हरिजन को कर्जा मिल सके। जो कर्जा है उससे उसे छुटकारा मिले।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक माननीय राजस्व मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, यह एक एतिहासिक है और निर्धन तथा कमजोर वर्ग से सम्बन्ध रखता है। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी इस शक्ल का एक अध्यादेश लाये थे। विधेयक जो भी आता है अच्छा लगता है। सभी लोग बड़े फख्र के साथ सदन में उस पर चर्चा करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह विधेयक ऐतिहासिक होते हुए भी एक ऐसा विधेयक है जो विकल्पहीन विधेयक है और यह गरीब जनता के साथ विश्वासघात करता है। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी भी इसे लाए थे मगर गरीब जनता को इससे कोई राहत नहीं हुई थी। विकल्प न होने के कारण, कर्जा मिलने के लिए कोई साधन न होने के कारण, पिछली सरकार भी फेल हुई और जब तक इसका प्राविधान नहीं होता तब तक यह सरकार भी सफल नहीं होगी। इस विधेयक में विकल्प नहीं दिया जाएगा, साधन नहीं दिया जाएगा, तब तक यह सफल नहीं होगा। गरीबों को रोजगार दिलाने की जब तक व्यवस्था नहीं होगी, कर्जा दिलाने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक यह विधेयक चन्दा मामा का लड्डू के समान होगा। प्रदेश की जनता ने इस सरकार को काफी बड़े बहुमत से सम्मानित किया है। पिछली सरकार की तरह अगर यह सरकार भी कर्जा दिलाने की व्यवस्था नहीं कराएगी तो यह विधेयक बेकार साबित होगा।

(इस समय 2 बजकर, 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन : पीठासीन हुए।)

जैसे कि सरकारी कर्जे की बात है, अधिष्ठाता महोदय, सरकारी कर्जे की बात एक तरफ, चूंकि गरीब हरिजन की बात है, पिछली सरकार हमारी बार-बार विधेयक लाती थी, यह भी सरकार गरीब हरिजनों के लिए तमाम बातें उठाएगी। लेकिन उससे हट कर और छोटे किसान हैं और गरीब लोग हैं, जिन पर महाजन का, कोआपरेटिव का कर्जे का जाल बिछा हुआ है। चाहे सहकारिता मन्त्री हों, चाहें राजस्व मन्त्री हों, चाहें मुख्य मन्त्री हों, हर संघ और सोसाइटी का वसूली का जाल बिछा हुआ है। जो कर्जा सोसाइटी से लादा गया है, वह कर्जा बिल्कुल 75 फीसदी झूठा है और बिना प्रोनोट के है। उसकी कोई बुनियाद नहीं है लेकिन उसकी वसूली तमाम अर्जियां पड़ने के बाद भी इतनी सख्ती से होती है कि किसानों की कमर टूटती चली जा रही है।

जहां एक तरफ विधेयक ला रहे हैं, वहां पर आप दूसरी तरफ विकल्प भी रखें कि उस कर्जे से किस प्रकार छुटकारा पायें। हमारी मांग है और सदन की मांग होनी चाहिए कि इस सरकार को जल्द से जल्द गरीबों को सस्ता कर्जा देने के लिए सुविधा प्रदान करे। वरना चन्दा मामा का लड्डू बन कर रह जाएगा। जो चार्ज पिछली सरकार पर लगा था, वही चार्ज इस सरकार पर भी लग जायगा। मैं सुझाव देता हूं माननीय राजस्व मन्त्री जी और अन्य मन्त्रियों को प्रेक्टिकल में आप जरा देखें। वैसे तो आपको जरा फुरसत मिलने वाली नहीं है। जिस दिन से विधान सभा चल रही है आप कोई लाइन भी नहीं ले रहे हैं। आप गरीबों को कहां देखेंगे। आप कोई लाइन बना लें कर्जे की। इन शब्दों साथ मैं आपको सुझाव दे रहा हूं हरिजनों को कर्जे के लिए, कोई विकल्प के रूप में लें, वरना यह विधेयक आपका जल्द ही लुप्त हो जायगा। अगर गरीब का ल का मर जायगा तो उसको कफन भी नहीं मिलेगा। क्योंकि महाजन कर्जा देगा नहीं और आप भी कर्जा नहीं देंगे। इसलिए वह बिना कफन के दफन हो जायगा।

श्री शिव लाल मित्तल (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मुझे भी बोलने का मौका दें आप।

*श्री प्रताप सिंह पुष्पबान (जिला चमोली)—

मान्यवर, इस विधेयक पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश के सुदूर अंचल से आया हूं जहां केवल गरीबों के अलावा कोई दूसरी बस्ती निवास नहीं करती है। जो बातें कही जा रहीं हैं, वही बातें पूर्ववर्ती शासकों ने भी कहीं थीं लेकिन उनसे किसानों को, हरिजनों को और भोटिया बन्धुओं को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसको वह व्यवहार में लायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रताप सिंह पुष्पवान---]

मान्यवर, कृषकों को साहूकारों के ऋणों से मुक्त कराने की बात बहुत अच्छी है, उनको राहत देने के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा चमोली, सुदूर क्षेत्रों में आपने कुछ बैंकों की शाखाओं की स्थापना की है इसका लोगों ने स्वागत किया है। लेकिन बैंकों द्वारा किसानोंको ऋण देने की जो प्रक्रिया है, मुझे तोऐसी लगती है कि जैसे किसी को आग से लेकर पानी में फेंक दिया जाय।

मान्यवर, बैंकों से ऋण लेने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। यह मेरा सौभाग्य है कि हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, माननीय तिवारी जी सामने बैठे हुए हैं। जब आप वित्त मन्त्री की हैसियत से पर्वतीय क्षेत्रों का दौरा करने गए थे तो मैंने आपसे कहा था कि मान्यवर, सामने स्टेट बैंक है यहां पर हरिजनों और गरीबों को ऋण देने का नाटक रचा जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हरिजनों को 50 रुपए देकर कहा जाता है कि तुम हंसो और उनकी फोटो ले ली जाती थी ताकि यह दिखाया जाय कि हम बैंकों से ऋण लेते समय कितने प्रसन्न हैं। मैं निवेदन करता हूं कि मान्यवर, अब यह चीजें दोहरायीं न जायं।

मान्यवर, तहसीलदारों के हाथों में पहाड़ों पर इतनी शक्ति दे दी गयी है कि वह कभी-कभी स्वयंभू का काम करने लगते हैं। मैं इतना निवेदन करता हूं कि प्राकृतिक विपत्तियों के प्रति इंसानों के लिए यह होना चाहिए कि जब वह अपनी फरियाद लेकर शासन के पास जायं तो उन लोगों को कुछ छूट मिले। इन प्राकृतिक विपत्तियों से पहाड़ों के हरिजन वर्गों ओर भोटिया वर्गों को काफी तकलीफ होती है। बरसात के समय, हिमपात के समय भयंकर दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है और जब कोई फरियाद लेकर आता है कहा जाता है कि सारे उत्तर प्रदेश के लिए जो कानून है वही है, आपके लिए कोई अलग कानून नहीं है। मान्यवर, 14 हजार फुट की ऊंचाई पर जो रहते हैं, उनके लिए छूट का प्राविधान अवश्य होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस पर कार्यवाही की जाएगी। मान्यवर, एक बात और है, विधेयक बनाने के 6 महीने बाद या साल भर बाद इस बात की जानकारी अवश्य की जानी चाहिए कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधेयक को रखा गया था क्या उसमें कुछ कमी रह गयी है, या वह ठीक ढंग से लागू किया गया है? यदि ऐसी जानकारी नहीं की जाती है तो इस विधेयक का लाभ उच्च और चालाक वर्गों को मिलेगा और गरीब जो हैं वह इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। इस विधेयक के सम्बन्ध में, भूतपूर्व शासन द्वारा केवल आश्वासन दिए गए थे और अब इसके लक्ष्य की पूर्ति के लिए पहल की गयी है, इसके लिए मैं आभारी हूं और मैं इसका पूरे दिल से समर्थन करता हूं।

एक सदस्य---

मान्यवर, मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

जिस क्रम से मेरे पास परचा आया है उसी क्रम से बुला रहा हूं। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरी सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के लिए बधाई देता हूं। आज सन् 1952 से लेकर अब तक हरिजन और गरीब वर्गों के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत सी बातें सुनने को मिली हैं और क्योंकि मेरे एक साथी और नेता, श्री तिवारी जी मेरे समक्ष बैठे हैं जिनकी सरकार ने जितने हरिजनों के साथ अन्याय और अत्याचार किए हैं हरिजन वर्ग को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा और जो गरीब कभी बेईमान नहीं कहलाए कांग्रेस सरकार ने उनको बेईमान कहलवा दिया। दूसरे, अच्छा होता मुख्य मन्त्री जी यहां होते, तो उनको मालूम होता कि कांग्रेस की सरकार ने हरिजनों के साथ कितने भयंकर अत्याचार किए हैं जितने कि आज तक किसी के साथ नहीं हुए होंगे। हमारी जमीनें कांग्रेस की सरकार ने ले ली हैं। नई कांग्रेस की सरकार ने तमाम अत्याचार किए हैं। आज जो विधेयक आया है, श्रीमन्, क्या यह भी वैसा ही

विधेयक है उसमें गरीब को 2 हजार रु0 भैंस को खरीदने के लिए कर्जा दिया तो उसमें से 200 रुपए डाक्टर को और 3 या 4 सौ रुपया ब्लाक के कार्यकर्ता को तथा 1,500 रु0 उसे घर ले जाने को मिले। इसके बाद कर्जे की वसूली में उनके घर नीलाम हो रहे हैं। यह नई कांग्रेस की सरकार का काम है। आपको विश्वास यदि न हो तो मालूम कर लें कि मेरी सारी जमीन नई कांग्रेस की सरकार ने हडप ली है। इसलिए यदि इसी प्रकार का यह बिल है तो इसकी जरूरत नहीं है। हमारा मान्यवर, जो विधेयक हो उसमें सत्यता हो, चरित्रता हो तो हम लोग उसे पूरा करें। इसलिए मैं राजस्व मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो बिल प्रस्तुत किया है, उस पर सही अमल हो। ऐसा न हो कि बैंकों द्वारा जो कर्जा दिया जा रहा है वह जब तक रिश्वत न दे दे तब तक कर्जा उसको न मिले। अतः कांग्रेस सरकार ने जो जुल्म किसानों, हरिजनों और गरीबों पर ढाए हैं वह अब नहीं होने चाहिए। यह मैं 1952 से लेकर अब तक देखता आ रहा हूं। पहले श्री तिवारी जी भी विरोधी दल के नेता थे लेकिन जब शक्ति में आए तब जो पहले कहते थे वह भूल गए। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि बिल तो दिया और उसके लिए हम आभारी हैं लेकिन उस पर सही अमल होना चाहिए और गरीबों को सही-सही ऋण दिया जाय और कांग्रेस की तरह बेईमानी न हो तथा उनको आज जो बेईमान करार दे दिया गया है, वैसा नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, कांग्रेस की सरकार ने किसान-मजदर को आपस में लड़ा दिया है। सरकार ने अपनी जमीन गरीबों को नहीं दी और किसानों की जमीन को एक्वायर करके दे दी जिससे उनमें आपस में लडाई करा दी है। यदि उनमें हिम्मत हो तो मेरे साथ चलें गांवों में तो वहां की असली हालत को देखें। सिवाए गरीब मजदूरों को लडाने के और कुछ नहीं किया है। 30 वर्षों तक वह झठ का ढोंग रचते रहे हैं। जितने गरीब कर्मचारी हैं, उनकी पदोन्नति नहीं हुई है। क्या यह उनके साथ न्याय है ? यदि वास्तव में न्याय करना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ न्याय कीजिए। अगर किसान का वाकई कल्याण करना चाहते हैं तो उनकी हैसियत के मुताबिक ऋण दिलवाएं और समय पर वसूली करवाएं। यह न हो कि किसी का खेत नीलाम हो रहा है, किसी का घर नीलाम हो रहा है। इसलिए राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसको सही इस्तेमाल हो हरिजन, गरीब वर्ग और किसानों के लिए।

*डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1975 में कांग्रेस सरकार ने गरीब लोगों का कर्जा माफ करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसके जरिए से गरीबों को काफी राहत मिली। लेकिन केन्द्र में जनता पार्टी का शासन आते ही जिन लोगों के कर्जे माफ किए थे वहां के साहूकारों ने यह कर्जे ब्याज दर ब्याज लेकर वसूलने शरू कर दिए और उन्होंने कहा कि यह कर्जा कांग्रेस सरकार ने माफ किया था, जनता पार्टी की सरकार ने नहीं। इससे स्पष्ट है कि उनको इस सरकार का संरक्षण प्राप्त है। यह जो विधेयक लाया गया है अगर इसका कडाई से और ईमानदारी से अमल होगा तो यह एक सराहनीय कार्य होगा। एक-दो समस्याओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शहरों में मजदूर हैं। आगरे में हजारों आदमी जूते का कार्य करते हैं। बैंकों से उनको हजार या डेढ हजार कर्जा मिला जिसके लिए उनको बैंक के कर्मचारियों को बहत कुछ भेंट चढ़ानी पडी। उनकी भी आज दयनीय दशा है और इस स्थिति में नहीं हैं कि कर्जा वापस कर सकें इसलिए उन का कर्जा भी माफ किया जाय। इस प्रकार और दूसरे मजदूर हैं जो कारखानों में काम करते हैं। जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया है वे उनको तनख्वाह मिलते ही अपने पास रख लेते हैं। ऐसे साहूकारों और कर्जा देने वालों के साथ भी कड़ी कार्यवाही करें। अन्त में यही निवेदन है कि इस विधेयक का सही मानों में कड़ाई से पालन कराया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह विधेयक जब अध्यादेश के रूप में पिछली सरकार द्वारा लाया गया था और आज जब यह विधेयक बनने जा रहा है, मैं महसूस करता हूं कि इस विधेयक की भावना एक है। वह केवल गरीबों के हेतु और इस देश की समृद्धि और खुशहाली को अपने श्रम का उपयोग करके बढ़ाना है। अपने सामाजिक जीवन में ऋण की व्यवस्था के बारे में जो अनुभव मुझे हुआ, उसको मैं यहां पर रखना चाहूंगा। ऋणग्रस्तता समाप्त करना यह तो हर्ष का विषय है। सरकार ऋण गरीबों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए देती है। मैं महसूस करता हूं कि इन ऋणों को दी जाने वाली प्रक्रिया बड़ी पेचीदगी है और ग्रामीण काश्तकार जो कि आत्म-हीनता से ग्रस्त हो, साधनहीन हो, जब ऋण लेने सहकारी संस्थाओं के पास जाता है तो इस प्रकार की पेचीदगी प्रक्रिया उसे अड़चन में डाल देती है। उसे सही रूप से ऋण नहीं मिल पाता है।

जैसा हमारे भूतपूर्व सहकारिता मन्त्री जी का एक बयान मुझे सुनने को मिला था कि चार करोड़ रुपए का कोआपरेटिव में घोटाला और गबन हुआ है और प्रदेश में मैं महसूस करता हूं केवल इनी-गिनी कोआपरेटिव सोसाइटी होंगी जहां काम ठीक से हुआ हो अन्यथा कहीं पर भी स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां गबन न हो, गड़बड़ी न हो, अनियमितता न हो। लेकिन एक तरफ इस विधेयक की भावना यह रही है कि हम गरीबी को दूर करें और जो गरीब वर्ग है, उसकी योग्यता, उसके श्रम का उपयोग इस देश के निर्माण में, विकास में भागीदार बनायें लेकिन दुख का विषय है कि पिछली सरकार की इसी प्रकार की पेचीदगी प्रक्रिया के कारण गरीब वर्ग चाह कर भी अपनी योग्यता का भागीदार या सहभागी राष्ट्र निर्माण में न बन पाया।

मैं जनता पार्टी की सरकार अर्थात् उत्तर प्रदेश सरकार से, जिसके माध्यम से यह विधेयक यहां पर रखा गया है, निवेदन करना चाहूंगा कि ऋण देने की प्रक्रिया सरल की जाय। साथ ही साथ वसूल करने की प्रक्रिया भी सरल की जाय और उस में यदि कोई गबन या घोटाला हुआ हो तो उसके लिए विभागीय अधिकारी जांच पड़ताल न करें बल्कि कोई आयोग के रूप में या दूसरी ऐजेंसियों के द्वारा की जाय। यदि ऐसा नहीं होता है तो एक ही विभाग, एक ही संस्था के कर्मचारी ऋण दें, अधिकारी स्वीकृत करें और वही अधिकारी और कर्मचारी घोटाले की भी इंक्वायरी करें। यदि यही व्यवस्था रहेगी तो जिन गरीबों की गरीबी को दूर करने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है, उसकी पूर्ति करने में अवश्य ही शंका रह जायगी। इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आज की परिस्थिति को देखते हुए और जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। साथ ही साथ इस देश के नव-निर्माण में, अपने श्रम का, अपनी पूंजी का उपयोग कर सकेगी और ऐसा तभी हो सकेगा जबकि ऋण देने की और वसूल करने की प्रक्रियां सरल बनाई जाय। इतना ही इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

विवाद ठीक ढंग से हो सके, इसके लिए पांच और एक होता है लेकिन मैं यह प्रयास करूंगा कि इस पक्ष (शासक दल) के तीन और उस पक्ष (विरोधी दल) के एक बोलें ताकि अधिकांश को अवसर मिल सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राज नरायन (जिला मिर्जापुर)--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मौका दिया है। श्रीमन, यह विधेयक जो आया है इसमें देश व प्रदेश का कल्याण निहित है। सभी लोग जानते हैं कि जिस अनुपात से गांव का किसान मजदूर धनी होगा उसी अनुपात से देश धनी होगा। इसके लिए हमें सोचना होगा कि किस तरह से गांव का किसान मजदूर धनी हो। इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक बात यह है कि गांव के किसान के पास खेती की तरक्की के लिए आवश्यक सामान व साधन की कमी न हो। उसके लिए रुपया और साधन जुटाए जायें। आजादी के 30 वर्ष बाद भी गांव का किसान व मजदूर गरीबी की हालत में तड़प रहा है। जो रुपया हम किसान को देते हैं वह बीच के दलाल को न जाकर गांव के किसान व मजदूर के पास पहुच सके और उसे आवश्यक चीजें मुहइया की जा सकें तो वह रुपया खेत की उन्नति व उद्योग के काम में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन घोटाला यह है कि वह रुपया गांव के किसान तक पहुच ही नहीं पाता है और थोड़ा बहुत जो पहुचता भी है, वह उस काम में इस्तेमाल नहीं हो पाता है जिस काम के लिए वह उस दिया जाता है।

हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि पूरा रुपया किसान को मिले और सही तरीके से वह उसे इस्तमाल करे और दूसरी जगह वह इस्तेमाल न कर सके। इस पर कड़ी निगरानी रखनी होगी और इसके लिए कानून बनाना होगा। देहात का किसान मजदूर तब तक धनी नहीं हो सकता जब तक छोटे-छोटे उद्योग धन्धे गांव में न फैलाए जायं और जो रुपया उनको दिया जाय उद्योग धन्धों के लिए वह उन उद्योग धन्धों में ही व्यय किया जाय। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक गांव का उद्धार नहीं हो सकेगा। छोटे-छोटे उद्योग धन्धे गांव में पनपेंगे तो लाखों ट्रक उस सामान को लाने के लिए चलेंगे, सड़कें बनेंगी। बड़े-बड़े कारखाने केवल बड़ी चीजों को ही बनाएं, छोटी चीजों को न बना पायें जो कुटीर उद्योग अथवा लघु उद्योगों में बन सकती हैं। इसके लिए कानून बनाया जाय तो गांव के किसान मजदूर की माली हालत सुधर सकेगी। अगर चार भाई हैं तो एक भाई खेती करेगा, 3 भाई लघु उद्योग में लग जायंगे। लाखों ट्रक उन चीजों को लाने में इस्तेमाल होंगे। लाखों दुकानें उन चीजों की बिक्री के लिए खुलेंगी जिससे गांव की बेकारी दूर होगी। गांव के लोग दिन रात मुकदमेबाजी में लगे रहते हैं और कचहरी दौड़ते रहते हैं, जब उनके पास काम हो जायगा तो रात-दिन काम में मशगूल रहेंगे और तब वे कचहरी अथवा मुकदमेंबाजी से दूर रहेंगे।

इस प्रकार जब गांव की तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी। हम को बड़ी गंभीरता से तथा लगन के साथ इस पर विचार करना है और इसके लिए अधिनियम बनाना है कि किस तरह से लाखों, करोड़ों रुपए की बेईमानी हो रही है वह खत्म हो और सारी चीजें गांव तक पहुंच सकें। उसका सही सद्उपयोग हो सके। जिस दिन हमारा प्रदेश इस तरफ आएगा मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस देश में एक बुनियादी चीज कायम हो जायगी और देश की तरक्की होते कोई देर नहीं लगेगी।

श्री शिवलाल मित्तल—

माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मन्त्री द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं और हमारे से पूर्व के जो वक्ता सत्तारूढ़ दल में थे और जो आज विरोधी दल के नेता हैं और थे उनके जो लोग हैं वे हरिजनों के उद्धार की बड़ी दुहाई देते हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि पिछले 30 सालों में गरीब गरीब हुआ है और अमीर अमीर हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं किया सिर्फ वर्गवाद का नारा लगा कर एक संघर्ष खड़ा कर दिया, उनके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिव लाल मित्तल—]

साथ जो कामरेड भाई हैं जो उनके साथ बैठे हैं उन्होंने भी इनका साथ दिया। कोई गरीब की रोटी-रोजी का इन्तजाम नहीं किया, कल-कारखाने उनके लिए नहीं खोले और गरीब लोगों को उन्हीं सेठों और जुल्म करने वालों के पास ही जाना पड़ा। आज भी वह नंगे बदन और भूखे हैं, पेट भर भोजन उनको नहीं मिलता है परन्तु आज यह दुहाई देते हैं हरिजन उद्धार की और कोरा नारा लगा रहे हैं। 30 साल में आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। क्यों नहीं आपने दूध दही की गंगा बहाई? कोरा नारा लगाते रहे ताकि वोट इनको मिलता रहे। यह झूठे नारे लगाते हैं कि हरिजनों के साथ अन्याय होता है। हम भी इन्सान हैं, हमारी सरकार ने जो जिम्मेदारी हाथ में ली है, उसमें वह हर गरीब और छोटे-बड़े की रक्षा करेगी, उनके जानमाल की रक्षा करेगी, गरीब के पेट का पालन-पोषण का प्रबन्ध करेगी।

जहां तक कर्जे का मामला है गांधी जी ने कहा था कि मिल कर रहो, बांट कर खाओ। सरकार ने जो किसानों की तरक्की के कानून बनाए उनमें भी कांग्रेसियों ने पार्टीबाजी की बात पैदा करके उसमें खाई बना दी और जो कर्मचारी बदनाम थे और जो इन्हें वोट दिलाते थे, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाता था और जो ईमानदार लोग थे उनका ट्रांसफर कर दिया जाता था चाहे वह कोआपरेटिव सोसायटीज के लोग हों या डी0सी0डी0एफ0, उनसे गरीबों को फायदा नहीं हुआ। उनमें एकदम अन्धेरगर्दी बड़े पैमाने पर चलती रही। पूर्व की सरकार ने सम्बन्धित लोगों को 10, 10 साल तक ट्रांसफर नहीं किया, पूर्व की सरकार ने आश्वासन दिया लेकिन उनके ट्रांसफर रुके रहे अगर यही स्थिति रही और कड़ाई से काम नहीं लिया 6 और 8 साल बाद ट्रांसफर होते रहे तो अन्धेरगर्दी सुधरेगी नहीं। यह बी0 डी0 ओ0 और ए0डी0 ओ0 और दूसरे लोग जो जिम्मेदार हैं, उनका तीन साल में ट्रांसफर कर दिया जाय। कांग्रेसी सरकार ने जो गरीबों को कर्ज दिया था वह इसलिए दिया था कि ताकि उनकी जमीन कब्जे में आ जाय। किसानों को जो मशीनों आदि के लिए कर्जा मिलता है उसमें भी वह लोग कम्पनियों से मिल गए। उसको कर्जा खुले बाजार से खरीदने के लिए नहीं मिलता है, वह चाहे ट्रैक्टर हो या दूसरी चीज हो वह कम्पनियों से ही मिलेगा। लोगों का इस प्रकार से शोषण किया, हरिजनों और मजदूरों को इन्होंने सताया है और अपने फायदे के लिए एक वर्ग संघर्ष खड़ा कर दिया है और आज उनको दुहाई देते हैं। इन शब्दों के साथ में प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव आया है, इसका कड़ाई से पालन किया जाय और ट्रांसफर का जो मामला है, वह तीन साल कर दिया जाय। किसी को रोका न जाय।

श्री कन्हई सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक द्वारा मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं वैसे तो सारे प्रान्त में जो साधन सहकारी समितियां हैं और उनके जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उससे गरीब जनता पीड़ित है। मैं खासकर अपने जिले की बात कहता हूं, जो अधिक पिछड़ा हुआ है। साधन सहकारी समितियों के माध्यम से कई काश्तकारों ने बिलकुल कर्जा नहीं लिया है, लेकिन उनसे लिखा लिया गया है और फलस्वरूप उनसे वसूल किया जा रहा है। बहुत से काश्तकारों के पास रसीदें हैं, उनसे भी जोर जबरदस्ती वसूल हो रहा है। एक तरफ तो पिछली सरकार ने कानून बनाए हैं कि हरिजनों का कर्जा माफ किया जाय, दूसरी तरफ साधन सहकारी समितियों की तरफ से जोरों की धांधली हो रही है। उनको जो कर्जा मिल रहा था, वह भी बन्द हो गया है, इसके कारण साधन सहकारी समितियों का चलना मुश्किल हो गया है। काश्तकार परेशान हैं। कर्जा जो पहले साहूकारों से लिया जाता था, वह तो देर सवेर दे दिया जाता था, लेकिन यहां तो जानवर कुर्क हो जाते हैं।

दूसरी बात भूमि विकास बैंक के सम्बन्ध में है, जो कर्जा पम्पिग सेट्स खरीदने के लिए दिया जाता है, उस पम्पिग सेट की कीमत 28--29 सौ रुपया ही होती है, किन्तु उसकी कीमत उनसे 4 हजार रुपया ली जाती है। कम से कम एक हजार रुपया उनसे अवश्य ज्यादा लिया जाता है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह कर्जा नकद उनको दिया जाय और जो पम्पिग सेट खरीदने को कहा जाय, वह अच्छी कम्पनी का और रजिस्टर्ड कम्पनी का हो । पिछली बार आगरा से निकला हुआ जो सेट काश्तकारों से खरिदवाया जाता था वह मुश्किल से एक महीना ही चलता था। किसान के पास जाने के 1 महीने बाद वह बन्द हो जाता था, किन्तु फिर भी उनसे कर्जा वसूल होता है, उसके जानवर कुर्क होते हैं, उसे जानवरों को बेचना पड़ता है, उसे सारा गल्ला बेचना पड़ता है। पम्पिग सेट खाली पड़ा रहता है, जब सिंचाई का समय आता है वह काम नहीं करता है। इसलिए भूमि विकास बैंक के माध्यम से जो कर्जा उन्हें दिया जाय वह उनको रुपए की शक्ल में दिया जाय और रजिस्टर्ड कम्पनी से खरीदने के लिए कहा जाय। भूमि विकास बैंक की धांधली बन्द कराई जाय, जिससे वे अच्छी तरह से अपनी पैदावार कर सकें और अपने कर्जे की भी अदायगी कर सकें।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा) —

अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक अभी पेश किया गया है, उसके समर्थन के लिए मैं कुछ शब्द यहां कहना चाहता हूं। यह ऋण का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। देहातों में 29 वर्ष से जो प्रक्रिया चलती रही है, वही चले तो नए परिपेक्ष्य में हम देश को क्या देंगे, उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज भी वसूली में उनके कृषि यन्त्र और जानवर कुर्क कर लिए जाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति चकनाचूर हो जाती है। इस स्थिति में परिवर्तन होना परम आवश्यक है। गरीब व्यक्तियों के रोजी-रोटी के साधन कुर्क कर लिये जायं, यह कतई उचित नहीं है। जब उसकी आर्थिक दशा ऐसी नहीं है कि वह कर्जा वापस दे सके तो उसकी सम्पत्ति कुर्क करा लेना कहां तक उचित है ?

उसके सारे सामान को कुर्क कर दिया जाता है जिससे उसकी सारी आर्थिक स्थिति चकनाचूर हो जाती है। जो गरीब हैं, उनके रोजी-रोटी के साधन कुर्क हो जायं, जब कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे समय पर कर्ज की अदायगी कर सकें, वर्तमान स्थिति में यह एक बड़ी भारी कठिनाई है। सहकारी समितियों में जहां इतने जबरदस्त धपले हैं प्रोनोटों के बारे, वहां कुछ ऐसे ऋण हैं जिन को लोगों ने लिया नहीं है, उनकी वसूली की जा रही है। ऐसा कोई प्राविधान नहीं बना जिससे उनकी वसूली न की जाय। माननीय मन्त्री जी, मुझे खुशी है, यह विधेयक लाए हैं जिससे देहात की जनता को राहत मिलेगी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऋण की अदायगी में, वसूली में जो दिक्कतें आ रही हैं, नए परिपेक्ष में उनको सोचें, जिससे उन गरीबों की गिरफ्तारी पुराने तरीके से न हो। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री देवेन्द्रदत्त शास्त्री (जिला देहरादून)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने विधेयक के ऊपर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। पिछले तीस साल तक गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए, गरीबों को बड़े-बड़े लोगों के शोषण से बचाने के लिए, देश के अन्दर उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं बनीं, मैं समझता हूं आज हमारे राजस्व मन्त्री द्वारा जो विधेयक आया है, जो बड़े-बड़े पूंजीपति और साहूकारों से शोषितों को बचाने के लिए विधेयक आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उसके साथ पिछले तीस साल के अन्दर गरीबों की गरीबी को दूर करने के लिए, शोषितों को बचाने के लिए, जो विधेयक आए हैं, उनका असर उल्टा होता गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री—]

उसका परिणाम यह हुआ कि नए साहूकार पैदा हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर सहकारी समितियों के सुपरवाइजर और सेक्रेटरी जो दो सौ रुपए वेतन पाते हैं, उनकी चार-चार बसें चलती हैं। कहने के लिए उनको गांवों में इसलिए भेजा गया था कि शोषित वर्ग, गरीब वर्ग, हरिजन वर्ग, भूमिहीन किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति ऊपर उठेगी। लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। कारण यह था कि तीस साल के अन्दर गरीबी को दूर करने के लिए, शोषण से बचाने के लिए जो योजना बनाई गयी थी वह इस तरह की योजना थी जिससे गरीब लाभ नहीं उठा पाता था। जो बड़ी हैसियत वाले लोग थे वे सहकारी समितियों के द्वारा लाभ उठाते थे। गरीब, हरिजन और शोषित की हैसियत नहीं होती थी। परिणाम यह होता था उस योजना का लाभ बड़े किसानों और पूंजीपति लोगों को मिलता था। मेरा राजस्व मन्त्री जी से निवेदन है कि जो विधेयक आ रहे हैं, पिछले तीस सालों में जो विधेयक आ रहे हैं, उनसे शोषित का शोषण हुआ है, भूमिहीन भूमिहीन ही रहा। इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं राजस्व मन्त्री से निवेदन करूंगा कि पिछले तीस साल में जितने विधेयक हैं, उन्हीं का परिणाम है कि शोषित और शोषित होता गया है और पैसे वाला मोटा होता गया। इन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए माननीय राजस्व मन्त्री इस विधेयक का अमल शोषित, भूमिहीन, हरिजनों को बचाने के लिए, मजदूरों का शोषण रोकने के लिए करेंगे, तो तीस साल की सारी बुराइयां धुल जायेंगी और आने वाले अधिनियम से उन गरीबों का रक्षण करेंगे। मुझे आशा है कि राजस्व मन्त्री इस ओर ध्यान देंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो बुराइयां हैं, वह दूर हो जायें। आज से 30 साल पहले जो आदमी दोनों वक्त खाना खाता था उसकी दशा ऐसी हो गयी है कि उसको एक बार रोटी भी नहीं मिल पा रही है। जिस आदमी के पास 5 बीघा जमीन थी वह आज भूमिहीन हो गया है। 30 साल में जितने भी विधेयक बने हैं उनसे चन्द लोगों को ही फायदा पहुंचा है। मैं राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस विधेयक को व्यावहारिक बनावें और जो 30 साल की बुराइयां हैं, उनको दूर करें, जो दरिद्र नारायण हैं उनको ऊपर उठा सकें। मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को इस रूप में अमल में लाया जायेगा जिससे आम जनता का हित हो।

*श्री राम प्रताप शास्त्री (जिला एटा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत करने के साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि इस विधेयक के लाने से ही गरीबी दूर नहीं हो जावेगी अगर इस विधेयक के साथ ही साथ कुछ अन्य सुधार न किए गये। मैंने देखा है कि बैंकों में, जिनके द्वारा किसानों को ऋण दिया जाता है जैसे भूमि विकास बैंक होता है, जिसमें किसानों को मशीने और सिंचाई के लिए इंजन खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है, वहां पर बहुत ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वहां के मैनेजर से मैंने बात की, वह कहते हैं कि किसान को इंजन या मशीन की खरीदारी के लिए हुण्डी दी जाती है। उस हुण्डी के द्वारा किसान को 1,800 से 2,000 रु0 तक का नुकसान उठाना पड़ता है। यह नुकसान इस तरह से होता है कि उसमें से कुछ मैनेजर खाते हैं, कुछ उनके एजेंट खाते हैं और इसके अलावा जिस कम्पनी से वह इजन या मशीन खरीदना चाहता है, उसके डीलर भी खाते हैं, उनका भी उसमें कमीशन सम्मिलित रहता है और वह रुपया काट लिया जाता है। तो यह सब चीजें जो किसानों को ऋण देने के सम्बन्ध में की जाती हैं, उनको दूर करना चाहिए। तो इसी तरह से अन्य बैंकों मे भी यह व्यवस्था ह कि ऋणभोक्ता के पास रुपया पहुंचने तक 3/4 समाप्त हो जाता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और जो रह जाता है वह जब सामान खरीदने के लिए जाता है उसमें से कटौती हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो उससे सूद की रकम ली जाती है वह भी अधिक ली जाती है। बड़ी कम्पनियों को जो रुपया दिया जाता है उस पर उनसे कम दर पर सूद लिया जाता है, लेकिन किसानों के लिए जो ऋण दिया जाता है उसमें सूद बहुत ज्यादा होता है। हुन्डी की जो व्यवस्था है वह बराबर चलती रही है और दलाल बीच में रुपया खाते रहे हैं।

किसानों को इस तरह के दलालों से बचाया जाये और इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे किसानों को सीधे उसके हाथ में पैसा मिले और जहां से वह चाहें अपना इंजन या मशीनरी खरीद सकें। मैं इस विधेयक का इसलिए और स्वागत करता हूं कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ऋण से अधिक फायदा न पहुंचाकर लघु उद्योगों में अधिक लगाया जाये। इसके द्वारा छोटे-छोटे कारखानों को ऋण के पैसे का अधिक वितरण किया जाये और जो हमारी सरकार का लक्ष्य है, उसको पूरा किया जाये। उसका अधिकांश भाग लघु उद्योगों में लगाया जाय और उसके साथ-साथ किसानों और मजदूरों का हित भी सोचा जाय। अभी तक यह प्रथा चली आई है कि प्रत्येक बैंक जो इस प्रकार के ऋण देते हैं उनमें सहकारी समितियों के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो इस तरह से यह प्रयास रहता था कि किसी तरह से, अटकलबाजी से वह अध्यक्ष बन जाय ताकि कमाई का जरिया बन सके। मेरी प्रार्थना है कि इस अध्यक्षीय प्रणाली को समाप्त करके सरकार के नुमाइन्दे को नियुक्त करके उसकी देख-रेख में यह काम कराया जाय। यदि ऐसा कर दिया गया तो जो इसमें शोषण होता था, वह समाप्त हो जायगा। इसलिए मैं इस विधेयक का जोर के साथ समर्थन करता हूं।

यह विधेयक भारत की और अपने प्रदेश की भी गरीबी को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है और यदि उस पर सही प्रकार से नियन्त्रण रहेगा तो मैं समझता हूं कि इससे गरीबी कुछ अंशों में अवश्य दूर होगी। बड़े-बड़े उद्योगों पर भी अंकुश लगाया जाय क्योंकि अभी तक यह प्रणाली थी कि बड़े-बड़े उद्योगपति इस ऋण के द्वारा लाभ उठाते रहे हैं, उन को ही यह ऋण अधिक मात्रों में मिलता रहा है जिसके कारण वे बड़ी-बड़ी कोठियां बना लेते हैं, कारें खरीद लेते हैं और ऐशो आराम करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस प्रणाली पर शासन का नियन्त्रण अवश्य रखा जाय और जो छोटे मजदूर हैं, गरीब हैं, उनको ऋण नई प्रणाली बनाकर दिया जाय या प्रत्येक जिले में जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी एक समिति बनाई जाय ताकि उसके द्वारा ऋण व्यवस्था बनाई जाय। यदि ऐसा नहीं होगा तो आज तक जिस प्रकार से जो प्रणाली चली आ रही है वही चलती रहेगी और ऋण गरीब आदमियों को नहीं मिल सकेगा। आज तक यह उन गरीबों तक केवल 50 प्रतिशत ही पहुंच पाया है।

इसके अतिरिक्त इस पर सूद की दर भी बहुत अधिक है। नतीजा यह होता है कि गरीब किसान मशीन, इंजन या पम्पिंग सेट्स नहीं खरीद पाते हैं और अगर खरीद भी लिया है तो 1-2 महीने बाद उनकी नीलामी हो जाती है और वे ऋण भी अदा नहीं कर सकते हैं। उनकी जमीन भी नीलाम हो जाती है। बहुत से भूमिधर, भूमिहीन हो गए हैं। ऐसी दशा में यह विधेयक हमारे देश और प्रदेश के लिए बहुत ही लाभदायक है और मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन मेरा सुझाव है कि इस विधेयक द्वारा जो ऋण वितरण किया जाय उसकी व्यवस्था एक नई प्रणाली के द्वारा की जाय, पुरानी परम्पराओं को छोड़ कर की जाय और उसका प्रबन्ध जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, जो प्रत्येक जिले से चनकर आए हैं, कराया जाय जिससे ऋण देने की व्यवस्था सही ढंग से हो ताकि वह गरीबों तक और किसानों तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त हमारे जो लघु उद्योग हैं, उनको भी प्रोत्साहन दिया जाय।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल) —

माननीय, हमारी पिछली सरकार ने विरोधी दल के सुझावों को भी ध्यान में रखते हुए और अपनी सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए बहुत से कदम उठाए थे। उनमें से एक कदम जो विधेयक आज प्रस्तुत हुआ है, उसको स्वीकार करते हुए प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

श्रीमन्, बहुत से कदम जो हमने उठाए थे, वे अभी विचाराधीन हैं। उन पर यह जानकर कि यह सरकार क्या निर्णय लेगी, मैं विस्तार के साथ तो राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन उपस्थित करते हुए यह चेष्टा करूंगा कि उन पर चर्चा करूं। इस समय उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि यह अप्रासांगिक होगा। यह जो ऋण अनतोष विधेयक है इसके सम्बन्ध में कांग्रेस सरकार ने एक कदम उठाया था। यह सबका सुविचारित मत था, एक पार्टी का मत नहीं था। यह तो सारे देश और प्रदेश का प्रश्न था कि जो कर्जे चल रहे हैं, महाजन के आधार पर जो शोषण, जो दहने का, अन्याय का रूप ले चुके हैं किस प्रकार उनका प्रतिकार हो। यह कांग्रेस सरकार और देश के सन्मुख प्रश्न था। सन् 1974 में पहले कदम उठाया गया था कि जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, छोटे किसान, लघु कृषक और ग्रामीण कारीगर, रूरल आर्टिसन हैं उनके लिए, एक हेक्टेयर तक के जो किसान हैं जिनके कर्जे की वसूली के मामले कोर्टस में चल रहे हैं, उनको स्थगित किया जाय। फिर सोचा गया कि इस सम्बन्ध में क्या हो? तो 1976 में इस पर केन्द्र से विचार कर के, प्लानिंग कमीशन से, रिजर्व बैंक से विचार करके यह सोचा गया कि यह ऋण माफ कर दिया जाय जो कि एक शोषणकारी ऋण है जिस पर 50-60-100 फीसदी ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में लोगों का जीवन भर का बोझा बन जाता है। इससे छोटे किसान, गरीब मजदूर को राहत देनी चाहिए। इसके लिए आर्डिनेंस निकाला गया, फरवरी, 1977 में चुनाव के झंझावात में चूंकि राष्ट्रपति से उसकी स्वीकृति मिलने में थोड़ा समय लगा तो वह ऐसे अवसर पर गजट हुआ जबकि हम चुनाव में लगे रहे। अब न तो चुनाव का अवसर है, न वोट मांगने का। निर्णय जो जनता का हो चुका है, वह हो चुका है। अब इसमें प्रचार करने का भी अवसर नहीं है। अब तो कार्य करने का अवसर है। फैसला जो हुआ है उसको लागू करने का अवसर है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है, क्योंकि आज बहुत से अच्छे कानून हैं, जिनके लिए वे बने हैं, उनको मालूम ही नहीं हैं। उनको मालूम कराने के लिए जो राजनीतिक दलों में कार्य करते हैं वह ठीक से प्रचार नहीं कर पाते। समाचारपत्रों में उनके प्रकाशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिले के स्तर पर भी। मैं मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि अपने सूचना विभाग को इस प्रकार के आदेश दें कि जो इस प्रकार के विधेयक हैं उनकी सूचना जिले के समाचार-पत्रों के माध्यम से, जो सरकारी विज्ञापन होते हैं, जो फिल्में होती हैं उनके माध्यम से प्रचार कराया जाय। हमने कोशिश की थी कि इस दिशा में, जिससे गरीब लोगों को मालूम हो कि हमारे लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

जो हमने फरवरी, 1977 में आर्डिनेंस निकाला था उसका आज एक विधान का, कानून का रूप दिया जा रहा है, यह हर्ष का विषय है। मैं कोई बहुत सलाह देने का अधिकारी तो नहीं हूं, लेकिन जो सदन ने जिम्मेदारी दी है विरोधी दल के नेता होने के नाते, मैं इतना अवश्य विनम्रतापूर्वक सलाह दूंगा मुख्य मन्त्री जी को कि इसका ध्यान रखा जाय कि विधेयक का सम्बन्ध किस-किस मन्त्री से है। हम लोग इसका ध्यान रखते थे, साथ ही हमारे विरोधी दल के नेता जो गलतियां बताते थे तो हम उनके निराकरण की कोशिश करते थे। यह ठीक है कि राजस्व मन्त्री जो इसके भार-साधक मन्त्री हैं, वह मौजूद हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन यह केवल राजस्व मन्त्री का विधेयक नहीं है। क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो ऋण अधिकारी होंगे वह इनके मातहत होंगे, लेकिन इसके साथ-साथ सहकारिता विभाग और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस विभाग, संस्थागत वित्त विभाग का बहुत बड़ा सम्बन्ध इस विधेयक से था। मझे दुख है कि वे दोनों मन्त्री आज इस समय उपस्थित नहीं हैं और न पहले थे। मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हं। शायद उन्हें मालूम न रहा हो या कोई कारण रहा हो मैं नहीं कह सकत', लेकिन इनने माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए, कुछ सहकारिता विभाग और कुछ संस्थागत वित्त से सम्बन्धित थे, तो बैंकों से बातचीत करने वाले मन्त्री को भी यहां होना चाहिए था।

माननीय सदस्यों ने बहत अच्छे सझाव दिए। अगर कोई माननीय सदस्य हमारी आलोचना करता है तो इसमें मझे कोई बरा नहीं लगता क्योंकि आलोचना करना एक अधिकार है और अगर कट् आलोचना भी होती है तो हमें उसे सूनने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं बधाई देता हं जिन माननीय सदस्यों ने अपनी मेडेन स्पीच दी। पहली स्पीच का बहत महत्व होता है। पहली स्पीच चाहे देर में दें लेकिन होशियारी से दें क्योंकि उसकी एक साख होती है। मैं आज देख रहा था कि बहत से माननीय सदस्यों ने अपनी पहली स्पीच दी और ढंग से दी। मैं उनको बधाई देता हं। साथ ही साथ मेरा यह भी आग्रह होगा एक बड़े भाई के नाते जो हमारे मेधावी सदस्य चुन कर आए हैं कि भविष्य में भी जो वक्ता बोलेंगे वे इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे।

जो विधेयक आज बन रहा है उसके दो पहलू हैं। एक तो जो आने वाले कर्ज हैं उनका नियमन इनडायरेक्ट वे में होता है। दूसरी तरफ इसका परिहार होता है नए ऋण कैसे दिए जायेंगे, इसके लिए शायद कानून नहीं है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नियमित करता है कि ऋण कैसे दिए जायं क्योंकि यह पराने ऋणों को माफ करता है और आगे आने वाले ऋणों को रोकता है कि शोषणकारी न हो। तो जो शोषणकारी ऋण हैं उनको समाप्त करता है। और शहरी मजदर इसमें नहीं थे पहले। उस आर्डिनेंस में यह विशेषता रखी गई थी, इस विधेयक में भी है कि शहरी मजदूरों को पहली बार शामिल किया जा रहा है और जो हमारे विधायक शहरी क्षेत्रों मे आते हैं वे अपने क्षेत्रों में इसका ज्यादा प्रचार करें। रिक्शा चालक और जो हमारे सफाई मजदूर हैं, शहरी मजदूरों की परिभाषा इसमें लिखी हुई है और मैं आशा करता हं कि हर माननीय सदस्य इस विधेयक को अपने पास रखेंगे क्योंकि मैं इसको पार्टी का प्रश्न नहीं समझता हं। आप कितना ही हमसे नाराज हों लेकिन कोई अच्छा काम हमसे हुआ हो तो उसको लाग् करने की जिम्मेदारी आपकी है। इस दृष्टि-कोण से आप देखें कि शहरी मजदूरों को इसमें लाया गया है और इसमें कर्ज माफ करने का प्राविधान है।

कुछ सदस्यों ने कहा कि लाग् कैसे करेंगे ? उसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए कुछ अफसरों की नियुक्ति करनी होगी, चाहे राजस्व विभाग के हों या नए अधिकारी रखने पड़ें। लेकिन ऐसा न हो कि हम नए पद इसलिए न बनायें कि खर्चा होगा। ऐसे आवश्यक बिल को लाग् करने के लिए अगर खर्चा कुछ करना भी पड़े जिससे गरीब लोगों को मदद पहंचती हो तो मैं माननीय मख्य मन्त्री जी से कहंगा कि उसमें कोताही न करें क्योंकि ऋण परिशोधन अधिकारी का अत्यन्त महत्व का पद है और कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में कहा कि इसका लाग् करना सब से मश्किल है। हमारा भी अनुभव है कि इसके लाग् करने में कठिनाई होती है और इसके लिए नियमावली सबसे महत्व की चीज होती है। मझे विश्वास है कि यह सरकार नियम बनाने में ध्यान देगी। हमने भी ध्यान देने की कोशिश की थी, आशा है आप और अधिक ध्यान देंगे जिससे कि यह विधेयक ठीक प्रकार से लाग् किया जा सके। इसके अनुसार जिस भूमिहीन मजदूर की आय 2,400 रुपए सालाना है उनका कर्जा माफ हो जायगा।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

दो हेक्टेयर का जो किसान है उस पर जो पुराना शोषण कर्ज होगा वह कम हो जायगा और उसको 6 परसेंट के हिसाब से ब्याज देना होगा तथा यह भी है कि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देना होगा। यह सब इस विधेयक की विशेषता है। जो सीमान्त कृषक हैं, आर्टिजन हैं, शहरी मजदूर हैं, उनको सही माने में, इसका लाभ होगा। एक कठिनाई है जिस पर हमने विचार किया था, मैं नहीं जानता कि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने उस पर विचार किया है या नहीं, शायद उनको समय कम मिला है लेकिन जैसा कि माननीय भगौती सिंह जी ने कहा वह बात सही है कि इसे विकल्पहीन नहीं होना चाहिए। विकल्प होना चाहिए। यह नए ऋण को रोकने वाला विधेयक नहीं है। यहां पर यदि इस समय संस्थागत मन्त्री महोदय और सहकारिता मन्त्री महोदय होते तो अच्छा रहता, एक समन्वय हो पाता। फाइनेंस डिपार्टमेंट को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। यह एक अलग प्रश्न है और इस पर मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय जिक्र करूंगा। इस समय विकल्प यह होना चाहिए कि उचित ब्याज पर उचित कर्जा मिल सके। जो भूमिहीन मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, शहरी मजदूर हैं, गरीब हरिजन हैं, उनको उचित कामों के लिए उचित ब्याज पर कर्ज मिल सके। यह व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, इसके लिए काफी बातचीत हुई थी। बंगलौर में माननीय मुख्य मंत्रियों, अन्य मंत्रियों तथा प्लानिंग कमीशन के मेम्बरों आदि का जो सम्मेलन हुआ था, तत्कालीन वित्त मन्त्री भी उसमें थे, वहां इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला था। उस वक्त यह अन्दाज लगाया गया था कि कन्जम्पशन लोन की करीब पौने पांच सौ करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। यह आवश्यकता बिना मुद्रा स्फीति पैदा किए हुए होगी। कुछ लोगों का कहना था कि पौने दो सौ करोड़ की आवश्यकता होगी। श्रीमन, आवश्यकता यह है कि फिजूल खर्ची के लिए उसको न दें। उससे मुद्रा स्फीति को बढ़ावा मिलता है। दहेज के लिए उसे न दें। ऐसे आइटम्स को जैसे दहेज है और फिजूल खर्चे हैं, उनको रोकना चाहिए। हमारे प्रदेश में 70 करोड़ की आवश्यकता कम से कम है। इसके लिए कहां से व्यवस्था हो? ग्रामीण बैंकों की जो परिकल्पना की गई थी उसका प्रारम्भिक आधार यही था।

यह बात बड़े दुख की है कि ग्रामीण बैंक रहे या न रहे, मैं समझता हूं कि जब तक रूरल बैंक हैं और उसमें एक विचार यह है कि कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से कन्जम्पशन लोन दिए जायं, अब यह विचार की बात है। जो ग्रामीण बैंक 12-14 खुलने वाले थे, वे बैंक खुलें। उसका प्रयास माननीय राजस्व मन्त्री को, माननीय मुख्य मन्त्री को करते रहना चाहिए। हमने यह व्यवस्था की थी कि सहकारी समितियों के जरिए ग्राम सभापति, को यह व्यवस्था दे दें कि रात में अगर किसी के घर में बीमारी हो गई है या मौत हो गई है तो उसको 100 रु0 तक या डेढ़ सौ रुपए तक उसको कर्जा दे दे। जो हमने निर्णय लिया था, ग्राम सभापति को सोसायटी का एजेंट मान कर दवा के लिए, शिक्षा के लिए और बीमारी के लिए, घर में कोई मौत हो, शादी के लिए सहकारी समितियों के जरिए यह ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राम सभापति को अधिकार होना चाहिए कि दो मदों के लिए आधी रात के समय भी कोई आवश्यकता हो, जैसे महाजन के यहां रात को कोई जाय, तो वह जेवर रखकर रुपया ले लेता है, उसी प्रकार से इन दो मदों के लिए अगर ग्राम सभापति के पास आधी रात को कोई व्यक्ति जाय तो उसको रुपया मिल जाय। इसीलिए हमने तय किया था कि ग्राम सभापति को माध्यम बनाया जाय सोसायटी के एजेंट के रूप में। हमने इस तरह की व्यवस्था सोची थी। तो मेरा यह आग्रह है कि ऐसी व्यवस्था देहातों में होनी चाहिए।

शहरों में भी यह अधिकार म्युनिसिपल बोर्ड को देना होगा, क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करना होगा। तो मैं चाहूंगा कि जो हमने विकल्प सोचा था उनको भी आप ध्यान में रखेंगे। साथ-ही साथ मैंने प्लानिंग कमीशन से तय कर लिया था रुपया लोन लेने के लिए। अब प्लानिंग कमीशन बदल गया है। प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन बदल गए हैं। लेकिन वह बातें बदली नहीं हैं। इसलिए अब नए प्लानिंग कमीशन से सरकार को लड़ना होगा ताकि जो वास्तविक भूमिका है, जिससे गरीबों को ऋण प्राप्त हो सके और जो महाजनी ऐक्ट है यह बिलकुल अलग है।

महाजन प्रणाली को नियमित करने के लिए एक विधेयक पहले हम पारित कर चुके हैं। तो उसको भी ठीक से लागू करना होगा। वह एक अलग प्रश्न है। मैं उनकी बात मानता हूं कि लाइसेन्स बनाने मे कुछ देर हुई हो। तो अब सब बातों को ध्यान में रखकर चलना है। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक की जो आत्मा है उस आत्मा को स्वरूप देने में, उसको आकार और प्रकार देने में और शहरी और ग्रामीण मजदूरों, सीमान्त कृषकों को सहायता देने का जो प्रयास हमने शुरू किया है, जो 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किया गया था, उसको आगे बढ़ाया जायेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस दल इसे दल का प्रश्न नहीं बनायगा। जो काम हमने शुरू किया और चलाया अगर आप उसको ठीक से लागू करेंगे तो हम पूरा सहयोग आपको देंगे।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

यह कार्य केवल सरकारी स्तर पर चलने वाला नहीं है। हम भी मंडल स्तर पर जो हमारी समितियां हैं, ब्लाक स्तर पर जो समितियां हैं उनसे कहेंगे कि वह आपको इसमें पूरा सहयोग दें। आपकी जो स्थायी समितियां हैं उनकी मदद आप लें। केवल सरकारी विधान से यह कार्य होने वाला नहीं है। इसके लिए बड़े भारी संगठन की आवश्यकता होगी। कम्युनिस्ट पार्टी ने इस सम्बन्ध में बहुत कार्य किया है। मैं उनको बधाई देता हूं कि जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है गांवों में और शहरों में, उसी तरह सब राजनीतिक दलों को अपने मतभेद भुलाकर यह काम करना होगा तब जाकर एक वातावरण बनेगा। संघर्ष के वातावरण में, गुस्से के वातावरण में यह समस्या हल होने वाली नहीं है। दलगत यह प्रश्न भी नहीं है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को जो 20-सूत्री कार्यक्रम की आत्मा थी, एक सही आकार और दिशा देंगे।

(शोर)

एक सदस्य—

और 5 सूत्री कार्यक्रम का क्या हुआ ?

*श्री शम्भू नाथ (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष जी, इस बिल पर बहुत काफी बहस हुई है और मैं ऐसा समझता हूं कि काफी मुद्दों पर प्रकाश डाला जा चुका है। मुझे 2-3 बातों को कहना है। मैं अपने भाई नेगी जी को, जिन्होंने रूल्स और रेगूलेशन की बात बताई उनसे इत्तफाक करता हूं कि उस ऐक्ट को बनाने के बाद नियम तत्काल बन जाने चाहिए। इससे स्पष्ट तरीके से लोगों को मालूम हो जायगा कि किस तरह से इसका इक्जीक्यूशन होगा। इस बिल को पढ़ने पर मैंने पाया कि इसमें वाद और अपील करने का भी आयोजन है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस सम्बन्ध में गरीब आदमी खर्च को बर्दाश्त नहीं कर पायेगा। इसलिए खर्च चाहे वह स्टाम्प के जरिए से हो या और किसी जरिए से गरीब को बर्दाश्त न करना पड़े। इसलिए इसमें कोई व्यवस्था होनी चाहिए और स्टाम्प वगैरह से इसमें छूट होनी चाहिए। मैंने इस के एम्स और आब्जेक्ट्स को पढ़ा। मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भू नाथ---]

हमको यह मालूम हो जाय कि जब यह विधेयक बना था उसके बाद से लेकर आज तक हमारे प्रदेश में कितने ऐसे भूमिहीन कृषक थे जिनको इससे लाभ मिला। अगर इसका विवरण इसमें कहीं होता तो मालूम होता कि कितने लोगों को इससे सहायता या लाभ मिला है। मैं कहने के लिये को तैयार हूं कि जिस समय यह पुराना विधेयक बना था देहात में एक तरह से कटुता पैदा हुई। उस समय दो तरह की भावना चली थी---एक तो भावना थी कि गरीब में हिम्मत नहीं थी कि वह कर्ज को पचा सके और दूसरे कर्ज देने वाले ने भी कर्ज देना बन्द कर दिया। इसलिए कटुता पैदा हुई। तो मैं कह सकता हूं कि जितने भूमिहीन हैं या जिनको यह सहूलियत दी गयी है यदि उसके आंकड़े देखे जायं तो शायद परिणाम शून्य निकले और दूसरे डाइरेक्टली परसेंट ऐसा नहीं है जिनको फायदा हुआ हो। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इसको अमली जामा पहनाने के लिए इसमें व्यवस्था करें और तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो कहावत है कि पुरानी शराब और नई बोतल हो जाय।

हमारे माननीय सदस्यों ने हरिजनों के बारे में बहुत कहा है जिसकी मैं कदर करता हूं लेकिन विश्वास करें कि इस विधेयक से जो भूमिहीन कृषक या हरिजन मजदूर हैं वे 10 प्रतिशत भी ऐसे नहीं हैं जिनको कि इस बिल से फायदा हो सका होगा। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसके लिए ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे मजदूर हरिजनों को मालूम हो सके कि इसमें क्या है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं कि हमारे लिए क्या सरकार ने किया है। न तो सरकार की ऐसी मशीनरी है जिससे कि वह अपनी शिकायत करने जाय ताकि उनको राहत मिल सके। इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है। देखने में यह चीज अच्छी लग रही है लेकिन यदि इसका प्रापर उपयोग नहीं हुआ तो इसको पास करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि एक तो सर्वेक्षण कराया जाय कि जब से बिल पास हुआ है तब से उसके क्या परिणाम निकले हैं? उसकी लाइट में सरकार ऐसी मशीनरी बनाने की व्यवस्था करे जिससे उन गरीबों को राहत मिल सके।

मान्यवर, एक बात और आल्टरनेटिव सोर्स लोन देने का जो है, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि बात सही है तभी लोगों ने इस प्वाइंट पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आल्टरनेटिव सोर्स जो है गरीबों को लोन देने के लिए सरकार की तरफ से होना चाहिए। सहकारी समितियों के जरिए जो लोन देने की बात कही गई है, वह सही है। मान्यवर, सरकारी ऋण को फ्लैट रेट से माफ नहीं किया जा सकता है लेकिन मन्त्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि जो सहकारी ऋण गलत तरीके से लिया गया है, जिसका उन गरीबों को पता तक नहीं है, तो यदि गरीब के सामने वसूली की बात आती है और उसको ज्ञान होता है कि हमारे ऊपर इस तरह का ऋण लादा गया है, यदि वह गरीब दरख्वास्त देता है तो तत्काल उसको स्टे कर दिया जाय। और अगर यह साबित हो जाता है कि सहकारी बैंक का कर्जा झूठा है और उसने नहीं लिया है तो कम से कम उस गरीब का उतना लोन चाहे माफ कर दें। इतना जरूर इसमें करें। इसमें लघु कृषक के बारे में यह है कि कर्जे से दुगने से ज्यादा वसूल नहीं किया जायगा। इसका मतलब यह हुआ कि 100 रु0 कर्जा है तो 100 रुपया ब्याज। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यह बहुत ज्यादा है। हो सके तो यह सवाई या ड्योढ़ा रखें क्योंकि गांव में साल का सवाई ही दिया जाता है। सवाई या ड्योढ़ा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जहां तक गांव में जाकर इसको सभी पार्टियों द्वारा प्रचार करने की बात है जैसाकि नेता विरोधी दल, श्री तिवारी जी ने जोर के साथ कहा तो मैं इसमें विश्वास नहीं करता। इसके प्रापर इंस्टीट्यूशन के लिए जरूरी है कि सरकारी मशीनरी को कारगर बनाया जाय। अगर इसका प्रापर एक्जीक्यूशन नहीं हुआ तो फिर यह जैसा कि मैंने पहले भी कहा ऐसे ही होगा कि पुरानी शराब और नई बोतल या फिर क्रोकोडाइल्स टीयर्स की बात हो जायगी।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब वाद-विवाद समाप्त करें।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर काफी विवाद हो चुका है। प्रश्न यह है कि विवाद समाप्त किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

अभी सवा चार बज रहे हैं। बहुत से नए सदस्य आए हैं और वह बोलना चाहते हैं।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

चूंकि कल से छुट्टी है इसलिए बहुत से लोग अपने घर जाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं नेता जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस पर काफी विवाद हो चुका अतः विवाद समाप्त करना उचित होगा।

प्रश्न यह है कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

क्या माननीय नेगी जी अपने प्रस्ताव के लिए आग्रह करेंगे ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

बड़े-बड़े सुन्दर सुझाव सदस्यों की तरफ से आए हैं। माननीय मन्त्री जी इस पर मान जायेंगे। एक हफते का टाइम रहेगा। एक हफते के लिए प्रवर समिति को भेज दें।

*श्री शारदा भक्त सिंह—

मैं इसलिए और भी आभारी हूं कि आम तौर से सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है और समर्थन भी किया ह। वैसे कुछ शंकायें जरूर माननीय गोविन्द सिंह नेगी और अन्य सदस्यों ने की हैं और मैं समझता हूं कि उनका आधार केवल इतना ही है कि इस विधेयक का पूरा मन्तव्य लगाने का प्रयत्न नहीं किया गया। जैसा अभी कहा गया कि अपने प्रदेश में साहूकारों और महाजनों का एक ऐसा वर्ग बन गया था, बदनाम वर्ग, जिसने कमजोर वर्ग को इस कर्ज के द्वारा अपने कब्जे में कर रखा था। बहुत भारी सूद लेते थे और सूद ले कर ऐसा कर्जा उन पर इकट्ठा हो गया था कि उनको जबरदस्ती काम करना पड़ता था। पुस्त दर पुस्त उन्हें गुलाम बनाया गया और यह संख्या कम नहीं थी, करोड़ों में थी और इसलिए इनको उससे मुक्ति दिलाना मैं समझता हूं बहुत आवश्यक था और उस गरीब वर्ग को उन से बचाने के लिए, इस अन्याय से बचाने के लिए यह एक विधेयक आपके सामने प्रस्तुत किया गया।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जो कर्ज सरकारी या बैंक के हैं उन से उन्हें मुक्ति क्यों नहीं दी जाय। इस विधेयक का तात्पर्य यह नहीं है कि जितने कर्ज हैं माफ कर दिए जायं। यदि बैंक से, सहकारी समितियों से कर्जा लिया है तो वह उतना भारी सूद नहीं लेते कि उन्हें दिए सौ रुपए और ले लिए दो सौ रुपए। इसके अतिरिक्त ऐसी भी कोशिश नहीं हो सकती कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन को गुलाम बना कर शासन किया जाय। जैसा यहां कहा जा रहा था कि इसका विकल्प होना चाहिए। विकल्प बैंक, सहकारी समितियां हैं। यहां पर यह बात कहना चाहूंगा कि कर्ज जब दिए जायेंगे तो माफकर दिए जायेंगे, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का विकल्प नहीं निकालना चाहिए। आखिर जो कर्ज हम बैंक या सहकारी समितियों को देते हैं वह विकास कार्यों के लिए दिए जाते हैं, कन्जम्पशन के लिए भी दिए जा सकते हैं लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ?

[शारदा भक्त सिंह---]

कोई न कोई विकल्प उसकी अदायगी का भी निकालना पड़ता है। उसकी किस्त कर देते हैं। दस पन्द्रह साल में यदि आदमी ईमानदारी करे तो इस प्रकार किस्तों में वह खत्म हो जाता है इसलिए मैंने कहा है कि इस विधेयक में छूट दे दी जायगी है, उसको एग्जेम्प्ट किया गया है बैंकों और सहकारी समितियों के कर्जों में और मैं समझता हूं कि इस में कोई ऐतराज आपको नहीं होगा।

दूसरी बात जो कही गयी है कि नियम दो तीन साल तक नहीं बनते हैं। मैं समझता हूं कि पिछली सरकार का आपको कटु अनुभव हो सकता है लेकिन मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब यह विधेयक आया नियम बन रहे हैं। नियम बनाना सरल नहीं है। जैसे ही विधेयक पारित हो जायगा बहुत शीघ्र ही नियम आपके सामने आ जायेंगे और पिछली दिनों की परम्परा और अनुभव का अवसर, मैं समझता हूं, आपको नहीं मिलेगा।

माननीय नेता विरोधी दल ने यह बात कही है कि इस कदम को उन्होंने उठाया और इसका श्रेय उन्हे हैं। हम उन्हें श्रेय देने को तैयार हैं लेकिन एक बात हमारे सामने है है कि जो कर्जा विकल्प संस्थाओं को दिया गया है या जो इस में कार्यवाही हुई है, वह एक ऐसी परम्परा लोगों को मिली है जिसमें उनको निराशा है। सहकारी समितियों में पिछले दिनों जैसे कार्य हुए, लोगों को उन से विश्वास हो गया है जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है जो सहकारी समितियों ने लोगों पर ज्यादतियां की हैं, गलत कर्जे लिए गए हैं उससे किसान त्रसित है और अविश्वास की भावना उसमें पैदा हो गयी है। वह महाजन की तरफ फिर जा रहा है, यह दुर्भाग्य की बात है। अगर प्रारम्भ से ही श्री गणेश ठीक होता और यह खराबियां न होती तो इस काम में बहुत जल्दी सफलता मिल जाती। लेकिन विरासत में यह खराबी हम को मिली है, उसको समाप्त करना होगा। जो कुरीतियां पैदा हो गयी हैं, धोखेधड़ी चल पड़ी है जिनसे त्राहि-त्राहि मच रही है इस समस्या का समाधान हमको ढूढ़ना होगा।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर) ---

जमीनें बिक रही हैं।

श्री शारदा भक्त सिंह---

मैं जानता हूं। इसको हम भुगत भी रहे हैं। लेकिन जनता सरकार ने जो व्रत लिया है कि गरीब और दबे हुए लोगों को आगे बढ़ाया जायगा, इस ओर सरकार दृढ़ता से कदम उठाएगी और जनता में यह विश्वास पैदा किया जायगा कि जो गलतियां हुई हैं, उनको ठीक किया जायगा और भविष्य में ऐसे कदम उठाये जायेंगे जिससे किसी तरह से उनके साथ कोई ज्यादाती न हो। इस सम्बन्ध में जो कुछ भी आवश्यक है उसे करने की बात सोची जा रही है। माननीय सदस्यों ने अनुभव किया होगा कि प्रातःकाल से एक वातावरण बनाया जा रहा है कि गरीब व हरिजन भाइयों को जब से जनता सरकार आई है बराबर सताया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है।

श्री गनेशी लाल चौधरी---

यह सही भी है।

श्री शारदा भक्त सिंह---

मैं जानता हूं कि सदन के अन्दर और बाहर कांग्रेस की ओर से बराबर इस बात का प्रचार किया जा रहा है ताकि उनका मनोबल टूटे। उनके सामने कठिनाई पैदा की जा रही है ताकि उस वर्ग में भय पैदा हो जाय जिससे कांग्रेस दलगत लाभ उठा सके। इसीलिये मोरार जी देसाई बराबर स्थान-स्थान पर भाषण दे रहे हैं कि भय दूर होना चाहिए। लोगों के प्रति जो अन्याय होता है उसके खिलाफ उनको स्वयं संघर्ष करना चाहिए।

दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से विधि पूर्वक इस बात का माहौल बनाया जा रहा है ताकि उनमें एक भय पैदा हो जाय, उनके सामने एक हौवा खड़ा हो जाय। यह प्रचार चलता है। जनता सरकार का संकल्प है अगर कोई गरीब और हरिजन भाइयों को सताने का प्रयत्न करेगा तो उसे कठिन से कठिन दन्ड दिया जायगा। कांग्रेस जो प्रचार कर रही है यह उसकी सेवा न करके उनके साथ अनर्थ कर रही है। रात दिन एक बात की रट लगाना कि हरिजन सताए जा रहे हैं, गरीब सताए जा रहे हैं यह समझ बूझ कर एक बड़ा ही कुप्रचार करने की बात है जो देश व प्रदेश के लिए लाभदायक नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां तक जनता सरकार का सम्बन्ध है अगर एक भी अत्याचार अथवा जबरदस्ती की मिसाल उसे मिलेगी तो वह कड़े से कड़ा कदम उठाएगी और यह बात स्पष्ट हो जाना चाहिए कि गरीब हरिजन व दबे हुए लोगों को जनता सरकार से पूर्ण सहयोग व सहायता मिलेगी और किसी प्रकार की जबरदस्ती उनके साथ अगर कोई करता है तो बगैर दन्ड पाए वह छोड़ा नहीं जाएगा।

जहां तक कर्जे की वसूली का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव रखे हैं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक का उनसे ज्यादा सम्बन्ध नहीं है। इस विधेयक के जरिए तो हम कर्जा खत्म करना चाहते थे और वैसा ही किया भी है। कर्जा वसूल करने में हो सकता है कि ज्यादतियां हुई हों। चूंकि कर्जा वसूल रकने का काम मेरे डिपार्टमेंट का है इसलिए जितने भी सुझाव दिए गए हैं। हम उस पर पूरी तरह से विचार करेंगे और उसके बारे में कोई प्रणाली निकालेंगे कि अधिकारी कोई इस प्रकार का कार्य करते हैं तो उनको मौका न मिले। एक बात और कही गई कि जो बड़े-बड़े और अमीर लोग हैं और जो व्यक्ति विशेष हैं उन पर कर्जा अधिक है और वसूली में उन पर कड़ाई नहीं होती है और गरीबों पर कड़ाई वर्ती जाती है जो असहाय हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक जनता सरकार का सवाल है मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि जिन पर कर्जा अधिक है जो बड़े लोग हैं, उनसे वसूली पहले हो और गरीबों को मौका दिया जाय कि किश्तों में वह दे सकें। यह एक निर्दोष विधेयक है और सभी ने इसका समर्थन किया इसलिए मैं आशा करता हूं कि जो सहयोग देने की बात आपने कही है वह केवल प्रचार के लिए न हो कर दलगत स्वार्थों से ऊपर उठ कर गरीबों की मदद करेंगे। मुझे आशा है कि हमने जो बचन दिया है वह हम पूरा करेंगे और लोग विश्वास और आशा के साथ अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे और वह एक सभ्य जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—

क्या श्री गोविन्द सिंह नेगी अपना संशोधन वापस लेंगे ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, जो भावना सदस्यों की मैंने सदन के अन्दर देखी उससे मुझे यकीन होता है कि मेरा संशोधन पास हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष—

तो प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब खंडों पर विचार होगा। चूंकि इसमें कोई संशोधन नहीं आए हैं, इसलिए सभी खंडों को मैं एक साथ उपस्थित करता हूं।

खण्ड 2 से 36 तक

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में,—

(1) किसी ऋणी या लघु कृषक के सम्बन्ध में, "वार्षिक पारिवारिक आय" का तात्पर्य वर्ष 1976 में उसके कुटुम्ब के समस्त सदस्यों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय के योग से है ;

(2) "अपील अधिकारी" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन अपील की सुनवाई करने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से है ;

(3) "सिविल न्यायालय" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(क) प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय ;

(ख) संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 के अधीन स्थापित कोई न्याय पंचायत ;

(ग) प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय ;

(4) "लेनदार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिससे या जिसके सम्बन्ध में किसी ऋणी या लघु कृषक ने कोई ऋण लिया हो या उपगत किया हो, और इसमें ऐसे व्यक्ति के दायाद भी सम्मिलित हैं ;

(5) "ऋण" में किसी लेनदार के प्रति नकद या वस्तु रूप में प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऐसा समस्त दायित्व भी सम्मिलित है, जो सिविल न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन या अन्य प्रकार से किसी ऋणी या लघु कृषक द्वारा देय हो, और इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर विद्यमान हो, चाहे वह शोध्य हो या नहीं ;

(6) "ऋणी" का तात्पर्य ऐसे भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमान्त कृषक, ग्रामीण शिल्पी या शहरी मजदूर से है जिस पर कोई ऋण बाकी हो, किन्तु इसमें कोई लघु कृषक सम्मिलित नहीं है ;

(7) किसी ऋणी के सम्बन्ध में, "कुटुम्ब" का तात्पर्य ऋणी, उस ऋणी की पत्नी या, यथास्थिति, उसका पति, और दोनों में से किसी एक या दोनों के अविवाहित अवयस्क अपत्यों से है ;

(8) "भूमिहीन कृषि श्रमिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर कोई भूमि न हो और जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है, और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो मजदूरी पर, चाहे उसका भुगतान नगद या वस्तु रूप में या अंशत : नकद या अंशत : वस्तु रूप में किया जाय, श्रमिक के रूप में निम्नलिखित किसी एक या अधिक उपजीविका में लगा हो, अर्थात् —

(क) कृषि कार्य, जिसमें खेती करना और भूमि को जोतना भी सम्मिलित है ;

(ख) दुग्धशाला उद्योग ;

(ग) किसी उद्यानीय पदार्थ का उत्पादन, खेती, उगाई और कटाई;

(घ) पशुधन, मधुमक्खी या कुक्कुट पालन ; और

(ङ) किसी फारम पर खेती की क्रियाओं (जिसमें जंगलाती या काठ-बन्दी क्रियायें सम्मिलित हैं) से आनुषंगिक या सम्बद्ध रूप में किया गया कोई कार्य और फारम की उपज को बाजार के लिए तैयारी और कोल्ड स्टोरेज या अन्य भाण्डागार या बाजार या परिवहन के लिए वाहन की सुपुर्दगी ;

(9) "सीमान्त कृषक" का तात्पर्य किसी ग्राम में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर एक हैक्टर अर्सिचित भूमि से, अनधिक कृषि भूमि हो और जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि या ऐसी भूमि पर शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त आय हो और उसमें असामी के रूप में या साझीदार के रूप में खेती करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है ;

(10) "ग्रामीण शिल्पी" का तात्पर्य गांव में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर कोई कृषि भूमि न हो और जिसकी जीविका का मुख्य साधन निम्नलिखित से सम्बन्धित शारीरिक श्रम है :—

(क) कृषि या उससे सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले परम्परागत औजार, उपकरण और अन्य वस्तुओं या सामान का निर्माण या उनकी मरम्मत; या

(ख) अपने ही श्रम से या अपने कुटुम्ब के सदस्यों के श्रम से कोई अन्य शिल्पकर्म ;

(11) "लघु कृषक" का तात्पर्य गांव में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर एक हैक्टर से अधिक किन्तु दो हैक्टर से अनधिक अर्सिचित भूमि हो, और जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि या ऐसी भूमि पर शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त आय हो और उसमें असामी के रूप में या साझीदार के रूप में खेती करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है ;

(12) "शहरी मजदूर" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है—

(क) जो किसी गांव में निवास न करता हो ; और

(ख) जिसके कुटम्ब के पास इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर कोई स्थावर सम्पत्ति न हो ; और

(ग) जिसकी जीविका का मुख्य साधन स्वयं अपना या अपने कुटुम्ब के सदस्य का शारीरिक श्रम है (जिसमें किसी शिल्प का व्यवसाय भी सम्मिलित है), और इसमें रिक्शा चालक या सफाईकार भी सम्मिलित है किन्तु इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जिस पर—

(एक) 31 मार्च, 1975 और 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले दोनों वित्तीय वर्ष में आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आय कर निर्धारित किया गया है ;

(दो) 31 मार्च, 1975 और 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले दोनों वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 या केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 के अधीन बिक्री-कर निर्धारित किया गया है।

(13) "गांव" का वही अर्थ होगा जो उसके लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 3 के खण्ड (25) में दिया गया है।

स्पष्टीकरण-एक—खण्ड (7) के प्रयोजनार्थ "अवयस्क" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु के अट्ठारह वर्ष पूरे न किए हों।

स्पष्टीकरण-दो—खण्ड (9) और (11) के प्रयोजनों के लिए एक हैक्टर सिंचित भूमि दो हैक्टर असिंचित भूमि के बराबर होगी।

स्पष्टीकरण -तीन—पद "सिंचित भूमि" और "असिंचित भूमि" के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उसके लिए उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में दिए गए हैं।

घोषणा

3—एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 39 के खन्ड (ख) और (ग) में विनिर्ष्टि तत्वों को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य की नीति को कार्यान्वित करने के लिए हैं।

अध्याय दो

ऋणी को अनुतोष

ऋण चुकाना

4—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी संविदा, डिक्री या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, और इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से किए गए उक्त उपबन्ध के सिवाय—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर किसी ऋणी द्वारा, जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय दो हजार चार सौ रुपए से अधिक न हो, देय प्रत्येक ऋण ब्याज सहित, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पूरी तौर से उन्मोचित समझा जायगा;

(ख) ऐसे प्रारम्भ के दिनांक पर किसी ऋणी द्वारा जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय दो हजार चार सौ रूपए से अधिक हो, देय प्रत्येक ऋण ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पूरी तौर से उन्मोचित समझा जायगा, यदि —

(एक) उसने अपना ऋण चुकाने में, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी समय, ऋण की धनराशि को दुगुनी या दुगनी से अधिक राशि का भुगतान कर दिया है; या

(दो) वह अपना ऋण चुकाने में, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात् उतनी राशि की भुगतान करता है, जो ऐसा ऋण चुकाने में पहले ही दी गई किसी राशि को मिलाकर ऋण की धनराशि के दुगुने के बराबर हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि कोई ऋणी इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व उसके द्वारा भुगतान किए गए या उससे वसूल किए गए ऋण के किसी भाग की वापसी का हकदार होगा।

ऋण चुकता होने का परिणाम

5—जहां किसी ऋणी द्वारा देय कोई ऋण धारा 4 के अधीन उन्मोचित हो गया हो, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी संविदा, डिक्री या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार उन्मोचन के दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्—

(क) कोई ऐसा ऋण ऋणी से या उसकी किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति से या उसके विरुद्ध वसूली योग्य नहीं होगा और न तो किसी

ऐसी सम्पत्ति पर ऐसे ऋण से सम्बन्धित किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में किसी प्रकार कुर्की, विक्रय या कार्यवाही के लिए दायित्व होगा ;

(ख) कोई सिविल न्यायालय किसी ऋण की, जिसमें ब्याज भी, यदि कोई हो, सम्मिलित है, वसूली के लिए ऐसे ऋणी के विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा :

परन्तु जहां कोई वाद या कार्यवाही ऐसे ऋणी और किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संयुक्त रूप से संस्थित की जाय, वहां इस खन्ड की कोई बात या वाद या कार्यवाही के अनुरक्षण के सम्बन्ध में, जहां तक उसका सम्बन्ध ऐसे अन्य व्यक्ति से है, वहां तक लागू न होगी ;

(ग) ऐसे ऋणी के विरुद्ध किसी ऐसे ऋण की वसूली के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर लम्बित समस्त वाद और कार्यवाही जिसमें अपील, पुनरीक्षण, कुर्की या निष्पादन की कार्यवाहियां भी सम्मिलित हैं, उपशमित हो जायेंगी ;

परन्तु इस खण्ड की कोई बात,—

(एक) किसी ऐसे जंगम सम्पत्ति के विक्रय पर, जिसका आयोजन और उपसंहार ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किया गया हो, या

(दो) किसी ऐसे स्थावर सम्पत्ति के विक्रय पर, जिसकी पुष्टि ऐसे प्रारम्भ के पूर्व की गयी हो,

लागू न होगी ; (घ) प्रत्येक ऋणी, जो किसी ऐसे ऋण के सम्बन्ध में दी गई किसी डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध हो, तुरन्त छोड़ दिया जायगा ;

(ङ) किसी ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई प्रत्येक जंगम सम्पत्ति, ऐसे ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त हो जायगी और लेनदार, यदि ऐसी सम्पत्ति उसके कब्जे में हो, उसे ऋणी को वापस करने के लिये बाध्य होगा।

लेनदार द्वारा विवरण आदि प्रस्तुत करना

6—(1) धारा 5 के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट प्रत्येक लेनदार ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाय, उस क्षेत्र पर, जहां लेनदार के कारबार का सामान्य स्थान हो, अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को ऐसे प्रपत्र में, जो विहित किया जाय, विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम, जिन्होंने उसके पास जंगम सम्पत्ति गिरवी रखी हो, ऐसी सम्पत्ति का स्वरूप और वर्णन, उधार दी गई और इस अधिनियम के प्रारम्भ पर देय धनराशि, ब्याज की दर और ऐसे अन्य ब्यौरे समाविष्ट होंगे, जो विहित किए जायं।

(2) धारा 5 के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट ऋणी भी अपने द्वारा गिरवी रखी गई जंगम सम्पत्ति की वापसी के लिए उस क्षेत्र पर, जहां उसके लेनदार के कारबार का सामान्य स्थान हो, अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को आवेदन-पत्र दे सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन विवरण-पत्र या उपधारा (2) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर और विहित रीति से जांच करने के पश्चात् तहसीलदार इस बात का अवधारण आदेश द्वारा करेगा कि,—

(एक) जहां उपधारा (1) के अधीन लेनदार द्वारा विवरण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो, वहां उन व्यक्तियों में से, जिन्होंने लेनदार के पास

जंगम सम्पत्ति गिरवी रखी है, कौन व्यक्ति धारा 5 के अधीन अनुतोष के हकदार हैं, और

(दो) जहां उपधारा (2) के अधीन ऋणी द्वारा आवेदन-पत्र दिया गया हो, वहां क्या ऋणी धारा 5 के अधीन अनुतोष का हकदार है,

और लेनदार को आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक पर या उसके पूर्व ऐसे ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई जंगम सम्पत्ति को प्रस्तुत करने का निदेश देगा।

(4) जहां ऋणी द्वारा गिरवी रखी गयी जंगम सम्पत्ति लेनदार के किसी अन्तरिती के कब्जे में हो, वहां लेनदार ऐसे अन्तरिती से उक्त सम्पत्ति का मोचन करेगा और उसे उपधारा (3) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक पर या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा।

(5) यदि लेनदार उपधारा (3) के अधीन आदेश में यथा निदेशित जंगम सम्पत्ति को प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो —

(क) तहसीलदार लेनदार के या लेनदार के अन्तरिती के, जो धारा 25 के खण्ड (घ) या खंड (ङ) में निर्दिष्ट बैंक से भिन्न हो, परिसर में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है और उक्त सम्पत्ति का अभिग्रहण कर सकता है ; और

(ख) जहां उक्त जंगम सम्पत्ति धारा 25 के खण्ड (घ) या खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी बैंक के कब्जे में हो, वहां तहसीलदार —

(एक) आदेश द्वारा, उक्त बैंक को निदेश देगा कि आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक पर या उसके पूर्व तहसीलदार के पास उक्त जंगम सम्पत्ति, ऐसे विवरण-पत्र सहित, जिसमें उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में उक्त संस्था को देय राशि का विनिर्देश होगा, जमा की जाय और साथ ही साथ उक्त बैंक को इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में उक्त बैंक को देय राशि को लेनदार से इस प्रकार वसूल किया जायगा मानों वह भू-राजस्व की बकाया हो और उक्त बैंक को अदा किया जायगा, और

(दो) उक्त बैंक द्वारा तहसीलदार के पास उक्त सम्पत्ति जमा करने पर, जंगम सम्पत्ति की प्राप्ति लिखित रूप में स्वीकार करेगा और लेनदार से ऐसी राशि को वसूल करने की कार्यवाही इस प्रकार करेगा, जो उक्त बैंक को उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय हो, मानों वह भू-राजस्व की बकाया हो और ऐसी वसूली पर उसका भुगतान उक्त बैंक को करेगा।

(6) गिरवी रखी गई सम्पत्ति के इस प्रकार प्रस्तुत या वसूल या जमा किए जाने के पश्चात् तहसीलदार उक्त सम्पत्ति ऋणी को दे देगा।

(7) उपधारा (3) के अधीन मामले का अवधारण लम्बित रहने तक, कोई लेनदार या लेनदार का अन्तरिती, ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई कोई जंगम सम्पत्ति न तो बेचेगा, न गिरवी रखेगा और न अन्य प्रकार से निस्तारित करेगा।

(8) उपधारा (5) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, तहसीलदार—

(क) लेनदार के या लेनदार के अन्तरिती के, जो धारा 25 के खंड (घ) या खंड (ङ) में निर्दिष्ट बैंक से भिन्न हो, परिसर में प्रवेश कर सकता है

और तलाशी ले सकता है और ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई जंगम सम्पत्ति का अभिग्रहण और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए प्रबन्ध कर सकता है ;

(ख) इस बात का अवधारण करने की कार्यवाही करेगा कि इस प्रकार अभिग्रहण की गई कौन सी जंगम सम्पत्ति ऋणी को निर्मुक्त की जाय और तद्नुसार आदेश देगा।

(9) तलाशी लेने और अभिग्रहण करने से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 और 165 के उपबन्ध यथासम्भव, उपधारा (5) और (8) के अधीन तलाशी लिए जाने और अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

तहसीलदार के आदेश का अन्तिम होना

7—धारा 6 के अधीन तहसीलदार का प्रत्येक आदेश, धारा 8 के अन्तर्गत अपील के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी ।

तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अपील

8—(1) धारा 6 के अधीन तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, अपील अधिकारी को अपील कर सकता है ।

(2) अपील का विनिश्चय करने में अपील अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाय और ऐसी अपील पर ऐसे अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

ब्याज सम्बन्धी विशेष उपबन्ध

9—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् ऋणी द्वारा देय किसी ऋण के सम्बन्ध में कोई ब्याज नहीं लगाया जायगा ।

(2) ऐसे प्रारम्भ के पूर्व का किसी अवधि के लिए किसी ऋण पर देय ब्याज की गणना उक्त ऋण पर किसी विधि, रुढ़ि या संविदा के अधीन लागू दर से, या छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, जो भी कम हो, की जायगी और समस्त धनराशि को जो अदा या जमा की जाय, प्रथमतः ब्याज की मद में और शेष को, यदि कोई हो, मूलधन की मद में जमा किया जायगा ।

अध्याय तीन

लघु कृषकों से वसूल किए जाने योग्य ऋण का अधिस्थगन

कतिपय ऋण की वसूली का स्थगन

10—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर किसी लघु कृषक द्वारा देय किसी ऋण या उसके भाग की जिसमें उसका ब्याज भी सम्मिलित है, वसूली के लिए ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए उसके विरुद्ध कोई वाद संस्थित नहीं किया जायगा और ऐसे अनुतोष के लिए पहले से लम्बित प्रत्येक वाद ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थगित रहेगा ।

(2) ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व उपगत दायित्व के आधार पर सिविल न्यायालय द्वारा पारित धन के लिए किसी डिक्री के निष्पादन में सभी कार्यवाहियां या पुरोबन्ध या विक्रय के लिए किसी प्रारम्भिक डिक्री को अन्तिम रूप देने की कार्यवाहियां या विक्रय के लिए किसी अन्तिम डिक्री के निष्पादन की कार्यवाहियां, जिसमें वाद-ऋणी या प्रतिवादी लघु कृषक हो, वाद-ऋणी या प्रतिवादी

द्वारा आवेदन करने पर उसके विरुद्ध उक्त दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थगित कर दी जाएगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन स्थगित डिक्री के निष्पादन में खड़ी फसल, कृषि उत्पादन, पशुधन और शीघ्र नष्ट होने वाली अन्य जंगम सम्पत्ति की सभी कुर्की प्रत्याहृत हो जायगी।

निरोध से निर्मुक्ति

11—(1) किसी ऋण के सम्बन्ध में किसी डिग्री या आदेश के निष्पादन में इस अधिनियम के प्रारम्भ से सिविल कारागार में निरुद्ध प्रत्येक लघु कृषक छोड़ दिया जायगा।

(2) कोई लघु कृषक किसी भी स्थिति में, किसी ऐसी डिक्री के निष्पादन में, इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि तक गिरफ्तार या सिविल न्यायालय में निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा।

स्थगन अवधि बढ़ाने की राज्य सरकार की शक्ति

12—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 10 या धारा 11 में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अग्रतर बढ़ा सकती है।

कतिपय उपबन्ध लघु कृषकों पर लागू होंगे

13—धारा 9 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित लघु कृषक पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे ऋणी पर लागू होते हैं।

कतिपय अन्तरण शून्य करणीय होंगे

14—किसी लघु कृषक द्वारा, जिसके विरुद्ध, निष्पादन की कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन या धारा 36 की उपधारा (1) के द्वारा निरसित अधिनियमितियों मे किसी के अधीन स्थगित कर दी गई है, सम्पत्ति का प्रत्येक अन्तरण उस लेनदार के, जिसका दावा ऐसे लघु कृषक के विरुद्ध विफल या विलम्बित हो गया है, विकल्प से शून्यकरणीय होगा।

परिसीमा अवधि का अपवर्जन

15—किसी ऋण की वसूली के लिए किसी वाद, अपील, आवेदन या अन्य कार्यवाही के लिए (जिसमें ऐसे वाद, अपील या कार्यवाही में दी गई डिक्री के निष्पादन के लिए कोई आवेदन-पत्र भी सम्मिलित है) परिसीमा अवधि की गणना करने में उस अवधि का, जिसमें इस अध्याय के अधीन ऐसी कार्यवाही वर्जित या स्थगित की गई हो, अपवर्जन किया जायगा।

अध्याय चार

लघु कृषकों के ऋण की मात्रा को घटाना

ऋण परिशोधन अधिकारियों की नियुक्ति

16—राज्य सरकार, लघु कृषकों और उनके लेनदारों के बीच ऋण के परिशोधन के प्रयोजनार्थ, अधिसूचना द्वारा, ऋण परिशोधन अधिकारी नियुक्त कर सकती है और इसी प्रकार वह क्षेत्र निर्धारित कर सकती है जिसमें वे अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे।

ऋण का अवधारण करने के लिए आवेदन-पत्र

17—(1) लघु कृषक, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से छः मास की अवधि के भीतर उस क्षेत्र के, जिसमें ऐसा कृषक निवास करता है या उसकी कोई भूमि है, ऋण परिशोधन अधिकारी को अपने ऋण के अवधारण के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) जब तक लघु कृषक ने पहले से ही उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन-पत्र न दिया हो, उसके लेनदारों में से कोई उसी रीति से उस प्राधिकारी को, जिसको और जिस रीति से, लघु कृषक ने उस उपधारा के अधीन प्रश्नास्पद ऋण के अवधारण के लिए आवेदन-पत्र दिया होता, आवेदन-पत्र दे सकता है।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर और सत्यापन आवेदक द्वारा वाद-पत्रों पर हस्ताक्षर और सत्यापन करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा विहित रीति से किया जायगा :

परन्तु उपधारा (2) के अधीन आवेदन-पत्र की स्थिति में विषय वस्तु का सत्यापन करने के लिए लेनदार केवल वहां तक बाध्य होगा जहां तक वह उससे अवगत हो।

(4) यदि एक ही ऋण के सम्बन्ध में एक से अधिक प्राधिकारी को आवेदन-पत्र दिए जायं, तो ऐसे आवेदन-पत्र, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जायं, एक ही प्राधिकारी को अन्तरित कर दिए जायेंगे और उसी के द्वारा उन पर कार्यवाही की जायगी।

आवेदन-पत्र में दिया जाने वाला ब्योरा

18—धारा 17 के अधीन लघु कृषक द्वारा दिए जाने वाले प्रत्येक आवेदन-पत्र में निम्नलिखित ब्योरा दिया जायगा, अर्थात्—

(क) लघु कृषक का नाम और वह स्थान जहां वह निवास करता है या उसकी भूमि है;

(ख) लेनदार का नाम और पता;

(ग) लघु कृषक द्वारा प्रत्येक लेनदार को देय सभी ऋणों का ब्योरा;

(घ) लघु कृषक की समस्त सम्पत्ति का ब्योरा, साथ ही साथ ऐसी सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य और वह या वे स्थान जहां पर ऐसी सम्पत्ति हो;

(ङ) वर्ष 1976 के पूर्ववर्ती वर्ष में लघु कृषक की वार्षिक पारिवारिक आय का ब्योरा।

ऋण का अवधारण

19—(1) धारा 17 के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, ऋण परिशोधन अधिकारी, सम्बद्ध पक्षों को उपस्थित होने और सुने जाने का अवसर देने के पश्चात प्रश्नास्पद ऋण के सम्बन्ध में मूल धनराशि और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक तक छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का अवधारण करेगा।

(2) ऋण परिशोधन अधिकारी का उपधारा (1) के अधीन ऋण की धनराशि अवधारण करने वाला प्रत्येक विनिश्चय, धारा 23 के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा और किसी सिविल न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

(3) इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही में ऋण परिशोधन अधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वैसी होगी जैसी विहित की जाय।

लघु कृषक का अधिकतम दायित्व

20—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, या किसी संविदा, डिक्री या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, किसी लघु कृषक के ऋण को ब्याज सहित चुकाने का दायित्व जिस वर्ष में धारा 17 के अधीन आवेदन-पत्र दिया जाय उसके पूर्ववर्ती वर्ष में, कृषि उपज के स्थूल मूल्य के बीस प्रतिशत के सात गुने से अधिक नहीं होगा और ऐसा दायित्व, धारा 19 के अधीन उसके निर्धारण के दिनांक से संगणित सात वर्षों की अवधि में प्रसारित होगा।

ऋण की अतिरिक्त धनराशि का चुकता होना

21—प्रत्येक ऋण, जितना वह धारा 19 के अधीन अवधारित लघु कृषक द्वारा देय धनराशि से अधिक है, ऐसे अवधारण के दिनांक से चुकता हो जायगा और उसकी वसूली नहीं की जायगी ।

कतिपय वादों पर रोक

22—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई सिविल या राजस्व न्यायालय किसी ऋण के सम्बन्ध में, जिस पर इस अध्याय के उपबन्ध लागू होते हैं, लघु कृषक के विरुद्ध वाद, आवेदन-पत्र या कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा;

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर किसी ऐसे न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रत्येक ऐसा वाद, आवेदन-पत्र या कार्यवाही उपशमित हो जायगी;

(ग) उस ऋण के सम्बन्ध में, जिस पर इस अध्याय के उपबन्ध लागू होते हैं, सिविल न्यायालय की कोई डिक्री निष्पादित नहीं होगी।

अपील

23—(1) धारा 19 के अधीन ऋण अवधारण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे अवधारण के दिनांक से तीस दिन के भीतर, विहित रीति से, अपील अधिकारी को अपील कर सकता है ।

(2) ऐसी अपील के सम्बन्ध में देय फीस और अपील अधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

(3) अपील अधिकारी, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि या उसका उपान्तरण कर सकता है या ऋण परिशोधन-अधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने का निदेश दे सकता है, जैसी अपील अधिकारी उचित समझें ।

(4) इस धारा के अधीन अपील अधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में उस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती ।

अपील अधिकारी और ऋण परिशोधन अधिकारी के आदेश का निष्पादन

24—धारा 23 के अधीन अपील अधिकारी का प्रत्येक आदेश और उसके अधीन रहते हुए, लघु कृषक द्वारा देय ऋण का अवधारण करने का ऋण परिशोधन अधिकारी का प्रत्येक आदेश, क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले मुंसिफ द्वारा इस प्रकार निष्पादित किया जायगा मानों वह उस न्यायालय द्वारा प्रदत्त कोई डिक्री या आदेश हो ।

अध्याय पांच

अपवाद

अधिनियम के उपबन्ध कतिपय ऋण और दायित्व पर लागू न होंगे

25—इस अधिनियम की किसी बात का प्रभाव ऋणी या लघु कृषक के निम्नलिखित मदों में से किसी के अधीन आने वाले किसी ऋण या अन्य दायित्व (जिसमें ब्याज देने का कोई दायित्व सम्मिलित है) पर नहीं पड़ेगा, अर्थात्—

(क) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को देय कोई ऋण (जिसमें कोई कर, उपकर या फीस भी सम्मिलित है);

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थान्तर्गत किसी सरकारी कम्पनी को देय कोई ऋण;

(ग) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित किसी अन्य निगम को देय कोई ऋण;

(घ) कोई ऋण जो निम्नलिखित को देय हो—

(एक) बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 में यथा परिभाषित बैंकिंग कम्पनी;

(दो) स्टेट बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट, 1955 के अधीन संघटित स्टेट बैंक आफ इंडिया;

(तीन) स्टेट बैंक आफ इंडिया (सब्सिडियरी बैंक्स) ऐक्ट, 1959 में यथा परिभाषित सब्सिडियरी बैंक;

(चार) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन संघटित कोई तत्सम्बन्धी नया बैंक;

(पांच) बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित बैंककारी संस्था;

(छः) ऐग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एण्ड डेवलेपमेंट कारपोरेशन ऐक्ट, 1963 के अधीन संघटित कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम;

(सात) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंट्रस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड नामक कम्पनी;

(आठ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित एग्रीकलचरल फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड नामक कम्पनी;

(नौ) रीजनल रूरल बैंक ऐक्ट, 1976 के अधीन स्थापित रीजनल रूरल बैंक; और

(दस) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा बैंक के रूप में अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्था;

(ङ) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन निबन्धित या निबन्धित समझी गयी किसी सहकारी समिति को जिसमें कोई भूमि विकास बैंक भी सम्मिलित है, देय कोई ऋण;

(च) ऋणी या लघु कृषक को किराए पर दी गई किसी सम्पत्ति के, जिनमें कृषि भूमि भी सम्मिलित है, सम्बन्ध में देय कोई किराया;

(छ) न्यास-भंग से उद्भूत कोई दायित्व या कोई अपकृत्य सम्बन्धी दायित्व;

(ज) की गयी सेवाओं के लिए वेतन के रूप में या अन्य प्रकार से देय मजदूरी या पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कोई दायित्व;

(झ) भरण-पोषण के सम्बन्ध में कोई दायित्व, चाहे वह सिविल न्यायालय की डिक्री के अधीन हो या अन्यथा;

(ञ) कोई ऋण जो किसी ऋणी या लघु कृषक द्वारा क्रय की गई सम्पत्ति के चाहे जंगम हो या स्थावर, मूल्य या भाटक-क्रय करार के अधीन देय किसी धनराशि के बारे में हो;

(ट) किसी व्यक्ति द्वारा ऋणी या लघु कृषक को बाद में बेचे जाने वाले किसी माल या सम्पत्ति के मूल्य के रूप में दिया गया कोई अग्रिम;

(ठ) किसी व्यक्ति द्वारा सेवा-संविदा के अनुसार किसी ऋणी या लघु कृषक को उसकी प्रेरणा पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए दिया गया

मजदूरी का कोई अग्रिम, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में या अंशत: नकद या अंशत: वस्तु के रूप में हो :

परन्तु तय की गई मजदूरी की दर विधि द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम न हो;

(ड) सम्पत्ति के विभाजन या बंटवारे के कारण देय कोई प्रतिकर या उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-29-क में निर्दिष्ट कोई प्रतिकर;

(ढ) ऋणी को उसके सेवायोजक द्वारा किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए यथा उत्सव, चिकित्सा, शिक्षा, विवाह या अंत्येष्टि क्रिया सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया कोई ऋण या अग्रिम;

(ण) भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल किए जाने योग्य कोई राशि ।

अध्याय छ:

प्रकीर्ण

शास्ति

26—(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात्—

(क) इस अधिनियम के उपबन्ध के उल्लंघन में किसी ऋणी या लघु कृषक से कोई ऋण या उसका भाग जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है, वसूल करता है, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही में किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष साशय कोई मिथ्या अभिकथन करता है, या

(ग) किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष साशय कोई मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत करता है, या

(घ) किसी ऐसे कार्य का दुष्प्रेरण करता है,

सिद्ध-दोष होने पर, कारावास से जिसकी अवधि छ: मास तक हो सकती है या जुर्माना से, जो दो हजार रुपए तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति ,जो धारा 6 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण पत्र प्रस्तुत करने में या उक्त धारा के अधीन दिए गए आदेश या निदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है या अन्य प्रकार से उक्त धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना से, जो 5,000 रुपए तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध पर सरसरी तौर पर विचार किया जायगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 से 265 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबन्ध यथाशक्य, ऐसे विचारण पर लागू होंगे ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

27—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तो अपराध किए जाने के समय कम्पनी के कार्य-संचालन के लिए उसका प्रभारी और कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति और

कम्पनी भी अपराध का अपराधी माना जायगा और तद्नुसार कार्यवाही किए जाने और दण्ड दिए जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुमति से किया गया है या ऐसा अपराध उसकी ओर से कोई उपेक्षा किए जाने के कारण हुआ है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जायगा और तद्नुसार कार्यवाही किए जाने और दण्ड दिए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी सम्मिलित है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

सबूत का भार

28—किसी वाद या कार्यवाही में यह साबित करने का भार कि ऋणी इस अधिनियम के अधीन संरक्षण का हकदार नहीं है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, लेनदार पर होगा।

अधिकारियों की शक्ति

29—(1) कोई तहसीलदार या ऋण परिशोधन अधिकारी या कोई अपील अधिकारी पक्षों और साक्षियों को बुलाने और उनका परीक्षण करने और दस्तावेज प्रस्तुत करने से सम्बन्धित उन समस्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा किसी सिविल न्यायालय को प्रदत्त हैं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही समझा जायगा।

विनिश्चय का अन्तिम होना

30—यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में यह प्रश्न उठे कि कोई ऋण या दायित्व ऋण है या नहीं या कि कोई व्यक्ति ऋणी या लघु कृषक है, या नहीं, तो यथास्थिति, तहसीलदार या ऋण परिशोधन अधिकारी का विनिश्चय, धारा 8 या धारा 23 के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता

31—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई सिविल न्यायालय,—

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी प्रक्रिया की विधि मान्यता या इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश की वैधता पर आपत्ति करने वाला कोई वाद, आवेदन-पत्र या कार्यवाही,

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही को प्रभावित करने वाले व्यादेश के लिए कोई वाद, या आवेदन-पत्र,

(ग) इस अधिनियम के उपबन्धों से भिन्न प्रकार से काई अपील या पुनरीक्षण ग्रहण नहीं करेगा।

ऋण परिशोधन अधिकारी के समक्ष उपस्थिति

32—इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही का कोई पक्ष किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार न होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में पद "विधि व्यवसायी" का वही अर्थ होगा जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 2 में उसके लिए दिया गया ह। अधिनियम संख्या 25, 1961

परिसीमा अधिनियम का लागू होना

33—परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4, 5 और 12 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होंगे। अधिनियम संख्या 36, 1963

कठिनाई दूर करने की शक्ति

34—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध बना सकती है या ऐसे निदेश दे सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जिन्हें वह कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं जारी किया जायगा।

नियम बनाने की शक्ति

35—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

निरसन तथा अपवाद

36—(1) उत्तर प्रदेश भूमि-हीन कृषि श्रमिक ऋण अनुतोष अधिनियम, 1975, उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) अधिनियम, 1975 और उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (द्वितीय) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं। उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1975

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी। उ0प्र0 अधिनियम संख्या 51, 1975

उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 13, 1977

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1; प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977

भूमिहीन कृषि श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पियों, सीमान्त कृषकों, लघु कृषकों और शहरी मजदूरों को ऋणभार से अनुतोष की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम, 1977 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 21 फरवरी, 1977 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शारदा भक्त सिंह—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश के तथा लखनऊ शहर के छात्रों के दाखिले में अनियमिताओं तथा भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत मुझे 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और 51 के अन्तर्गत 5वें नियम के अनुसार मैं केवल एक ही प्रश्न स्वीकार कर सकता हूं । इसलिए मैंने अपने प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री देव कुमार यादव एवं श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा का प्रश्न स्वीकार किया है । वह इस प्रकार है—समस्त उत्तर प्रदेश तथा लखनऊ शहर में छात्रों के दाखिले के सम्बन्ध में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार तथा भारी चन्दे के कारण छात्रों में रोष तथा असंतोष। माननीय शिक्षा मन्त्री जी आप इस सम्बन्ध में इस समय कोई संक्षिप्त भाषण देना पसन्द करेंगे या कोई तारीख देना चाहेंगे ?

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरन)—

ऐसा कोई नियम नहीं है कि विद्यार्थियों से प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का कोई चन्दा, अनुदान या दान लिया जा सके और इसके खिलाफ ऐसे आदेश भी बराबर रहे हैं और हैं । माननीय सदस्य, यदि अपनी निजी जानकारी के आधार पर स्पष्ट रूप से कोई सूचना देंगे कि ऐसा किसी विद्यालय में हो रहा है तो उसकी जांच कराकर उस विद्यालय के विरुद्ध समुचित कार्यवाई की जायगी ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान कहीं दूर नहीं लखनऊ शहर की ओर ही आकर्षित करना चाहता हूं। सरकारी संस्थाओं ने अपने यहां दाखिले बन्द कर दिए हैं। प्राइवेट संस्थाएं मनमानी कर रही है, उन्होंने टस्ट लिया और बहुतों को नहीं लिया। यहां सिटी माण्टेसरी स्कूल चलता है, वहां पर पासशुदा विद्यार्थियों का दुबारा टेस्ट प्रवेश के समय लिया जाता है और उनके भी दाखिले अब बन्द कर दिए गए है। इसका सम्बन्ध चूंकि प्रदेश के हर घर से है और अभिभावकों के समक्ष इससे एक समस्या पैदा हो गई है। बिना किसी के दस्तखत के एक रसीद द्वारा प्रवेशार्थी छात्रों से मनमाना पैसा लिया जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें पूरे प्रदेश की स्थिति के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य मन्त्री जी देने की कृपा करें जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मन्त्री जी को वक्तव्य देने के लिए आदेश दें।

श्री काली चरन—

वैसे जैसा आदेश होगा, वक्तव्य होगा, लेकिन वक्तव्य का प्रश्न इसमें आता नहीं है। माननीय सदस्य ने एक विद्यालय की बात कही है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह लिखकर दे दें। मैं उसकी जांच कराऊंगा और यदि सही होगा, तो विद्यालय के खिलाफ जो भी किया जा सकता है, किया जायगा। यों सामान्य रूप से आदेश है, किसी को ज्यादा फीस लेने का आदेश नहीं है। जो प्राइवेट विद्यालयों की बात है, अधिकांश अभिभावक एक ही विद्यालय में विद्यार्थियों को यदि भेजना चाहेंगे तो उनके सामने एक समस्या होगी ही कि छांटकर विद्यार्थियों को अपने यहां भर्ती करें। सबको भर्ती कर लेना किसी भी विद्यालय के लिए सम्भव नहीं है।

श्री देव कुमार—

मुझे बहुत अफसोस है कि माननीय मन्त्री, जो शिक्षक रहे हैं, पूरे प्रदेश की गम्भीर समस्या को इतने हल्के एहसास के साथ ले रहे हैं। मैंने तो सिर्फ एक विद्यालय का उदाहरण दिया था। लेकिन बहुत जगह यह हो रहा है, लोकल अखबारों में भी आया है। इसको हल्के तरीके से न लेकर वह सारे प्रदेश के लिए अपने आदेश जारी करें और इसकी व्यवस्था करें। यह कह देना कि प्राइवेट संस्थाएं इंकार कर सकती है उचित नहीं है, ऐसी हालत में सारे छात्र और अभिभावक कहां जायं? एक तरफ आप जनता को राहत देने की बात करते हैं, हर तरह की आजादी की बात करते हैं, आपके शासन में विद्यार्थियों को क्या घर बैठ जाना चाहिए?

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मन्त्री, प्रश्न यह है कि छात्र प्रवेश पाने के लिए प्रयत्न कर रहें हैं और स्कूलों में संख्या बड़ी सीमित है। तो माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जो छात्रों के अभिभावक हैं उनको कहीं-कहीं अपने छात्रों को प्रवेश कराने के लिए दूसरा तरीका अख्तियार करना पड़ता है। क्या आपकी जानकारी में है और कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश मिल सके। इस सम्बन्ध में अगर कोई व्यवस्था कर सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। और यह तो उचित होगा कि लखनऊ में और आस-पास आप जानकारी करें, जैसा आपने नियम बतलाया है, उसके विरुद्ध स्कूल के प्रबन्धक दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। वह इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करके सदन को कृपया अवगत करा दें।

श्री कालीचरन—

माननीय अध्यक्ष जी, इसकी मैं जानकारी कर लूंगा और अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं तुरन्त उचित कार्यवाही करूंगा। साथ ही साथ मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि प्रवेश न मिलने की कठिनाई से किसी छात्र की पढ़ाई बन्द नहीं होने पायेगी, ऐसी व्यवस्था सरकार करायेगी।

श्री देव कुमार—

क्या व्यवस्था कराएगी ?

श्री अध्यक्ष—

दफा 51 में केवल मन्त्री जी से, जो वह संक्षिप्त वक्तव्य दें, उससे उत्पन्न आप कोई स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री देवकुमार—

मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। मन्त्री जी स्पष्ट घोषणा करें कि इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री अजीत सिंह (जिला मेरठ)—

कैटेगरिकल स्टेटमेंट आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

वह तो वह बता चुके कि कठिनाई नहीं होगी दाखिले में। वह व्यवस्था करेंगे। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया है कि कोई छात्र ऐसा नहीं होगा जिसका प्रवेश नहीं हो सकेगा। वह व्यवस्था करेंगे। कह तो दिया। यह सदन के अन्दर आ चुका और क्या प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मन्त्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि अपने हर डी० आई० ओज० को कोई विशेष आदेश ऐसा जारी करेंगे कि जो उसके जिले में यदि किसी स्कूल में यह कार्यवाही हो रही हो तो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी और उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

श्री कालीचरन—

माननीय अध्यक्ष, जिला विद्यालय निरीक्षकों की यह जिम्मेदारी पहले से ही है। जिस दिन यह विभाग मुझे मिला उसी दिन शिक्षा सचिव से मैंने कह दिया कि शिक्षा विभाग के सम्पूर्ण अधिकारियों को निर्देश दे दें, जुलाई के महीने में लड़कों के प्रवेश की समस्या होगी, किसी भी तरह से कोई समस्या हो वह हल करें और अगर न हल कर सकते हों तो शासन से आदेश लेकर जो वैकल्पिक व्यवस्था हो, कर दी जाय। यह आदेश दे भी दिया है मैंने।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

कुछ नियमों में घटाने बढ़ाने के लिए, मिसाल के लिए एक सीमा बन्धी हुई है कि इतने से अधिक विद्यार्थी एक कक्षा में नहीं हो सकते हैं, क्या माननीय मन्त्री जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह भी अधिकार देंगे कि जहां जरूरी समझें वहां नियमों को शिथिल करके ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सके।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मन्त्री जी के वक्तव्य के बाद यह विवाद का प्रश्न होने जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री कालीचरन—

श्रीमन्, जिला विद्यालय निरीक्षक को यह अधिकार है। कुछ विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे इस समस्या का हल हो सके।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिन विद्यालयों में स्थान नहीं हैं और उन विद्यालयों में प्रवेश दिला देंगे तो वहां पर उन विद्यार्थियों के बैठने की क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय पाण्डेय जी, यह प्रश्न नहीं पैदा होता है। माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है वह पाली सिस्टम से व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए इसका प्रश्न नहीं पैदा होता है।

नियम 51 अन्तर्गत अन्य सूचनायें

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी कि इस समय महंगाई बहुत बढ़ रही है। व्यापारी काले बाजार में चीजें बेच रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। यह प्रश्न नहीं पैदा होता है। एक दिन के अन्दर केवल एक सूचना को लिया जा सकता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

सुबह आपने सभी को एक-एक मिनट सुना था। तो आप 2-2 मिनट सभी को सुन लें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके दाम इतने बढ़ गए हैं. . . .

श्री अध्यक्ष —

आप कृपया स्थान ग्रहण करें। नियम 51 के अन्तर्गत केवल एक सूचना की अनुमति दी जा सकती है। मेरे पास 8 सूचनाएं हैं जिसको मैंने अधिक महत्व का समझा, उसको स्वीकार किया।

श्री सुख पाल पाण्डेय—

मैंने नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी। मैं आपको यह पत्र दिखाना चाहता हूं जिसमें आई0जी0 को लिखा था।

श्री अध्यक्ष—

माननीय पाण्डेय जी, आप बैठें।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

यहां यह परिपाटी रही है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो लिए जायें उनमें केवल एक ही स्वीकृत हो। तो कम से कम यह मालूम हो जाय कि किन विषयों को लिया गया है। यह होता रहा है अगर नहीं होता रहा है तो बता दिया जाय। यह होता रहा है।

श्री अध्यक्ष—

नियमावली का पालन किया जाना चाहिए और नियमावली के अनुसार जो सदस्य चाहते हैं वह मेरे कक्ष में आकर जान सकते हैं। नियम 51 के अनुसार (के अन्तर्गत जो उसकी ग्राह्यता है उसके अनुसार) जो सबसे महत्व का था, उसको स्वीकार किया है। शार्ट नोटिस क्वेस्चन अन्य के लिए चाहे तो या तारांकित प्रश्न के रूप में या दूसरे ढंग से उनको लिया जा सकता है।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, मैं यह बात नहीं कह रहा था कि माननीय सदस्यों को इस पर विवाद करने का अवसर दिया जाय। मैं तो यह कह रहा था कम से कम माननीय सदस्यों को यह बतला दिया जाय कि उन ध्यान आकर्षण सूचनाओं के क्या बिषय हैं जिनकी आपने आज्ञा

नहीं दी है। मुझे यह मालूम है कि भूतपूर्व अध्यक्ष इनको पढ़ते थे कि ये सूचनाएं इस-इस विषय पर हैं। यदि यह बात न हो तो मुझे बतला दें ?

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

मान्यवर, मैंने भी एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है। यदि आप 2-1 मिनट में सदन को अवगत करा दें कि किस-किस सम्बन्ध में किन-किन का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, तो यह जनहित में होगा।

श्री अध्यक्ष---

जितने भी अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न आते हैं वे अनिवार्य रूप से सदन में नहीं रखे जाते हैं लेकिन कभी-कभी उनको रख भी दिया जाता है। तो जैसा मैंने अर्ज किया एक ही प्रश्न की अनुमति दी जाती है तो फिर उस पर भाषण शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं उनका विषय बताए देता हूं। पहली सूचना तो यह है, दूसरी सूचनाएं, जिनको मैंने अस्वीकार किया है, की सूचना दिए देता हूं। वे इस प्रकार हैं। नम्बर 2 माननीय सुदामा प्रसाद जी का है जिसमें कहा गया है कि ललितपुर जिले में 115 सो0 के जुर्मानों को कड़ाई से वसूल करने के कारण हजारों किसानों में रोष तथा असन्तोष है। तीसरी सूचना श्री शतरुद्ध प्रकाश की है जिसमें उन्होंने आवश्यक वस्तुओं के दामों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी होने के कारण जनता में रोष को बताया है। चौथी सूचना है सर्वश्री राम मिलन सिंह व सुखपाल पाण्डेय की जिसमें उन्होंने बस्ती जिले के दुधौलिया बाजार स्थित विवेकानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अपने विद्यालय में हाई स्कूल का परीक्षा केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में छात्रों से 50 रुपए प्रति छात्र लेने से छात्रों में गम्भीर असन्तोष बताया है। पांचवीं सूचना है श्री श्याम धर मिश्र की जिसमें उन्होंने लिखा है कि जनता पार्टी की सरकार द्वारा जिला कानपुर देहात को समाप्त करने के निर्णय से कानपुर नगर तथा देहात की जनता में असन्तोष है। छठी सूचना श्री सुख पाल पाण्डेय तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ की है जिसमें उन्होंने एस0एस0पी0, आगरा द्वारा श्री के0 पी0 सिंह, जन सम्पर्क अधिकारी, आगरा विश्वविद्यालय, जिला आगरा की हत्या करने की साजिश से उत्पन्न रोष बताया है। सातवीं श्री राम दत्त जोशी की है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अंचल कुमाऊं गढ़वाल तथा उत्तराखंड में शरद कालीन वर्षा न होने के कारण रबी की फसल को भारी क्षति तथा अकाल की सी स्थिति से उत्पन्न संकट का जिक्र किया है। आठवीं श्री लक्खी सिंह की है जिसमें उन्होंने जिला मथुरा के ग्राम लालपुर में बने बांध को भूतपूर्व रक्षा मन्त्री द्वारा तुड़वाने से तथा उसमें पाइपों द्वारा सिंचाई पानी बाहर निकल जाने से मथुरा जनपद में भारी क्षति तथा असन्तोष को बताया है। इन सातों को मैंने स्वीकृति नहीं दी है। एक को स्वीकृत किया जिस पर अभी विवाद हुआ लेकिन यदि माननीय सदस्य चाहें तो सूचना दुबारा दे सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं।

अब हम उठते हैं और फिर 18 तारीख सोमवार को 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 48 मिनट पर सोमवार, 18 जुलाई, 1977 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
13 जुलाई, 1977 ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0--एल0 104 वि0 सभा---(283)---1977---840।